Wednesday, 29th July, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 29, आठवां सत्र—दूसरा भाग, 1987/1909 (शक)

अंक 53, बुधवार, 29 जुलाई 1987/7 श्रावण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	1—5
प्रश्न काल का निलम्बन	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	5—161
तारांकित प्रश्न संख्या 41—60	5—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 461—661	24—161
सदस्य का निलम्बन	161—194
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	194—210
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	211
राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों संबंधी समिति	211
प्रथम प्रतिवेदन —सभा-पटल पर रखा गया	
कार्य-मंत्रणा समिति	212
अड़तीसवां प्रतिवेदन —प्रस्तुत किया गया	
गैर- सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	212
सैंतीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	212
(श्री अमिताभ बच्चन)	
मंत्री का परिचय	212
बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रश्नों की जांच करने के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव	212—214

लोक सभा

बुधवार, 29 जुलाई, 1987/7 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी)

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

प्रश्न काल का निलम्बन

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : हमने प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइये । मैंने आपसे कहा है, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक्शन तो आपके खिलाफ होना चाहिए ।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह आपके विरुद्ध है। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिवलेज मोशन भी आता है, वह भी लाया जाता है। सोचने के, समझने के, रूल्स के मुताबिक लाया जाता है और किसी को कोई मनाही नहीं, जब मर्जी प्रिवलेज मोशन दो।

[अनुवाद]

मैं इसकी जांच करने के लिए तैयार हूं। नियमों के अनुसार, मैं कार्यवाही आगे चला रहा हूं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सीधा होगा, मुझे तो नजर आता नहीं, न मैंने आज तक देखा है।

[अनुवाद]

मैं उस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

मैंने किसी को मना नहीं किया है। सब अपना प्रिवलेज मोशन दे सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। मैंने सौ दफा हाथ बांधकर आपसे अर्ज किया है कि यह हाऊस आपका है, आप जैसे चाहो चला सकते हो। लेकिन मैं बंधा हुआ हूं, आपके कानून से बंधा हुआ हूं। आपने जब तक मुझे यहां बैठा रखा है, मैं सारे नियमों से बंधा हुआ हूं। आप जानते हैं, मैं आपकी सेवा में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तशरीफ रखिए। कृपा करके मेरी बात सुनिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आर्डर प्लीज ! आप क्या कर रहे हैं मुख्तियार जी ? आप दो मिनट बैठिये। जो मैं कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई डिसकशन वार नहीं होगा। मैं सारे डिस्कशन बतौर रूल्स के अलाऊ करने के लिए बैठा हूं। लेकिन आप जैसा कहें वैसा कर दूं, वे जैसा कहें वैसा कर दूं, वह बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी के कहने से या डंडे से काम नहीं चलने वाला है।

[अनुवाद]

आपके द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार ही, मैं संचालन कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप रोज करना चाहेंगे तो में क्या मुंह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिखलाऊंगा, आप क्या मुंह दिखायेंगे ? मुझे बड़ी चिंता होती है। यह आपका सदन, इसको आपने चलाना है। हिन्दुस्तान के लोगों ने आपको चलाने के लिए यहां भेजा है। आपको यहां पर दंगा करने के लिए नहीं भेजा है, हमें यहां पर डिसकशन करने के लिए भेजा गया है।

[अनुवाद]

लोकतन्त्र का अर्थ है चर्चा करना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके अगर दो मिनट अपनी जुबान बन्द रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं इस हाउस से कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिये, लोग क्या कहेंगें। आप जो मर्जी करें, डिसकशन करें जो भी करें लेकिन ऐसा कुछ न करें। यह शोभा नहीं देता, न तो यह आपको शोभा देगा और न ही मुझे शोभा देगा इस हाउस को चलाते हुए।

[अनुवाद]

आपने जो भी विषय बताये हैं, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

और सारा ये उस हिसाब से चला लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, आप सारे बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। आप फिर वही करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कुछ कहा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं पूर्व लोक सभा कार्यवाही को उद्धृत करना चाहता हूं···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें यह फैसला करना है कि क्या हम नियम 32 का निलम्बन करने जा रहे हैं या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें यह फैसला करना है कि हम आज प्रश्नकाल समाप्त करने जा रहे या नहीं। उसके बाद आप जो कहना चाहें, कह सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : नियम 388 के अन्तर्गत, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्नकाल के बारे में नियम 32 को निलम्बित किया जाए ।

श्री अजय विश्वास के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करने के लिए यह किया जा रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्वश्चन आवर तो ससपेंड करने दो ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्नकाल स्थगित करने से पूर्व, इस विषय पर कैसे विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले यह प्रस्ताव रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हमने भी सूचनाएं दी हुई हैं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप किसका प्रस्ताव रख रहे हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले क्वश्चन आवर मुझे ससपेंड करने दो, उसके बाद ही कोई मोशन आएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी इन्कार नहीं किया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुने तो सही । ऐसा है कि मोशन आपके भी हैं, मोशन गवर्नमेंट के भी हैं । आपका मोशन भी साथ है ।

[अनुवाद]

सरकारी प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है । यह तो साधारण बात है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भाई, न आप मुझे बात करने देते हैं, न ये बात करने देते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या पूछूं आप ही उनसे पूछिए, बात करिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को, सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि प्रश्नकाल से संबंधित नियम 32 के निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

*41. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस प्रकार के बोर्ड स्थापित कर दिए हैं और अन्य राज्यों द्वारा इस प्रकार के बोर्ड स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) बोर्ड, राज्यों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को अपनी राज्य विधान सभाओं में अपनाने के पश्चात् स्थापित किए जाते हैं । 18 राज्यों के अधिनियम को अपनाने के पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए हैं । त्रिपुरा ने अधिनियम को अपना लिया है परन्तु अभी तक बोर्ड स्थापित नहीं किया है । मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम के राज्यों ने अभी तक अधिनियम को नहीं अपनाया है अतः इन राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना नहीं की गई है । अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के तीन नए राज्यों में भी अभी अधिनियम को नही अपनाया गया है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक

*42. **श्री मदन पांडे :**

श्री हुसैन दलवाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों तथा अन्य व्यक्तियों को मकान बनानें के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक ..पित करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त विधान शीघ्र संसद के समक्ष लाया ..गा। राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त संस्थाओं की पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधा देने के लिए शीर्षस्थ ..थान होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रस्तावित कार्यों में से एक कार्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों ..लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना होगा, जिनके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य ..ा से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती हो।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीय आवास .. द्वारा सहायताप्राप्त किसी भी योजना का ब्यौरा और प्रगति की सूचना देने का सवाल ही पैदा ..ही होता।

[अनुवाद]

अधिकारियों के दल का स्विटजरलैंड का दौरा

*43. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों द्वारा गुप्त रूप से कथित धन जमा कराए ..ने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के ..टी गवर्नर की अध्यक्षता में कानूनी तथा वित्तीय विशेषज्ञों का एक दल गत जून में स्विटजरलैंड भेजा ..या था ;

(ख) उस दौरे के क्या परिणाम निकले ;

(ग) इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही क्या की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का स्विटजरलैंड की सरकार के साथ इस सम्बन्ध में कोई द्विपक्षीय समझौता ..रने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ..उप गवर्नर श्री ए० घोष के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल को स्विस बैंकों से सूचना प्राप्त करने के लिए ..स्विटजरलैण्ड के मौजूदा कानूनी निर्माण ढांचे और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त ..रने और आपराधिक मामलों की छान-बीन में परस्पर सहायता के लिए स्विटजरलैंड द्वारा अन्य देशों .. साथ की गई संधियों/करारों का अध्ययन करने के लिए स्विटजरलैण्ड भेजा गया था। विशेषज्ञ दल .. अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता और पुलिस मामले सम्बन्धी स्विस प्रभाग, स्विस नेशनल बैंक और स्विस ..डरल बैंकिंग कमीशन के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श .. आधार पर दल ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं :—

I. यद्यपि स्विस प्राधिकारी ग्राहकों के खातों के बारे में सामान्य नियम के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति नहीं देते और संधि/करार के जरिए स्विस बैंकों में रखे ग्राहकों के खातों के बारे में सीधे ही कोई सूचना नहीं देते, फिर भी संधि/करार करके बैंकिंग गोपनीयता

को समाप्त किया जा सकता है और स्विटजरलैण्ड में प्राप्त किए गए न्यायालय के आदेशों आधार पर ग्राहकों के खातों के बारे में सूचना दी जा सकती है ।

II. यह कि स्विस संघीय कानून, जिसे आपराधिक मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर सहाय सम्बन्धी संघीय अधिनियम कहते हैं, के अन्तर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर सहाय प्रदान करने की व्यवस्था है, बशर्ते कि वह कार्य जिसके सम्बन्ध में सहायता मांगी गई दोहरी दंडनीयता के परीक्षण पर खरा उतरता हो और सहायता मांगने वाले राज्य ने स्वि प्राधिकारियों को पारस्परिकता की गारंटी दे दी हो । यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा क दिया जाता है तो स्विस प्राधिकारी आई०एम०ए०सी० के उपबन्धों के अधीन आपराधि मामलों में सहायता के आग्रहों पर विचार कर सकते हैं और सम्बन्धित बैंकों अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए स्विस अदालतों में उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है ।

III. मात्र कर चोरी अथवा राजकोषीय नियमों के अतिलंघन अथवा विदेशी मुद्रा विनियमनों उल्लंघन को स्विस प्राधिकारियों द्वारा दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा ।

VI. आई० एम० ए० सी० के अन्तर्गत प्राप्त सूचना का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लि किया जाएगा जिसके लिए वह प्राप्त की गई है ।

V. आई०एम०ए०सी० के अन्तर्गत स्विस प्राधिकारियों से स्विटजरलैण्ड के साथ द्विपक्षीय संधि करार किए बिना भी सहायता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि दोहरी दंडनीयता औ पारस्परिकता की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया हो । संधि/करार पर हस्ताक्षर कर से ये फायदे हो सकते हैं :—(क) आई०एम०ए०सी० के उपबंधों को पार करके भी सहायत दी जा सकती है और (ख) संधि/करार की शर्तों के अनुसार सहायता प्रदान करने क दायित्व स्विस प्राधिकारियों पर आ जाता है ।

उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सरकार आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता कर के लिए स्विस प्राधिकारियों के साथ एक संधि करने और ऐसी संधि/करार पर हस्ताक्षर होने तक उ भारतीयों के विशिष्ट मामलों में जिन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन से स्विस बैंकों में खाते खो हुए हैं, सहायताप्राप्त करने के लिए स्विस प्राधिकारियों के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्ष करने के लिए कदम उठा रही है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

*44. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन-कौन सी विकास परियोजनायें उनके मंत्रालय की मंजूरी हेतु लम्बि पड़ी हैं ;

(ख) उनके मंत्रालय में ये परियोजना प्रस्ताव किस-किस तारीख को प्राप्त हुये थे ;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने किन-किन परियोजनाओं को रद्द कर दिया है और उनके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विचारार्थ परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मंत्रालय को कब प्राप्त हुई	कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है
1	2	3	4
	नदी घाटी परियोजनाएं		
1.	तिलारी परियोजना	30-6-81	अनिवार्य सूचना न भेजे जाने के कारण अभी तक परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकी ।
2.	बावनथाडी परियोजना	11-5-81	
3.	वाण परियोजना	22-4-80	
	ताप विद्युत परियोजना		
4.	पारली टी०पी०एस० (2×210 मे०वा०) 6वी और 7वीं यूनिट	23-4-86	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही इन परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है और पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकती है ।
5.	मेसर्स मोदी फाइबर्स लि० का-कैप्टिव पावर प्लान्ट (19 मे०वा०)	19-2-86	
6.	बम्बई सुबरबन विद्युत आपूर्ति का धानू टी०पी०एस० (2×210/250)	17-6-87	
	खनन परियोजनाएं		
7.	सावनर परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०	29-10-82	

1	2	3
8.	हिन्दुस्तान लालपेठ खुली खदान परियोजना डब्ल्यू०सी०एल०	24-2-86
9.	पदमपुर खुली खदान परियोजना डब्ल्यू सी०एल०	जुलाई, 1983
10.	दुर्गापुर रैयतवाड़ी (पुनर्गठन) परियोजना, डब्ल्यू० सी०एल०	16-3-82
	औद्योगिक परियोजनाएं	
11.	मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा दिघी में समुद्र तटीय सुविधाओं की स्थापना करना	15-5-84
12.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अगरडान्डा (जंजीरा) में अतिरिक्त आपूर्ति बेस की स्थापना	12-7-84
13.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा एम०डी०आई० प्लांट की स्थापना	मार्च, 1985
14.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा यूरान में इथेन/प्रोपेन रिकवरी प्लान्ट की स्थापना	11-11-85
15.	मैसर्स राष्ट्रीय आर्गेनिक कैमिकल उद्योग लि० द्वारा पेट्रोकैमिकल कम्पलैक्स का आधुनिकीकरण और विस्तार	30-4-87
	आटोमिक पावर प्लान्ट	
16.	तारापुर परमाणु बिजलीघर 210 मे०वा०	10-4-85

अनिवार्य सूचना न भेजे जाने के कारण अभी तक परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकी ।

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही इन परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है और पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकती है ।

अस्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मंत्रालय में परियोजना के प्राप्त होने की तारीख	अस्वीकृति के कारण
1	2	3	4
1.	लेन्डी परियोजना	12-4-84	अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी परियोजना प्राधिकारियों ने बुनियादी पर्यावरणीय सूचना नहीं भेजी है ।
2.	बांम्बला परियोजना	13-3-84	—वही—
3.	महाराष्ट्र संयुक्त (कम्पोजिट) सिंचाई (जायकवाडी) परियोजना	3-5-84	—वही—
4.	निचली वर्धा परियोजना	9-7-81	—वही—
5.	पुनांड सिंचाई स्कीम	22-4-82	—वही—
6.	हुमान नदी परियोजना	4-1-84	—वही—
7.	सती नदी परियोजना	31-1-84	—वही —
8.	अरूणावती नदी परियोजना	23-7-79	—वही—
9.	सिना कोलेगांव परियोजना	25-4-79	—वही—
10.	निचली वीणा परियोजना	23-7-79	—वही —
11.	तुलतुबी	19-6-81	—वही—
12.	गोसीखुर्द	28-12-83	—वही—
13.	ऊपरी तापी अवस्था-3	15-1-8	—वही—

1	2	3	4
14.	पिंजल परियोजना	8-11-82	अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी परियोजना प्राधिकारियों ने बुनियादी पर्यावरणीय सूचना नहीं भेजी है ।
15.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन मिलिटेड द्वारा बम्बई में सी० 3/सी०4 सेपरेशन सुविधाएं स्थापित करना ।	28-12-85	निम्नलिखित कारणों से सभी परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से अस्वीकृत किया गया। 0 चम्बूर में वायु प्रदूषण पहले ही निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक है। 0 महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चम्बूर को एक "विकास क्षेत्र नहीं" के रूप में वर्गीकृत करने का नीति निर्णय लिया है जहां औद्योगिक इकाइयों की अनुमति नहीं दी जाती है ।
16.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एरोमेटिक्स के उत्पादन को बढ़ाना	23-4-86	
17.	भारत पेट्रोलिमिटेड द्वारा 70,000 टी०पी० ए० एम-पैराफिन्स के उत्पादन के लिए प्रस्ताव	1-9-86	
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा ल्यूब बेस स्टाक की वृद्धि की स्थापना	7-5-85	
19.	राष्ट्रीय कैमिकल्स तथा फर्टिलाइजर लिमटेड द्वारा अमोनिया संयंत्र की पुन बहाली	3-12-85	

[अनुवाद]

पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाना

*45. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टाक बाजार के निदेशकों की पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए जून, 1987 में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या सरकार को उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने स्टाक बाजार को समर्थन देने हेतु सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को निदेश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) शेयर बाजार की स्थिति और पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 22 जून, 1987 को दिल्ली में स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों की एक बैठक हुई थी। उसके बाद 23 जून को वे लोग पूंजी निर्गम नियंत्रक से मिले थे और उस मुलाकात में पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, जिनमें शेयर बाजार की तत्कालीन स्थिति का विषय भी सम्मिलित था । दिए गए सुझावों में बिना माल के किए जाने वाले, निराधार विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध लगाए जाने, गलत चलने वाले सदस्यों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने, निगरानी की व्यवस्था और कदाचरण पर नियंत्रण रखे जाने तथा शेयरों की वास्तविक सुपुर्दगी किए जाने आदि के सुझाव सम्मिलित थे। मुलाकात में भाग लेने वाले व्यक्तियों का मत था कि बाजार में परिवर्ती संचालन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने पूंजी बाजार में दीर्घावधिक आधार पर सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था जिसमें अनेक सुझाव दिए गए थे। पूंजी बाजार का सुधार करने और उसे आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, जो कार्रवाइयां इस समय शुरू की जा चुकी हैं, और जिनको पूरा करने के लिए अनेक उपाय पहले से ही किए जा चुके हैं । उन्हीं अनवरत रूप से जारी रहने वाली कार्रवाईयों के अवयव के रूप में इन सुझावों को भी ध्यान में रख लिया गया है ।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, जो उद्योग धन्धों में भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करते हैं, पूंजी बाजार के कार्यकलापों में अपनी वाणिज्यिक सूझ-बूझ के आधार पर हिस्सा लेते हैं ।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*46. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए 15-सूत्री निदेश के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन निदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य स्तर पर मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों का, प्रत्येक तिमाही में कार्यक्रम की क्रियान्विति का प्रबोधन करने के लिए सलाह दी गई है । केन्द्रीय स्तर पर, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करते हुए कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जाता है । जहां कहीं आवश्यक होता है, कार्यक्रम की क्रियान्विति में पाई गई कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ बैठकों, परिचर्चाओं और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से मामले उठाये जाते हैं ।

(ग) जबकि राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए प्रयास किए गए हैं, फिर भी प्रगति एक समान नहीं की गई है और अभी भी कमी के कुछ क्षेत्र शेष रहते हैं । सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की सूचना देने और समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन किया है । कार्यक्रम के कार्यान्वयन की 19 जून, 1987 को हुई राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में समीक्षा की गई थी जिसमें कार्यक्रम की क्रियान्विति को शीघ्र और पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों पर सहमति प्रकट की गई है ।

गरीबी निवारण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण

*47. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को नई गरीबी निवारण योजनाओं के अन्तर्गत जनता को ऋण देने के लिए निर्देश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम से है जो 600 रुपए मासिक से कम आय वाले शहरी गरीब परिवारों को रियायती बैंक ऋण देने के वास्ते 1986-87 में शुरू किया गया था । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, शहरी गरीबों के वास्ते तैयार किए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के निदेश दिए गए थे । इस कार्यक्रम में सरकार से 25 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी की भी व्यवस्था है ।

(ख) शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1986-87 के वास्ते 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जबकि वर्ष 1987-88 के वास्ते 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किय गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

*48. श्री शरद दिघे :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1980-81 और 1984-85 के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित विस्तारित निधि सुविधा (ई०एफ०एफ०) और ट्रस्ट निधि के अन्तर्गत कितनी धनराशि के ऋण लिए ;

(ख) जिस समय ये ऋण लिए गए थे, उस समय इनका रुपयों में कितना मूल्य था ;

(ग) 30 अप्रैल, 1987 तक कितने रुपयों के मूल्य के बराबर धनराशि लौटाई गई ;

(घ) चालू विनिमय दर के अनुसार बकाया देनदारी की राशि कितनी है ; और

(ङ) इस ऋण की राशि का पुनर्भुगतान किस तारीख तक जारी रहेगा ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत खरीद :

भारत ने नवम्बर, 1981 से अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विस्तारित कोष सुविधा (ई०एफ०एफ०) के अन्तर्गत 390 करोड़ एस० डी० आर० (उस समय प्रचलित दर पर 4115.19 करोड़ रुपए के बराबर) की निकासी की थी । विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत निकासी एस० डी० आर० या अन्य विदेशी करेंसियों में की गई थी और इसके एवज में हर निकासी की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के हिसाब से रकम भारतीय रुपयों में भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में जमा कर दी गई थी ।

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकासियां एस० डी० आर० के रूप में थीं और वापसी अदायगियां भी एस० डी० आर० में ही की जाती हैं । इन लेन-देनों के बराबर रुपया राशियों को, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में निकासी/वापसी अदायगियों की तारीखों को प्रचलित विनिमय के आधार पर जमा/नामे डाल दिया जाता है, उनका महत्व केवल लेखा संबंधी प्रयोजनों के लिए ही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए करार के अनुच्छेदों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा धारित भारतीय रुपयों का मूल्य एस० डी० आर० में रखना होता है और प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को उस दिन रुपया एस० डी० आर० समता के आधार पर इसका पुनर्मूल्यांकन कर दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अदा की जाने वाली अतिरिक्त रुपया राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपरक्राम्य और ब्याज अर्जित न करने वाली प्रतिभूतियों के रूप में रखी जाती है जिसमें किसी नकदी का लेन-देन नहीं होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऊपर बताए गए विस्तारित कोष सुविधा ऋणों की वापसी-बक्-

यगी एस० डी० आर० अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विदेशी करेंसियों के बदले में भारतीय रुपए की पुनः खरीद करने के रूप में की जाती है और इसका हिसाब खरीद की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया जाता है । पुनः खरीदे गए भारतीय रुपयों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खाते में डेबिट तथा सरकारी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है ।

30 अप्रैल, 1987 तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 606 करोड़ एस० डी० आर० (845.43 करोड़ रुपए के बराबर) की वापसी अदायगी कर दी थी । वापस अदा की जाने वाली शेष राशि 329.4 करोड़ एस० डी० आर० (वर्तमान रुपया—एस० डी० आर० समता दर पर 5438.39 रुपए के बराबर) है । वापस अदायगी 29 अप्रैल, 1994 तक पूरी करने की योजना है ।

ट्रस्ट निधि से ऋण :

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशासित ट्रस्ट निधि से अगस्त, 1980 में 52.91 करोड़ एस० डी० आर० (विद्यमान दर पर 537.51 करोड़ रुपए के बराबर) ऋण लिए हैं । तीस अप्रैल, 1987 तक हमने 1576.38 लाख एस० डी० आर० (241.08 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि वापस अदा कर दी है और 3713.71 लाख एस० डी० आर० की राशि (वर्तमान एस० डी० आर० —रुपया समता दर पर 612.32 करोड़ रु० के बराबर) 14 अगस्त, 1990 तक वापस की जानी है ।

उत्पाद शुल्क के लम्बित पड़े मामलों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि

*49. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लम्बित पड़े मामलों में अनुमानतः कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभाव्यतः माननीय सदस्य न्यायालयों में लम्बित पड़े केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि के बारे में जानना चाहते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों में अनुमानतः 1850 करोड़ रु० (31-3-1987 की स्थिति के अनुसार) अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ख) उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुनवाई किये जाने के लिए मामले लम्बित पड़े हैं । उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों के बड़े समूह का पता लगा लिया गया है और उन्हें सुनवाई के लिए तथा निपटाए जाने के लिए सूची में शामिल करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को निदेश दिए गए हैं कि वे उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों का निपटान करवाने के लिए जोरदार कार्यवाही में लगे रहें । हाल ही में, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रधान समाहर्ताओं को अधिकार दिया गया है कि वे महत्वपूर्ण मामलों में उनके शीघ्र निपटान के लिए विशेष फीस पर वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करें ।

नौवां वित्त आयोग

*50. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवां वित्त आयोग स्थापित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और इसके निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक अपना काम पूरा कर लेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नौवां वित्त आयोग गठित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4572/87**]

"मानव द्वारा पौध रोपण"

*51. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनरोपण कार्यक्रम के मानव द्वारा पौधरोपण किए जाने की तुलना में विमान द्वारा पौधरोपण किए जाने में आर्थिक पहलुओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव द्वारा पौधरोपण अपेक्षाकृत अधिक सस्ता पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार अनेक राज्यों में व्याप्त अकाल की परिस्थितियों को देखते हुए वहां मानव द्वारा पौधरोपण कार्य को प्रोत्साहन देगी ताकि सूखे से पीड़ित जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें ?

पर्यावरण एवं वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) जी, नहीं । हवाई बीजारोपण हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग के रूप में किया गया है । हवाई बीजारोपण तकनीक विशेष-कर दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में कारगर है या नहीं, यह देखने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है ।

(ग) वन रोपण और पुनः वनरोपण में बीजारोपण का काम ज्यादातर मानव श्रम द्वारा ही किया जाता है ।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को वित्तीय रियायतें

*52. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को उदार वित्तीय रियायतें देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मछली पकड़ने की नौकाएं खरीदने के लिए गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के संबंध में ऐसे दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस प्रकार की शिथिलता पर नजर रखने का विचार है ; और

(घ) राष्ट्रीय बैंकों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को शीघ्र सहायता देने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग को दिये जाने वाले बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार इन ऋणों पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग को ऋण देने के वास्ते अलग से कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने बकाया अग्रिमों का कम से कम 16 प्रतिशत प्रत्यक्ष कृषि के लिए देना होता है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ मत्स्य उद्योग भी शामिल है। मार्च 1987 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल बकाया अग्रिमों का 16.2 प्रतिशत प्रत्यक्ष कृषि के लिए दिया था।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली सहायता में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं कि 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदन पत्रों की आठ से नौ सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए।

जोधपुर के निकट हेरोइन का जब्त किया जाना

*53. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1987 के तीसरे सप्ताह में जोधपुर के निकट 25 करोड़ रुपए मूल्य की एक क्विंटल हेरोइन पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 10/11-6-1987 को राजस्थान राज्य पुलिस ने जोधपुर में एक ट्रक को रोका और पाकिस्तान मूल की 198.975 किलो ग्राम हेरोइन पकड़ी। 14-6-87 को एक अनुवर्ती कार्यवाही में बीकानेर जिले के बांगासर गांव से 91.270 किलो ग्राम हेरोइन और पकड़ी गई थी। कानून के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिए ट्रक ड्राइवर और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था।

2. मामले में जांच-पड़ताल चल रही है।

3. पकड़े गए औषध-द्रव्य का ठीक-ठीक मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मूल्य औषध द्रव्य की शुद्धता, मूल स्रोत आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है और यह स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न होता है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा ऋणों की माफी

*54. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी/ग्रामीण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को राज्य सरकारों द्वारा माफ किए जाने के अधिकार के बारे में कोई रुख अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऋणों के इस प्रकार माफ किये जाने से विकास योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों की कार्य-क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक को, प्राकृतिक विपदाओं अथवा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में, ऋणकर्ताओं को राहत देने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, ऋण संस्थायें प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर ऋण माफ कर सकती हैं अथवा उनकी चुकौती का पुनर्निर्धारण कर सकती हैं, यदि उनको वाणिज्यिक सूझबूझ के अनुसार ऐसा करना जरूरी हो। देय रकमों को माफ करने की शक्ति आमतौर पर ऐसी संस्थाओं में निहित होती है जिन्होंने ऋणकर्ता को उधार दिया हो तथा कोई भी अन्य ऐजेंसी ऐसी देय रकमों को स्वयं माफ नहीं कर सकती।

भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार चूक करने वाले ऋणकर्ताओं की देनदारियों को चुकाने की भी घोषणा करती है तो वे ऐसी स्थिति में भी ऋण-कर्ताओं के अपेक्षित वित्तीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वसूली का वातावरण बिगड़ जाता है। ऐसे उपायों से ऋणकर्ताओं को यह उम्मीद होने लगती है कि भविष्य में अदा की जाने वाली ऋण की किस्तें भी इसी प्रकार माफ हो जाएंगी और परिणामस्वरूप ऋण चुकाने की उनकी इच्छा कमजोर हो जाती है। इसका वित्तीय संस्थाओं की अर्थक्षमता और धनराशियों का फिर से उपयोग करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे विकास कार्यों के लिए साधनों की उपलब्धता कम हो जाती है।

भारत और सोवियत संघ के बीच समझौता

*55. **श्री बुद्धि चंद्र जैन :**

श्री शांताराम नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्यो-गिकी के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समझौते से भारत को किन विशिष्ट क्षेत्रों में लाभ होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, अन्तरिक्ष और महासागर विकास विभागों के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की हाल ही की यात्रा के दौरान मास्को में 3 जुलाई, 1987 को भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दीर्घावधि सहयोग (वर्ष 2000 ई० तक) पर विचार किया गया है। इसके तीन मुख्य भाग हैं—(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों से सम्बन्धित ग्रस्ट क्षेत्रों में सहयोग, (2) विज्ञान के चुनिंदा क्षेत्रों में मूल अनुसंधान मे सहयोग, और (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भविष्य में सहयोग के लिए अन्य क्षेत्रों का पता लगाना।

ग्रस्ट क्षेत्र हैं : (1) जैव प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान, (2) पदार्थ विज्ञान, और प्रौद्योगिकी, (3) लेसर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (4) उत्प्रेरण (5) अन्तरिम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (6) सिंक्रोट्रान विकिरण स्त्रोत, (7) जल पूर्वेक्षण और (8) कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक्स।

दोनों पक्ष गणित, सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, भूमि विज्ञान, रेडियो भौतिकी और खगोलभौतिकी, परिस्थितिविज्ञान और पर्यावरण, रासायनिक विज्ञान, और जीव विज्ञान में मूल अनुसंधान के क्षेत्रों में अपने सहयोग को जारी रखने और बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त दोनों पक्ष भविष्य में सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अन्य संभावी क्षेत्रों का पता लगाने पर भी सहमत हुए।

इस कार्यक्रम को वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के द्वारा दौरों के आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यक्रमों कार्यरूप देने के लिए सहयोगात्मक वैज्ञानिक केन्द्रों अथवा समूहों के सृजन द्विपक्षीय संगोष्ठियों के आयोजन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना के आदान-प्रदान और एक दूसरे के अनुसंधान और विकास कार्य के परिणामों में आपसी भागेदारी के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए एक भारत-सोवियत संयुक्त परिषद की स्थापना के लिए दोनों पक्षों में सहमति हुई है। भारतीय पक्ष की ओर से एक सतत राष्ट्रीय नीति बनाने और समग्र रूप से समन्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति के गठन का भी निर्णय किया गया है। भारतीय पक्ष की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सोवियत पक्ष की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यू०एस०एस०आर० स्टेट कमेटी इस कार्यक्रम का समन्वय करेंगे।

(ग) यह आशा है कि भारत को एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम के अन्तर्गत सहयोग के लिए अभिनिर्धारित सभी क्षेत्रों में लाभ होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बैंकिंग निगम

*56. डा० गौरी शंकर राजहंस :

श्री मुकुल वासनिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय बैंकिंग निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी इसी प्रकार की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने गत वर्ष सुझाव दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक से अलग एक केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण स्थापित किया जाये और उसे वाणिज्यिक बैंकों के कार्य का विनियमन करने, उस पर निगरानी व नजर रखने का काम सौंपा जाय। वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन, निगरानी तथा विकास की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अलग से केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया है। इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं

*57. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "ब्लेड कम्पनियां" नामक गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मौजूदगी के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या इन "ब्लेड कम्पनियों" ने केरल तथा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में धन जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है ;

(ग) यदि हां, तो इन "ब्लेड कम्पनियों" के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का राज्यों से परामर्श करके इन गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने अथवा इन पर नियन्त्रण रखने के लिए कानून बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में "ब्लेड कम्पनियों" के नाम से जानी जाने वाली कुछ अनिगमित कम्पनियां काम कर रही हैं। इन "ब्लेड कम्पनियों" में से कुछ कम्पनियों की आन्ध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी शाखाएं हैं। बताया गया है कि ये "ब्लेड कम्पनियां" जनता से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर जमा राशियां स्वीकार करती हैं और फिर उन्हें अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों पर उधार पर दे देती हैं। ऐसे भी समाचार हैं कि कुछ अनिगमित कंपनियां मांग करने पर जमा राशियां नहीं लौटा रही हैं।

ऐसी कम्पनियों की जमा राशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III (ग) के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। इन उपबंधों में ऐसी कंपनियों के लिए एक निर्दिष्ट संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही है। इन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई करने की भी व्यवस्था है। ये शक्तियां

भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार में समान रूप से निहित हैं। सरकार का इस विषय पर कोई नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने कि अहमदाबाद, बंगलौर, कोट्टायम, मद्रास और त्रिवेंद्रम की कई कम्पनियों के खिलाफ पहले से कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया है कि केरल राज्य पुलिस ने कुछ कम्पनियों के कार्यालय पर छापे मारे हैं और दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इन कम्पनियों के मालिकों/साझेदारों को विश्वास-भंग और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हाल ही में उसने केरल सरकार के बिक्री कर आसूचना प्रशाखा के साथ मिलकर संबद्ध अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के संदेह में केरल में कई अनिगमित कम्पनियों के कार्यालय पर छापे मारे थे।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-III (ग) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है और इसलिए न्यायाधीन है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

*58. **श्री बृजमोहन महन्तो :**

श्री जी० भूपति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1986-86 और 1986-87 की अवधि के दौरान बैंकों में हर प्रकार की धोखाधड़ी के कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए और प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई ;

(ख) क्या बैंकों में धोखाधड़ी प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, यदि हां, तो इसके कारण क्या है ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों का पता लगाया गया है और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई और कितने मामलों में जांच की जा रही है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में बारबार होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए प्रबंधकीय स्तर पर कोई कमी पाई गई है और यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वर्ष 1984, 1985, 1986 और 1987 (31 मार्च, 1987 तक) में भारत में हुई धोखाधड़ियों की वारदातों की कुल संख्या, (घटना की तारीख चाहे कोई भी रही हो) और उनमें अन्तर्ग्रस्त रकमों के बारे में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना इस प्रकार हैं :—

वर्ष	धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त रकम (करोड़ रुपए)
1984	2410	45.18
1985	2157	53.48
1986	1822	44.42
1987	480	9.05
		(आंकड़े अनन्तिम)

यह जरूरी नहीं है कि उपर्युक्त अन्तर्ग्रस्त रकमें, बैंकों द्वारा अन्ततोगत्वा उठायी जाने वाली हानियों की द्योतक हों क्योंकि आमतौर पर बैंकों के पास कुछ प्रतिभूतियां, बीमा पालिसियां होती हैं और वे दीवानी मुकदमों आदि के माध्यम से वसूलियां करते हैं ।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान, धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त उन दोषी कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है, इस प्रकार हैं :—

	1984	1985	1986
(क) धोखाधड़ी के आरोप में दोष सिद्ध कर्मचारी	32	22	50
(ख) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़ी/छोटी सजा दी गयी	481	713	613
(ग) उपर्युक्त (ख) में से बरखास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	221	264	254
(घ) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन हैं	525	554	573
(ङ) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है ।	1318	1172	1139
		(आंकड़े अनन्तिम)	

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि कुल मिलाकर धोखाधड़ियां, प्रणालियों अथवा प्रक्रियाओं में किसी त्रुटि की वजह से न होकर बल्कि निर्धारित प्रक्रियाओं तथा अन्य विधियों का पालन न करने के कारण हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बैंक आन्तरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण तंत्र समेत अपने नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने तथा उसे और अधिक कारगर बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि धोखाधड़ियों और कदाचारों की घटनाओं की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। बैंक अपनी कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं को गम्भीरता से ले रहे हैं और दोषी कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की गम्भीरता के अनुसार, उन्हें सजा देने के लिए कार्रवाई करते हैं। धोखाधड़ियों को रोकने की दृष्टि से, बैंकों ने कर्मचारियों को अनुदेश पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनमें कर्मचारियों द्वारा अमल के लायी जाने वाली सावधानियां/जांच के उपाय बताए गए हैं।

जीवन बीमा निगम की पालिसियां

*59. **श्री अजय विश्वास :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की पालिसियों की शर्तें उन पालिसी धारकों के हितों के विरुद्ध हैं, जो निर्धन हैं ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी इसी प्रकार की टिप्पणी की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जीवन बीमा निगम की पालिसियों की शर्तों में कुछ संशोधन करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पीयरलैस साधारण वित्त और निवेश कम्पनी लिमिटेड के मामले में 22-1-1987 को दिए गए अपने निर्णय में उन मौजूदा उपबन्धों को बदल दिया है जिनके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम की कुछ पालिसियों के अन्तर्गत प्रीमियम की राशि को उस स्थिति में जब्त कर लिया जाता है जब पालिसीधारक चूक का दोषी पाया जाता हो और वह पहले तीन प्रीमियमों में से कोई भी प्रीमियम अदा न करे। न्यायालय का विचार था कि चूंकि पालिसी-धारकों का यह एक ऐसा अपेक्षाकृत गरीब वर्ग है जो सामान्यतया चूक का दोषी पाया जा सकता है, इसलिए प्रीमियम जब्त करने की यह प्रथा गरीब लोगों के विरुद्ध जाती है। इस मामले में होने वाली कार्रवाई में जीवन बीमा निगम एक पक्ष के रूप में न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं था। जीवन बीमा निगम ने उच्चतम न्यायालय में एक मिसलेनियस याचिका दायर की है जिसका प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र में जीवन बीमा निगम की प्रक्रिया और रिकार्ड की व्याख्या करना और जीवन बीमा निगम सम्बन्धी टिप्पणियों को कटवाना है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

गांवों में नौकरी के लिए परिव्यय

*60. **श्री बिमल कान्ति घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त आर्थिक सलाहकार परिषद् ने गांवों में नौकरी सम्बन्धी योजनाओं के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि करने के लिए कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने परिषद् की सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) गांवों में रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए परिव्यय में बहुत वृद्धि करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद् ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मकानों की मरम्मत के लिए आयकर में छूट

461. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा मकानों की मरम्मत और नवीकरण के लिए आयकर कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त छूट देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मौजूदा मकानों की मरम्मतों की लागत के प्रति आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अधीन कटौती की अनुमति दी जाती है ।

परती भूमि का विकास

462. **श्री रेणु पद दास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परती भूमि के विकास कार्य पर वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान परती भूमि-विकास के लिए क्रमशः 32754 रु० तथा 46333 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वनरोपण पर व्यय (रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यय 1985-86*	व्यय 1986-87*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3240	3127
2.	असम	1397	1826

1	2	3	4
3.	बिहार	1907	3738
4.	गुजरात	2105	2855
5.	हरियाणा	1184	1197
6.	हिमाचल प्रदेश	1228	1704
7.	जम्मू और कश्मीर	581	851
8.	कर्नाटक	1749	1935
9.	केरल	1169	1765
10.	मध्य प्रदेश	2511	4139
11.	महाराष्ट्र	2137	3698
12.	मणिपुर	217	260
13.	मेघालय	502	570
14.	नागालैंड	351	397
15.	उड़ीसा	1332	1994
16.	पंजाब	836	743
17.	राजस्थान	870	1574
18.	सिक्किम	183	202
19.	तमिलाडु	2514	3282
20.	त्रिपुरा	390	448
21.	उत्तर प्रदेश	3807	6257
22.	पश्चिम बंगाल	1400	2385
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	130	122
24.	अरूणाचल प्रदेश	370	440
25.	चंडीगढ़	27	23
26.	दिल्ली	67	85
27.	दादरा और नगर हवेली	54	48
28.	गोवा, दमन और द्वीप	109	121
29.	लक्ष्यद्वीप	4	4
30.	मिजोरम	362	512
31.	पांडिचेरी	21	31
	योग :	32754	46333

*इसमें खानिकी सेक्टर तथा ग्रामीण विकास योजनाओं का खर्च भी शामिल है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राशि

463. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वर्ष 1987-88 के वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों से संबंधित वार्षिक योजना 1987-88 के विचार-विमर्शों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए तय किए गए राज्यवार परिव्ययों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राज्य क्षेत्रक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए अनुमोदित परिव्यय के राज्यवार विवरण

(लाख रु०)

1	2
(क) राज्य	विज्ञान और प्रद्योगिक
1. आंध्र प्रदेश	61
2. अरुणाचल प्रदेश	4
3. असम	73
4. बिहार	48
5. गोवा	24
6. गुजरात	20
7. हरियाणा	80
8. हिमाचल प्रदेश	24
9. जम्मू एवं कश्मीर	22
10. कर्नाटक	100
11. केरल	540
12. मध्य प्रदेश	180
13. महाराष्ट्र	55
14. मणिपुर	20
15. मेघालय	15

16. मिजोरम	9
17. नागालैण्ड	15
18. उड़ीसा	72
19. पंजाब	25
20. राजस्थान	36
21. सिक्किम	7
22. तमिलनाडु	76
23. त्रिपुरा	56
24. उत्तर प्रदेश	280
25. पश्चिम बंगाल	63
जोड़ (राज्य) :	1905
	(लाख रु०)
(ख) संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.00
2. चंडीगढ़	15.00
3. दादरा और नगर हवेली	2.10
4. दमन और दीव	गोवा के अन्तर्गत दिए गए हैं
5. दिल्ली	17.00
6. लक्षद्वीप	2.24
7. पांडिचेरी	3.00
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	63.34
जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	1968.34

भुगतान-शेष में घाटा

494. **डा० वी० एल० शैलेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में भुगतान शेष के चालू खाते में भारत का घाटा वर्ष 1984-85 की तुलना में न केवल विशुद्ध रूप से अपितु कुल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों दोनों की प्रतिशतता में भी दुगुना था ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान-शेष में इस प्रकार की प्रतिकूल प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) चालू खाते में प्रतिकूल प्रवृत्ति मुख्यतः वर्ष 1985-86 में व्यापार घाटे में तेजी से वृद्धि होने और मुख्य रूप से निजी अन्तरण संबंधी प्राप्तियों में गिरावट की वजह से निवल अदृश्य प्राप्तियों में कमी के कारण हुई हैं।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने और आयात में वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1986-87 के अनन्तिम आंकड़ों से 20.4 प्रतिशत की उल्लेनीय वृद्धि का पता चलता है। आयात के क्षेत्र में, थोक मदों जैसे कि चीनी, खाद्य तेल और उर्वरकों आदि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उपायों पर मुख्य रूप से ध्यान रहा है।

[हिन्दी]

सूचना देने वालों को पुरस्कार देने में विलम्ब

465. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाये गये हैं जिनमें काले धन के बारे में सूचना देने वालों को पुरस्कृत नहीं किया गया है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1986-87 के दौरान उसकी क्या स्थिति है ;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना देने वालों को शीघ्र पुरस्कृत किया जाये, क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जब और जैसे ही किसी मुखबिर के लिए पुरस्कार देय हो जाता है यह उसे दिया जाता है। पुरस्कार को अन्तिम रूप से निर्णय करने की बात मामले में विभिन्न अवस्थाओं पर कार्रवाई, गुप्त छानबीन, जांच-पड़ताल, कर-निर्धारणों, अपीलों और करों के लगाए जाने और एकत्र करने पर निर्भर करती है। सरकार के ध्यान में लाए गए पुरस्कार की गैर-अदायगी के मामले सामान्यतः वे मामले होते हैं जहां या तो कोई पुरस्कार स्वीकार्य नहीं होता है या वह देय नहीं होता है। ऐसे सभी मामलों के संबंध में यथोचित समय के भीतर सूचना एकत्र करना, समेकित करना और प्रस्तुत करना संभव नहीं है क्योंकि मुखबिर द्वारा दी गई सूचना, पुरस्कार के लिए हकदारी और सम्बद्ध कार्यवाहियों से संबंधित मामलों को देश भर में फैले अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। सूचना, को एकत्र करने और उसे संकलित करने मे लगने वाला श्रम और समय अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जब कभी पुरस्कार की गैर-अदायगी का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है उसकी भली-भांति जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बैंकों को मार्गनिर्देश

466. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बैंकों को क्या मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं ;

(ख) उन मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण बैंक प्रणाली ने क्या भूमिका निभाई है ;

(ग) वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित नई योजनाएं क्या हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों जिसम कृषि अग्रिम भी शामिल है, के सम्बन्ध में सभी वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों के संदर्भ में कृषि और संबंधित गतिविधियों के वास्ते रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे किसानों को समय पर और पर्याप्त सहायता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के वास्ते उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करे । बैंकों से कहा गया था कि कृषि को दिए जाने वाले उनके अग्रिमों जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां भी शामिल है, का स्तर मार्च, 1987 तक उनके कुल बकाया ऋण के कम से कम 16 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित लक्ष्य के मुकाबल सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के कृषि अग्रिम मार्च 1987 तक 16.2 प्रतिशत हो गए थे । मार्च 1987 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम 10,431 करोड़ रुपये के थे । चाय, काफी और रबड़, मसालों आदि परम्परागत बागानों के विकास में वास्ते दिए जाने वाले मध्यावधिक और सावधि ऋण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार इन परम्परागत बागानों के वास्ते निर्धारित ब्याज दरों पर ऋण दिए जाते हैं । अलबत्ता, 5 एकड़ से कम छोटी जोत वाले परम्परागत बागानों को छोड़कर जिनके पास, संसाधन की अपनी सुविधा नहीं होती परम्परागत बागानों को दिए जाने वाले अल्पावधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के पात्र नहीं होते ।

देश में विदेशी सहयोग से कम्प्यूटरों का निर्माण

467. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग को अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर०नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए 24 इकाइयों को विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है । ये विदेशी सहयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, नार्वे, आस्ट्रेलिया, इटली तथा स्विटजरलैंड के हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी

468. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पहाड़ी राज्यों के दूर-दराज वाले 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के समान पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त हो ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) चौथे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार पर्वतों से घिरे ऐसे स्थानों पर, जो विद्यमान ऊंचाई मापदंड के अन्तर्गत भत्ता लेने के योग्य नहीं है, उस स्थिति में संयुक्त पर्वतीय भत्ता देने पर विचार कर सकती है यदि वे विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किये जाने संबंधी योजना में पहले से ही नहीं आते हो और यदि वहां की परिस्थितियों की समीपस्थ पर्वतीय स्थानों के साथ तुलना की जा सकती हो। इस मामले की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है।

परिवहन और संचार क्षेत्रों के लिए धनराशि का नियतन

469. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में परिवहन और संचार क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : उत्तर-पूर्वी परिषद और पर्वतीय क्षेत्रों सहित पूर्वी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में राज्य क्षेत्रक के अन्तर्गत परिवहन और दूर-संचार क्षेत्रकों के विकास के वास्ते वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए राज्य-वार अनुमोदित योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

उत्तर-पूर्वी परिषद सहित पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में राज्य क्षेत्रक में परिवहन और दूर संचार क्षेत्रक के विकास के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वास्ते अनुमोदित परिव्यय और पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु०)

क्रमांक	राज्यों का नाम	अनुमोदित परिव्यय		
		1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
	उत्तर पूर्वी राज्य			
1.	अरूणाचल प्रदेश	23.73	29.07	37.72
2.	असम	28.41	36.20	40.73

1 2	3	4	5
3. मणिपुर	10.30	12.15	14.87
4. मेघालय	12.50	13.10	17.52
5. मिजोरम	10.37	11.80	13.00
6. नागालैंड	12.70	15.60	17.50
7. त्रिपुरा	9.95	11.59	11.81
8. उत्तर पूर्वी परिषद	59.33	61.40	69.46
9. सिक्किम	7.56	9.89	11.41
पूर्वी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
10. बिहार	73.05	91 50	114.05
11. उड़ीसा	38.69	39.95	47.59
12. पश्चिमी बंगाल	38.70	49.00	58.20
13. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.32	52.70	20.96
पर्वतीय क्षेत्र उप योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)			
14. असम के पर्वतीय क्षेत्र	7.03	7.04	8.89
15. पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र	0.61	0.50	0.79

गरीबी निवारण हेतु राज्यवार लक्ष्य

470. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर 61.9 मिलियन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण नहीं दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ पाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या

471. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ पाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या कितनी है तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : दो विवरण (1 और 2) संलग्न हैं।

विवरण- I

1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान आर्थिक रूप से सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आर्थिक रूप से सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या		
		1984-85	1985-86	1986-87
1.	आन्ध्र प्रदेश	259631	288242	304513
2.	असम	32437	13604	14967
3.	बिहार	320463	258549	245572
4.	हरियाणा	52824	46054	46278
5.	गुजरात	70328	51550	45823
6.	हिमाचल प्रदेश	34606	27042	32087
7.	जम्मू और कश्मीर	3814	4297	1998
8.	कर्नाटक	157817	102960	114086
9.	केरल	63836	37741	60783
10.	मध्य प्रदेश	193392	187203	188113
11.	महाराष्ट्र	106440	111058	99795*
12.	मणिपुर	1409	300	360
13.	उड़ीसा	102624	78658	103511
14.	पंजाब	85083	61044	64799
15.	राजस्थान	122802	120607	120925*
16.	सिक्किम	1131	1168	1065
17.	तमिलनाडु	219913	208206	216243
18.	त्रिपुरा	7588	4367	5421
19.	उत्तर प्रदेश	479635	379639	387069
20.	पश्चिम बंगाल	290017	278054	276218
21.	चंडीगढ़	617	488	533
22.	दिल्ली	9192	8346	8029
23.	गोवा, दमन और दीव	2123	1409	1607
24.	पांडिचेरी	4661	2344	2714
	अखिल भारत (जोड़)	2622383	2272930	2326212

*आंकड़े अनन्तिम हैं और संशोधित ही किये जा सकते हैं।

विवरण-2

1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान, परिवार लाभोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1984-85	1985-86	1986-87
1. आन्ध्र प्रदेश	69865	74400	107907
2. असम	75954	21151	20431
3. बिहार	166548	122753	130352
4. गुजरात	78604	66995	75858
5. हिमाचल प्रदेश	5218	3804	5274
6. कर्नाटक	9113	12145	10954
7. केरल	6157	3433	6711
8. मध्य प्रदेश	254515	196490	241862
9. महाराष्ट्र	93269	89009	81940
10. मणिपुर	10429	4539	4500
11. उड़ीसा	134239	113299	143000
12. राजस्थान	67372	61726	86616
13. सिक्किम	1938	2800	3809
14. तमिलनाडू	11235	10059	11845
15. त्रिपुरा	18750	9730	11800
16. उत्तर प्रदेश	3155	4496	2901*
17. पश्चिम बंगाल	72555	74238	80677
18. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	896	1059	918
19. गोवा, दमन और दीव	976	741	598
कुल :	1081088	872857	1027953

*फरवरी, 1987 तक

केरल को परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए धनराशि देना

472. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए केरल में परिवहन और संचार प्रणाली के विकास के लिए वर्षवार कितनी राशि आबंटित की गई ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : केरल में

वर्ष 1985-86, 1986-88 और 1987-88 में राज्य योजना के अंतर्गत परिवहन के विकास और केंद्रीय क्षेत्रक में संचार के विकास को लिए वर्षवार परिव्यय नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु०)

	1985-86	1986-87	1987-88
		में अनुमोदित परिव्यय	
परिवहन	39.14	45.30	52.00
संचार	62.1	61.44	64.51

आंध्र प्रदेश को वन्यजीव शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि

473. **श्री सी० सम्बु** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के लिए वन जीव शिक्षा और प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रस्योजित योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार अथवा आन्ध्र प्रदेश मे विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : "प्रकृति शिक्षा और व्याख्यात्मक कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" नामक स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के तौर पर 2.00 लाख रुपए की राशि दी गई थी।

इस स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

वन्य जीवन संरक्षण के लिए नियत धनराशि

474. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) इन दो स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान निधियां राज्यवार निर्धारित नहीं की जाती है। राज्य सरकारों से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की अलग से जांच की जाती है और प्रस्ताव के गुण पर प्राथमिकता आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इन दो स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को वास्तव में बंटित निधियां संलग्न विवरण दी गई हैं।

विवरण

राज्य का नाम	दी गई निधियां (लाख रुपए में)					
	1984-85		1985-86		1986-87	
	राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य	राष्ट्रीय पार्क	अभायारण्य	राष्ट्रीय पार्क	अभायारण्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	—	7.37	—	5.32	—	8.95
असम	4.31	—	—	—	0.50	3.25
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	11.00	10.75
बिहार	—	0.27	—	—	—	1.00
गुजरात	1.76	4.40	0.05	—	0.90	2.92
गोवा	—	—	—	—	3.60	1.10
हरियाणा	—	1.34	—	1.25	—	5,17
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	10.08	1.20	7.21
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	14.34	11.45	1.50
कर्नाटक	—	16.56	—	7.85	9.64	9.78
केरल	2.00	1.00	2.94	1.05	12.10	18.29

	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	1.95	16.51	9.24	—	10.92	3.93
महाराष्ट्र	—	—	7.17	—	—	—
मणिपुर	4.41	—	3.4[illegible]	—	5.73	—
मेघालय	—	5.32	2.86	4.03	8.74	3.09
मिजोरम	—	—	—	—	—	2.10
नागालैंड	—	—	—	3.88	—	0.92
उड़ीसा	—	12.33	—	2.92	—	0.97
पंजाब	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	1.30	7.97	2.89	5.54	10.00	22-43
सिक्किम	—	—	9.79	—	6.63	—
तमिलनाडु	—	5.32	—	—	—	0.55
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	8.09	—	4.07	5.49	3.50	—
पश्चिम बंगाल	—	3.90	—	0.02	6.63	—
योग :	23.82	82.29	42.43	61.57	102.54	103.91

आंध्र प्रदेश की नदियों के पानी की गुणवत्ता की जांच करना

475. **श्री एस० पलाकोण्ड्रायुडू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश से होकर जाने वाली गोदावरी और कृष्णा नदियों पर ग्लोबल एन्वाइरनटमेंल में मानीटरिंग सिस्टम्स (जी०ई०एम०एस०) और मानिटरिंग आफ इन्डियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सिज (एम०आई०एन०ए०आर०एस०) के अन्तर्गत जल गुणवत्ता जांच केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या ऐसे और जल गुणवत्ता जांच केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सार्वभौम पर्यावरणीय प्रबोधन प्रणालियों (जी० ई० एम० एस०) के अंतर्गत क्रमशः गोदावरी और कृष्णा नदियों पर इस समय 5 और 4 प्रबोधन केन्द्र हैं । भारतीय राष्ट्रीय जलीय संशोधनों (एम० आई० एन० ए० आर० एस०) के प्रबोधन के अंतर्गत किन्ही प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई थी । इन केन्द्रों के स्थान ये हैं :

नदी	सार्वभौम पर्यावरणीय प्रबोधन प्रणालियों (जी० ई० एम० एस०) के अंतर्गत स्थान
कृष्णा	(1) विजयवाड़ा-1
	(2) विजयवाड़ा-2
	(3) डमारापाडू
	(4) गडवाल
	(5) वेदनापल्ली
गोदावरी	(1) मंचेरियल
	(2) पोलावरम
	(3) मंचेरियल
	(4) परथागुडम (रडावी आश्रम)

(ख) जी, हां ।

(ग) ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा राशि निवेश में कमी

476. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के शेयर और डिबेंचर के निवेश में भारी कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को भारत में और अधिक राशि निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) अनिवासी भारतीयों के निवेश से संबंधित नीति पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जाते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा बड़ी परियोजनाओं को सहायता देने का सुझाव

477. **श्री एच० वी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा छोटे आकार की परियोजनाओं के बजाय बड़े आकार की परियोजनाओं को सहायता दिये जाने एवं कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव का कड़ा विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य सुझावों के संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य देशों द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की शासी परिषद की सबसे हाल में सम्पन्न हुई बैठक में इस सुझाव का कड़ा विरोध किया गया था ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता सामान्यतया प्रौद्योगिकीय अभावों को दूर करने अथवा विकासशील देश में मानव ससाधनों का विकास करने के प्रयोजन से सापेक्षिक रूप में छोटी पूरक तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली परियोजनाओं के लिए मिलती रही है । चूंकि कुछ एक दाता देशों की सरकारें निकट से परियोजनाओं का अनुवीक्षण करना चाहती थीं और इसी बात को ध्यान में रखते हुये वृहत्तर आयाम वाली कम संख्या में परियोजनाएं शुरू करने का सुझाव दिया गया था । इस आशय का सम्भवत: सुझाव इसी उद्देश्य को इस तरह के दृष्टिकोण से विकासशील देशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परियोजनाओं का सुनिश्चयन करने की सरकारों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था ।

बहुत से अन्य विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस बात का समर्थन किया था ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योग यूनिटों की पुनर्स्थापना

478. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी लघु उद्योग इकाइयों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सी लघु उद्योग इकाइयां बन्द हो गई हैं ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के लाभ के लिए और उन्हें फिर से चालू करने के लिए "पुनर्स्थापन शिविर" आयोजित करने की योजना बना रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) लघु उद्योग यूनिटों को धन की कमी के कारण बन्द होने से बचाने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सबसे हाल की रिपोर्ट के अनुसार जून, 1986 के अन्त में लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की संख्या 128687 थी। औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर इस बात का जोर दिया है कि वे रुग्णता का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगाएं और सावधि ऋणदाता संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वित प्रयास करें। बैंकों पर इस बात का भी जोर दिया गया है कि औद्योगिक इकाइयों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की व्यवस्था परियोजनाओं के चालू होने से काफी पहले ही की जानी चाहिए और उनके लिए आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। लघु उद्योग इकाइयों की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने और उनका पुनरुद्धार करने के लिए उन्हें रियायतें तथा राहत देने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से मानक निर्धारित किए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1986-87 में तीन स्थानों पर—दो महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में बैठकें आयोजित की थीं ताकि पुनरुद्धार पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं की पहले से बेहतर जानकारी प्रदान की जा सके और लघु उद्योग इकाइयों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक का कुछ अन्य चुने हुए केंद्रों में ऐसी ही बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग

479. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उन केंद्रीय परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं जिनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में धन आवंटित किया गया था ;

(ख) क्या सम्पूर्ण धन उपयोग में लाया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के लिए वेतन निर्धारण

480. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1986 से नये वेतनमान स्वीकार करने वाले पुनर्नियोजित पेंशनभोगी व्यक्तियों के वेतन के बारे में सरकार के हाल ही के आदेश के परिणामस्वरूप उनकी उपलब्धियां कम हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(ग) क्या 1 जनवरी, 1986 से नए वेतनमान स्वीकार करने वाले पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों

को सरकारी आदेश में इस अनुबंध के कारण कि पेंशन, पेंशन के समान उपदान और वेतन उसके अंतिम अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए, अपने वेतन और भत्ते के बकाया राशि सरकार को वापिस करनी पड़ी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन ऐंगती) : (क) जी, नहीं। मौजूदा आदेशों के अनुसार, जहां पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी सहित, किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में नियमों के अनुसार गणना की गयी वर्तमान परिलब्धियां, संशोधित वेतनमान में उसका वेतन निर्धारण किए जाने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर की राशि को उसके वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में विलयित किए जाने वाले व्यक्तिगत वेतन के रूप में मंजूर किया जाएगा।

(ग) ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए क्योंकि पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के संशोधित वेतनमान में आने के विकल्प के आधार पर जब उसका वेतन पुनःनिर्धारित किया जाता है तो ऐसी कोई शर्त नहीं है।

अलग परती भूमि बोर्डों की स्थापना

481. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य की राजधानी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान ऐसे परती विकास भूमि विकास बोर्डों की स्थापना की जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पहली फरवरी 1986 को हुई प्रथम राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा परती भूमि विकास परिषद की बैठक के पश्चात सभी, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे परती भूमि विकास योजनाओं के लिए ग्रन्थिम (नोडल) एजेन्सियों का गठन करें।

(ख) से (घ) बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की सिफारिशों पर कार्रवाई कर ली है और बोर्ड/समिति का गठन कर लिया है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने परती भूमि विकास की जिम्मेवारी वर्तमान निकायों को सौंप दी है जैसे राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, राज्य योजना आयोग आदि। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ने हाल ही में ऐसी एजेन्सी स्थापित की है।

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना

482. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के पहले तीन महीनों में विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारियों को छोड़कर) जो 31-3-87 को 7645.17 करोड़ का था घटकर 30 जून, 1987 को 7276.44 करोड़ रुपए रह गया है। इस अवधि में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में होने वाली घटबढ़ को प्रभावित करने वाले अलग-अलग कारणों के ब्यौरे तथा भुगतान शेष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ऋण परिशोधन और देश की वस्तुओं और सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं के बारे में देश की वचनबद्धताओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर पर लगातार नजर रखी जाती है।

केरल में वन क्षेत्र

483. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ाया जाता है ; और

(ख) इस संबंध में क्या विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केरल में प्रतिवर्ष बढ़ाए जा रहे वनों की प्रतिशतता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) राज्य क्षेत्र की वनीकरण की स्कीमों से अलग, राज्य में "पारि-संवेदी गैर-हिमालय क्षेत्रों में ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण और वनीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी स्कीमें आरम्भ की जाती हैं।

विदेशी साम्य पूंजी की भागीदारी में वृद्धि की मांग

484. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी भागीदारी साम्य में अत्यधिक वृद्धि करने की मांग की जा रही है ताकि उसे भारतीय माना जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कुछ एक मंचों से विदेशी सामान्य शेयरधारिता के रूप में भागीदारिता की वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है। इस दिशा में सरकार की नीति विदेशी निवेश के संबंध में चयनात्मक चली आ रही है। वर्ष 1983 की प्रौद्योगिकी नीति के वक्तव्य में भी इस बात को दुहराया गया था। इस नीति के अन्तर्गत हम अल्पसंख्यक आधार पर अधिक से अधिक 40 प्रतिशत तक की विदेशी भागीदारिता को ही तरजीह देते हैं। तथापि यह नीति लोचदार है और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं

तथा उच्च निर्यात प्रधान परियोजनाओं में इससे अधिक विदेशी सामान्य शेयरधारिता की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

ऋणों को बट्टे खाते डालना

485. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने कुछ राज्य सरकारों, जहां समाज के कमजोर वर्गों के ऋणी लोगों से ऋण की वसूली नहीं की जा सकी, के 400 करोड़ रुपए से भी अधिक ऋण बट्टे खाते डालने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या आठवें वित्त आयोग ने विश्व बैंक द्वारा पुनर्निर्धारण के समान ऋणों की राशि का पुनर्निर्धारण करने की सिफारिश भी की थी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राज्यों को ऋण से राहत प्रदान करने के उपायों के भाग के रूप में, आठवें वित्त आयोग ने 1984-89 के दौरान 12 राज्यों (असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) द्वारा केन्द्र सरकार को की जाने वाली ऋणों की वापसी के संबंध में 405.20 करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते डालने की सिफारिश की थी।

(ख) आयोग ने 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान सिक्किम और उत्तर प्रदेश) के मामले में, सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर समेकित 1979 से पूर्व के ऋणों और 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों को समेकित करने तथा पुनः निर्धारित करने की भी सिफारिश की। आयोग ने 1979-84 के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए अन्य सभी केंद्रीय ऋणों (विस्थापित व्यक्तियों, स्वदेश लौटने वालों आदि को राहत और पुनर्वास, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन दिए गए ऋण, 1982-83 और 1983-84 के दौरान ओवरड्राफ्टों के निपटान के लिए दिए गए ऋण, लघु बचत उगाहियों के बदले दिये गए ऋण और हीराकुंड चरण-1 के लिए उड़ीसा को दिए गए ऋणों से भिन्न ऋणों) की 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों के संबंध में सभी राज्यों के लिए समेकन तथा पुनः निर्धारण की सिफारिश की। समेकित ऋणों की वापसी 1984-85 से प्रारम्भ होनी थी।

(ग) 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, 1985-89 के दौरान प्रत्येक वर्ष 81.04 करोड़ रुपए की दर पर 324.16 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों की वापसी को बट्टे खाते डालने की मंजूरी दे दी गई है। इसी प्रकार, आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित बाकी पड़े केन्द्रीय ऋणों को 1985-86 से समेकित और पुनः निर्धारित करने की मंजूरी दे दी गई है।

फेयर फैक्स संबंधी ठक्कर-नटराजन जांच आयोग

486. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेयर फैक्स संबंधी ठक्कर-नटराजन जांच आयोग का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग का कार्यकाल 5 अक्तूबर, 1987 तक बढ़ा दिया गया है।

विरल मृदा(रेअर अर्थ्स) का निर्यात

487. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोपालपुर पत्तन, उड़ीसा से विरल मृदा (रेअर अर्थ्स) के निर्यात का क्या लक्ष्य था और वास्तव में कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) यदि निर्यात कम हुआ तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) गोपालपुर जोकि उड़ीसा का अक्तूबर से मार्च तक खुला रहने वाला मौसमी पत्तन है, 22 फरवरी, 1987 को जहाजरानी के लिए खोला गया था । उस समय से अब तक इस पत्तन से 2800 मीटरी टन भार के उत्पादों का निर्यात किया जा चुका है । 1987-88 में जहाजरानी के मौसम में गोपालपुर से लगभग 20,000 मीटरी टन भार के उत्पादों का निर्यात होने की आशा है । इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के उड़ीसा रेत सम्मिश्र संयंत्र द्वारा पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने पर निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है ।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी कम्पनियों के लिए पृथक वित्त निगम स्थापित करना

488. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी कम्पनियों के लिए एक पृथक वित्त निगम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, कब तक और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा ; अनुमानतः इसकी प्रारम्भिक पूंजी कितनी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाएं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अखिल भारतीय स्तर पर सावधि ऋण मंजूर करती है । ये संस्थाएं अन्यों के साथ-साथ गैर-सरकारी कंपनियों को भी सावधि ऋण मंजूर करती हैं । व्यापारिक नौवहन जलयान और मत्स्य ट्रालर खरीदने के वास्ते दिसम्बर 1986 में भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी लि० की स्थापना की गई थी । गैर-सरकारी कंपनियों को सावधि ऋण मंजूर करने के वास्ते अलग से अखिल भारतीय वित्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति की दर

489. **श्री जी० भूपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुद्रास्फीति की दर तथा मूल्यस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान मुद्रास्फीति की कुल क्या दर रही है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 की तुलना में यह कितना कम रही है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) थोक कीमत सूचक अंक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 1985-86 में 3.8 प्रतिशत और 1986-87 में 5.3 प्रतिशत थी। 11 जुलाई, 1987 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के 15 सप्ताहों के दौरान कीमतों में हुई वृद्धि पिछले दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति के साथ-साथ नीचे दर्शाई गई है :

1987-88	...	4.8 प्रतिशत
1986-87	...	5.4 प्रतिशत
1989-86	...	4.5 प्रतिशत

आय-कर संबंधी छापे

490. **श्री उत्तमराव पाटिल :**

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाईमावणि :

श्री उत्तम भाई एच० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में मारे गये आय कर संबंधी छापों की संख्या की मासिक ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने व्यक्तियों तथा उद्योगपतियों के परिसरों पर छापे मारे गए ;

(ग) इन छापों में उनसे कितना धन बरामद हुआ और प्रत्येक व्यक्ति तथा उद्योगपति की ओर आय कर का कितनी अनुमानित राशि बकाया है ;

(घ) इस संबंध में कितने लोगों पर मुकदमें चलाये गये हैं ; और

(ङ) इन मुकदमों के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से) (ग) आयकर विभाग ने निम्नलिखित अनुसार तलाशियां ली थीं :—

अवधि	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई लेखाबाह्य परिसंपत्तियों का प्रथम दृष्टया मूल्य
		(करोड़ रुपयों में)
9-4-86 से 31-3-87	7054	100. 0
1-4-87 से 30-6-87	1834	14.56

ली गई तलाशियों की संख्या अधिक होने के कारण, इनका मास-वार ब्यौरा प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं होगा । अपवंचित कर की राशि का पता कर-निर्धारणों के निर्णीत हो जाने के बाद ही चल सकेगा ।

(घ) और (ङ) आय-कर विभाग द्वारा चलाई गए मुकदमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

अवधि	चलाए गए मुकदमों की संख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या
1-4-86 से 31-3-87 तक	5258	66
1-4-87 से 30-6-87 तक	63	26

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिए आवासीय स्कूल

491. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान आदिवासियों के लिए कितने आवासीय स्कूल खोले गए हैं और कहां-कहां खोले गए हैं ;

(ख) इन स्कूलों में प्रत्येक छात्र को कितना मासिक व्यय करना होता है ; और

(ग) इन स्कूलों में कितने लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

वन्य जीव अभ्यारण्य

492. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हैं और राज्यवार उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) देश में 266 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं । संलग्न विवरण में राज्य-वार ब्यौरा दिखाया गया है ।

(ख) वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा की जाती है । भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या
1	2
अण्डमान और निकोबार	5
आन्ध्र प्रदेश	15
अरूणाचल प्रदेश	4
असम	9
बिहार	12
चण्डगढ़	—
दमण और दीव	—
दिल्ली	1
गोवा	3
गुजरात	12
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	28
जम्मू और कश्मीर	12
कर्नाटक	16
केरल	11
मध्य प्रदेश	31
महाराष्ट्र	11
मणिपुर	—
मेघालय	3

1	2
मिजोरम	1
नागालैन्ड	4
उड़ीसा	16
पंजाब	5
राजस्थान	19
सिक्किम	3
तमिलनाडु	10
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	14
पश्चिम बंगाल	15
कुल	266

अमरीका की हैमलॉक से पालीसिलिकॉन का सौदा

493. **श्री अमल दत्त :**

श्री बाई० एस० महाजन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री एच० एम० पटेल :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलीसिलिकॉन तकनीक प्राप्त करने के लिए अमरीका की हैमलॉक सेमीकंडक्टर्स इंक के साथ किया गया अनुबंध इस बीच समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुबंध रद्द किए जाने के क्या कारण है और इसका क्या आर्थिक प्रभाव होगा ; और

(ग) क्या देश की पोलीसिलिकॉन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में ही वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पालीसिलिकन की वार्षिक आवश्यकता जो पहले लगभग 200 टन आंकी गई थी, उसे अब संशोधित करके लगभग 30 टन कर दिया गया है । यह भी पता चला है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास से इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है । मेटकेम सिलिकेन ने एक संयंत्र की स्थापना की है जिसकी पालीसिलिकन की वार्षिक उत्पादन-क्षमता लगभग 25 टन है । राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पालीसिलिकन के लिए परीक्षण के तौर पर प्रति वर्ष एक टन की उत्पादन क्षमता के प्रायोगिक संयंत्र पर कार्य कर रही है ।

मैसर्स हेमलॉक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे 4.69 लाख अमरीका डालर तथा करार को रद्द करने के लिए उसे 200,000 अमरीकी डालर का कुल भुगतान किया जाएगा।

यह तकनीकी जानकारी एक संयंत्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध है तथा इसके साथ मैसर्स हेमलॉक सेमीकण्डक्टर्स इन्कारपोरेटिड को सम्बद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है।

पुनर्वास परिषद की रिपोर्ट

494. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष, 1986 में स्थापित की गई पुनर्वास परिषद् ने विकलांगों के कल्याण से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पुनर्वास परिषद् एक स्वायत निकाय है जिसका गठन कल्याण मन्त्रालय द्वारा, प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक लागू करने, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण करने, विभिन्न पुनर्वास व्यवसायियों के लिए योग्यता निर्धारित करने, विकलांक व्यक्तियों के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने और इस क्षेत्र में व्यवसायियों के लिए विभिन्न योग्यताओं को मान्यता देने के लिए, किया गया है। परिषद् ने 14 पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

पुनर्वास परिषद् द्वारा अन्तिम रूप दिए गए पाठ्यक्रमों की सूची :

1. श्रवण, भाषा और वाणी पाठ्यक्रम में बी० एस० सी० डिग्री
2. श्रवण, भाषा और वाणी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
3. बी० एंड अध्यापकों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम (एच-1) स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम
4. श्रवण विकलांगता डी० एंड में अध्यापक प्रशिक्षण डिग्री पाठ्यक्रम
5. बी० एस० सी० फिजियो थ्रेपी पाठ्यक्रम
6. प्रास्थेटिक और आर्थोटिक इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम
7. कुष्ठरोग पिलियो थ्रेपी तकनीशियनों के लिए पाठ्यक्रम
8. विशेष शिक्षा (मानसिक विकलांगता) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम
9. दृष्टिबाधितार्थ बच्चों के लिए प्राथमिकता स्तर पर अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम
10. दृष्टिबाधितार्थ बच्चों के लिए सैकेन्डरी स्तर पर अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम
11. विकलांगों के लिए समेकित स्कूल के अध्यापकों के विकास के लिए पाठ्यक्रम (18 दिन की अवधि)
12. रोजगार अधिकारियों के लिए पुनर्वास में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (एक मास की अवधि)

13. मनोवैज्ञानिकों के लिए मानसिक विकलांगता में पाठ्यक्रम (4 मास की अवधि)

14. सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मानसिक विकलांगता में पाठ्यक्रम (एक मास की अवधि)।

भारत में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय करना

495. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री कृष्ण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यानयूनाइटेड नेशन्स फंड फार ड्रग एब्यूज कंट्रोल (यू० एन०एफ० डी० ए० सी०) के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में पाई जाने वाली अस्सी प्रतिशत हेरोइन की भारत से होकर तस्करी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए यू० एन० एफ० डी० ए० सी द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनाइटेड नेशंस फंड फार ड्रग एब्यूज कंट्रोल द्वारा किए गए ऐसे किसी मूल्यांकन की सूचना नहीं मिली है। तथापि सरकार ने नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार के खिलाफ जोरदार निरोधक उपाय शुरू किए हैं जिनमें निवारक तथा आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अधिकारियों तथा मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, विविध नशीले औषध-द्रव्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों, आदि के बीच अधिक-से-अधिक सहयोग करना आदि शामिल हैं।

(ग) पहले किए गए उपायों और उनसे हासिल परिणामों को ध्यान में रखते हुए, यू० एन० फंड फार ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध धंधा और औषध-द्रव्यों का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए, जिसके संबंध में सरकार के साथ संयुक्त रूप से समझौता किया जाना है, 20 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया है।

इस सिलसिले में दिनांक 5-6-1987 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी अध्ययन

496. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :**

श्री सलीम आई० शेरवानी :

श्री मुकुल वासनिक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किये गए एक अध्ययन से सरकार को यह पता चला है कि देश में नशीले पदार्थों के सेवन में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में विशेष रूप से युवकों को लगी इस बुरी आदत को छुड़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) कोई व्यापक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है और इसलिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है । फिर भी, चार महानगरों और पांच अन्य शहरों में छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक बहुकेन्द्रित अध्ययन शुरू किया गया था । अध्ययन के संबंध में प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जो परिणाम निकले हैं उनसे पता चलता है कि सामान्यत: छात्रों में व्यसनियों की दरों में कमी आई है ।

(ग) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जैसे परामर्श और मार्गदर्शन, निर्व्यसन, पुनर्वास और जागरुकता निर्माण कार्यक्रम । उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने और समाज के विभिन्न वर्गों जिसमें छात्र समुदाय भी शामिल है, के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है । नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से उन्हें अवगत कराने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

केन्द्र का योजना परिव्यय

497. श्री भद्दम वीराम मूर्ति : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि केन्द्र का सारा योजना परिव्यय ऋण ली गई राशियों से पूरा किया गया ;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों का शुद्ध शुद्ध आन्तरिक ऋण, जो वर्ष 1974-75 में सकल देशी उत्पाद का 34.3 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 1985-86 में 55 प्रतिशत हो गया ;

(ग) छठे, सातवें और आठवें वित्त आयोग द्वारा हमारे राज्यों को कितनी ऋण राहत दी गई ; और

(घ) क्या योजना आयोग संसाधनों के अन्तरण और सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को बजट सहायता में कमी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले वित्त आयोग के निदेशपदों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सातवीं योजना में पहले ही यह उल्लेख किया गया है कि बजटीय बचतों की कमी होने और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पर्याप्त आन्तरिक संसाधन सृजित न किए जा सकने के कारण सरकारी क्षेत्रक के परिव्ययों की वित्त व्यवस्था के लिए उधार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है । योजना के पहले दो वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों सहित, केन्द्र के योजना-परिव्यय के लगभग चौथे-पांचवें भाग का वित्त पोषण उधार द्वारा किए जाने का अनुमान है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्र सरकार को ऋणों की वापसी अदायगी करने के संबंध में छठे, सातवें और आठवें वित्त आयोग द्वारा यथा-स्वीकृत ऋण राहत निम्नलिखित है :—

	अवधि	राशि (करोड़ रु०)
छठा वित्त आयोग	1974-79	1969.62
सातवां वित्त आयोग	1979-84	2155.80
आठवां वित्त आयोग	1985-89	2285.39

(घ) नवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और अन्यों के अलावा योजना आयोग के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इसके विचारार्थ विषय पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

सरकारी विभागों का संस्थापन व्यय

498. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के स्थापना व्यय में कमी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करने के लिए सतत् आधार पर उपाय किये जाते हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक/विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किए गए कार्य मापन अध्ययनों के जरिये फालतू स्टाफ की पहचान करने तथा पता लगाने और ऐसे पदों के सृजन को रोकने के प्रयास किए जाते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। मंत्रालयों/विभागों को भी सलाह दी गई है कि वे श्रम-बचतकारी संयंत्र और कम्प्यूटर स्थापित करने के प्रस्तावों में कर्मचारियों के उपयुक्त प्रशिक्षण और पुनः नियतन के विशिष्ट समय-बद्ध कार्यक्रमों को शामिल करें।

टेलीफोनों, स्टाफ कारों, पैट्रोल की खपत और गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा किये जाने जैसे कार्यालय व्ययों को भी नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं।

रुग्ण उद्योगों को ऋण

499. **डा० चिन्ता मोहन** :

श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुग्ण उद्योगों के लिए जारी किये जाने वाले सरकारी ऋण की राशि में प्रति वर्ष वृद्धि की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष वार जारी किए गए ऋणों की राशि क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1984, 1985 और 1986 (सबसे हाल के उपलब्ध) के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के जून के अन्त में, रुग्ण इकाइयों के नाम बैंक ऋणों की बकाया रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

के अन्त में	(करोड़ रुपए)
जून, 1984	327 .91
जून, 1985	3805.17
जून, 1986	4665.23

(ग) से (ङ) अपनी बकाया रकमों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से ऋण खातों पर बराबर नजर रखने की अपेक्षा की जाती है। बैंक अपने पोर्ट फोलियो के रुग्ण एककों का संभाव्यता अध्ययन करते हैं और पुनरूद्धार की उपयुक्त मिलीजुली योजना तैयार करके संभावित अर्थक्षम इकाइयों का वित्त पोषण करने का प्रयास करते हैं। यदि इकाइयां अलाभकर पाई जाएं, तो बैंक कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुग्णता के बारे में 1980 में एक नमूना सर्वेक्षण किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब यह अध्ययन पुराना पड़ गया है, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से एक नया अध्ययन करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

आयात और निर्यात शुल्क से प्राप्त राजस्व

500. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987 से 1 जुलाई, 1987 तक आयात और निर्यात शुल्क में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इससे राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अप्रैल से जून, 1987 तक के दौरान सीमाशुल्क से प्राप्त निवल-राजस्व अनन्तिम रूप से 2, 940.58 करोड़ रुपए बैठता है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की वसूली की तुलना में 11% अधिक है।

उत्तर बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

501. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सीमावर्ती बिहार के जिलों में बड़े पैमानों पर सामान की तस्करी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी-जून, 1987 की अवधि के दौरान बिहार में प्रत्येक जिले में पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वहां तस्करी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिऐ क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि समस्त भारत-नेपाल सीमा के आर-पार का क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों के लिए सुगम्य बना हुआ है ।

(ख) जनवरी से जून, 1987 के दौरान भारत-नेपाल सीमा के बिहार जोन में अभिगृहीत की गई मुख्य-मुख्य जिन्सों का उल्लेख करते हुए ऐसे माल का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

जिंस	मूल्य
सोना	0.87
घड़ियां	0.25
संश्लिष्ट फैब्रिक्स	15.70
संश्लिष्ट यार्न	22.96
अनिष्ट कर औषध-द्रव्य	110.00
अन्य	139.47
जोड़	289.95

बिहार के प्रत्येक जिले में अभिगृहीत माल का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) समस्त भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है । केन्द्रीय और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बिठाकर समुचित तस्करी रोधी उपाय किए जाते हैं । परिणामतः भारत-नेपाल क्षेत्र में अभिगृहीत माल के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित अभिग्रहण संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट है :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

1984	1985	1986	1987 (जून तक)
1.81	6.08	8.95	5.57

[अनुवाद]

एड इंडिया कंसोरटियम की पेरिस में बैठक

502. **श्री कृष्ण सिंह :**

डा० श्रीमती टी० कल्पना देवी :

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में पेरिस में आयोजित एड इंडिया कंसोरटियम की बैठक में भारत ने अपनी आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए निरन्तर रियायती सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के लिए एड इंडिया कंसोरटियम कुल कितनी धनराशि की सहायता देने पर सहमत हुई है ;

(ग) क्या सहायता की शर्तों में कोई संशोधन हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत को उसकी अपेक्षाओं के अनुसार सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सहायता संघ द्वारा कुल 5.4 अरब संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की सहायता के वचन दिए गए थे । डेनमार्क, कनाडा और जापान जैसे कुछ सदस्य देशों ने अपनी-अपनी सहायता शर्तों को उदार बनाया है । सहायता की रकम संतोषजनक रही है ।

पश्चिम बंगाल ऋण जमा अनुपात

503. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात कितना है ;

(ख) सम्पूर्ण देश का रिण-जमा अनुपात कितना है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने के लिए कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर 1986 के अन्त में देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऋण : जमा अनुपात 61.84 प्रतिशत था जबकि पश्चिम बंगाल में यह 46.9 प्रतिशत था ।

पश्चिम बंगाल में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था और उनसे बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने और राज्य में ऋण : जमा अनुपात में सुधार करने के वास्ते कारगर उपाय करने का अनुरोध किया था । बैंकों से यह भी कहा गया था कि जिला ऋण आयोजनाएं और वार्षिक कार्य आयोजनाएं तैयार करते समय उनका प्रयास, यदि आवश्यक हो तो, नई बैंक योजनाएं तैयार करके संबंधित जिलों में बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ाना होना चाहिए ।

नगर प्रशासन के लिए अखिल भारतीय संवर्ग

504. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर पालिकाओं के प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए अखिल भारतीय संवर्ग बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस समय यह मामला किस स्तर पर है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) नगर पालिकाओं के प्रशासन के लिए किसी अखिल भारतीय संवर्ग का सृजन करने का, इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में वित्तीय अनियमितताएं

505. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र (रीजन) में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की कुछ शाखाओं में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन मामलों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जब बैंकों की शाखाओं के खिलाफ परेशान करने, धोखाधड़ियों, अनियमित अग्रिमों, वित्तीय अनियमितताओं, शक्तियों का दुरुपयोग करने आदि जैसे आरोपों की शिकायतें मिलती हैं, तब उनकी जांच करने/उन पर उचित कार्यवाही करने के लिए बैंकों के पास भेज दिया जाता है । सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, दिल्ली अंचल में कथित अनियमितताओं; बढ़ती हुई धोखाधड़ियों, वित्तीय कुप्रबंध के स्पष्ट कृत्यों, शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में हाल में माननीय सदस्य से भी एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है । यह शिकायत जांच और उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए बैंक के पास भेज दी गई है ।

[अनुवाद]

कोर्ट फी स्टाम्पों और न्यायिकेत्तर स्टाम्प पेपरों की सप्लाई

506. श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री भद्रेश्वर तांती :
डा० बी० वेंकटेश :
श्री मोहनभाई पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक सिक्योरिटी प्रेस से दिल्ली ट्रेजरी को भेजे गए "कोर्ट फी-स्टाम्प पेपर" के कुछ प्रेषण गुम हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 'कोर्ट फी स्टाम्प, के प्रेषण के गुम होने के बारे में सरकार द्वारा कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले और भविष्य में सारे देश में 'कोर्ट फी स्टाम्प' और न्यायकेत्तर स्टाम्स पेपरों की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत प्रतिभूति

मुद्रणालय (इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस), नासिक से रेलगाड़ी द्वारा भेजे गए कोर्ट फी स्टाम्पों के एक प्रेषित माल को रास्ते में देरी हो गई थी। यह माल दिल्ली ट्रेजरी को अब प्राप्त हो चुका है।

(ग) यह प्रेषित माल गुम हो गया था चूंकि यह नासिक से दिल्ली को रेल मार्ग के दौरान गलत जगह पर रखा गया था। भारत प्रतिभूति मुद्राणालय, नासिक में उत्पादन 3.5 लाख अदद प्रतिदिन से बढ़ाकर 7.82 लाख अदद प्रतिदिन कर दिया गया है। सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में गैर-अदालती स्टाम्पों के मुद्रण के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं।

सामाजिक वानिकी योजना

507. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना की अवधि में सामाजिक वानिकी पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) सातवीं योजना अवधि के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए कुल धनराशि क्रमशः 32754 रु० तथा 46333 रु० की व्यवस्था की गई थी। 1987-88 के लिए 65216 लाख रु० रखे गए हैं।

(ख) उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है; वे इस प्रकार हैं :—

1985-86 असम (99%), गुजरात (98%), हरियाणा (99%), उड़ीसा (90%)

1986-87 आन्ध्र प्रदेश (96%), कर्नाटक (93%), महाराष्ट्र (99%), मणिपुर (93%), उड़ीसा (97%), तमिलनाडु (83%), त्रिपुरा (82%), दादरा व नगर हवेली (70%) गोवा दमन व द्वीप (96%)

जन सहयोग पाने में कठिनाइयों तथा क्षेत्र में अपर्याप्त आधारभूत ढांचे के कारण राज्य सरकारें लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन परिकलक आंकड़ों द्वारा कारगर बनाया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक परिचालन गाइड पुस्तिका तैयार की गई है।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लाटरी टिकटों की बिक्री

508. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्दौर, मध्य प्रदेश से प्रकाशित दैनिक "भास्कर" के दिनांक 25

मई, 1985 के अंक में "इन्दौर बैंक लाटरी का मोहरा कर्मचारी नेता मौन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर की विभिन्न शाखाओं द्वारा कुल कितने मूल्य के लाटरी टिकट बेचे गए और उन्होंने किन नियमों के अंतर्गत इन्हें बेचा ;

(घ) क्या यह सच है कि बैंक ने लाटरी टिकटों की बिक्री के संबंध में कुछ परिवर्तन किये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस घोटाले में कितने अधिकारी, मजदूर संघ नेता सम्मिलित पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है तथा इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है ।

(ख) से (ङ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि इन्दौर के टेबल टैनिस स्टेडियम का निर्माण करने के वास्ते धन जुटाने में सहायता प्रदान करने के लिए इंदौर टेबल टैनिस ट्रस्ट की ओर से लाटरी टिकट बेचने के संबंध में मई 1985 में उसके प्रधान कार्यालय ने 162 शाखाओं और दो अंचल कार्यालयों के नाम परिपत्र जारी किया था । बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा कुल 4,29,680 रुपये के मूल्यके लाटरी टिकट बेचे गए ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसार कोई बैंक अपने कारबार को बढ़ाने या उसके संवर्धन के अनुरूप उपाय कर सकता है । स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि यह कार्य बैंक के लिए जमा राशियां जुटाने और बैंक के कार्य क्षेत्र में खेल संवर्धन को समर्थन प्रदान करके सद्भावना पैदा करने के लिए किया गया था । इस सेवा पर कोई कमीशन नहीं लिया गया ।

बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि लाटरी टिकटों की बिक्री में कोई घोटाला नहीं हुआ था और इस प्रकार इसमें किसी के अंतर्गत होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि

509. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से गरीब और मध्य वर्ग के लोगों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यों पर दबाव का मुख्य कारण लगातार दूसरे वर्ष कमजोर मानसून का होना है जिसके

कारण आम उपभोग की बहुत-सी मदों जैसे कि खाद्यान्न, फल तथा सब्जियां, खाद्य तेल और चाय के उत्पादन और उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ग) सरकार द्वारा मांग और पूर्ति दोनों ही दिशाओं में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को खाद्यानों की पूर्ति करना, चीनी और खाद्य तेलों को नियमित रूप से जारी करना, तथा प्रणाली से नकदी बाहुल्य को समेटना शामिल है ।

कृषि वित्त के लिए नई योजनाएं

510. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भेड़, बकरी तथा अन्य मवेशी पालने के लिए कृषि वित्त की कुछ नयी योजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जारी करना

511. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का डाकघरों के कार्यभार को कम करने तथा लोगों को असुविधा से बचाने के लिए इन राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

उत्पाद-शुल्क अपवंचन के मामले दायर करना

512. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री एस० जयपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद-शुल्क का अपवंचन करने वाली अनेक फर्मों के विरुद्ध जनवरी, 1986 से मुकदमे दायर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा अनुमान है कि "मुकदमें" शब्द

से माननीय महोदय का तात्पर्य अभियोजन से है । यह सच है कि सरकार ने जनवरी 1986 से नई फर्मों/व्यष्टियों के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन किए जाने के लिए अभियोजन चलाए हैं।

(ख) जनवरी से दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान 177 अभियोजन चलाए गए हैं और जनवरी से जून, 1987 तक की अवधि के दौरान 41 अभियोजन चलाए गए हैं। ये अभियोजन, फर्मों/व्यष्टियों के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से केंद्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने अर्थात् उत्पादन को छिपाकर शुल्क की बिना अदायगी किए माल की चोरी-छिपे निकासी करने, उत्पादन का न्यून मूल्यांकन करने, छूटों का दुरुपयोग करने, आदि के कारण चलाए गए हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए गांवों का अपनाया जाना

513. श्री टी० बशीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु गांवों को अपनाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु अब तक कुल कितने गांवों को अपनाया गया है ;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में अपनाए गए गांवों के नाम क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान केरल में अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित गांवों अथवा अपनाने के लिए चयन किए गए गांवों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्राम अंगीकरण योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में, जहां कृषि की संभावनाएं बहुत हों और छोटे किसानों की संख्या काफी हो, समन्वित तथा ठोस आधार पर किसानों का वित्त पोषण करने का प्रयास करना है। आमतौर पर, अंगीकार किए जाने वाले गांव का चयन स्थानीय सरकारी एजेंसियों के परामर्श से किया जाता है और ऐसे गांव को तरजीह दी जाती है जिनमें सहकारी ऋण समितियों को वांछित सफलता न मिली हो।

(ख) जून, 1986 के अंत तक अद्यतन सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण अंगीकरण योजना के अन्तर्गत देश में 1,53,331 गांव अंगीकार किए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या

514. डा० टी० कल्पना देवी :

श्री टी० बाल गौड :

डा० फूलरेणु गुहा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 को देश राज्य-वार प्रेक्षण गृहों में कुल कितने बच्चे रखे गए थे ; और

(ख) बाल-न्याय अधिनियम, 1986 को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने/बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण/उन्नयन करने के लिए कहा गया है । राज्य सरकारें प्रभावी प्रवर्तन के लिए, विशेष गृहों, किशोर गृहों, किशोर न्यायालयों और कल्याण बोर्डों की स्थापना और कुछ संस्थानों के उन्नयन के लिए कार्यवाही कर रही हैं ।

जीव मंडल के रक्षित भंडार

515. **डा० के० जो० आदियोडी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीव-मंडल के कितने रक्षित भंडार हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक भंडार के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र आता है ;

(ग) इन भंडारों की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(घ) इस प्रयोजन के लिए राज्यों को आवंटित की गई धनराशि के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अनुसंधान करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) देश में सितम्बर, 1986 में केवल एक नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व की स्थापना की गई है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के 5520.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ।

(ग) जीवमंडल रिजर्वों के चयन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदंड हैं ;

(1) प्रतिनिधित्व

(2) विविधता

(3) स्वाभाविकता; और

(4) एक संरक्षण इकाई के रूप में सार्थकता ।

(घ) 1986-87 के दौरान राज्य सरकारों को नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित धनराशि बंटित की गई :

राज्य का नाम	बंटित धनराशि
तमिलनाडु	6.50 लाख रुपए
केरल	6.00 लाख रुपए
कर्नाटक	3.50 लाख रुपए

(ङ) जीवमंडल रिजर्वों में जैविक आनुवंशिक विविधता और अन्य सम्बद्ध विषयों पर अनुसंधान आरम्भ किया जायेगा। कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कार्यक्रम को वन और वन्यजीव विभागों जैसे मौजूदा राज्य अभिकरणों के माध्यमों से कार्यान्वित किया जाता है।

केन्द्रीय सार्वजनिक बचत योजना लागू करने का प्रस्ताव

516. **श्री के० रामचंद्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकर्षक ब्याज दरों वाली केंद्रीय सार्वजनिक बचत योजना लागू करने का है ;

(ख) क्या नई योजना से जमाकर्ताओं को प्रति माह ब्याज की अदायगी सुनिश्चित की जाएगी; और

(ग) इस योजना की अन्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ब्याज की मासिक अदायगी की सुविधा वाली एक लघु बचत योजना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के कारोबार दिवस से भिन्न कार्य दिवस

517. **श्री आई० रामा राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारोबार दिवस से भिन्न कार्य दिवस शुरू किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के कार्यकरण में गरीबों को लाभ पहुंचाने में किस प्रकार सहायता मिली है ; और

(ख) क्या इस उपाय से ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की समस्या संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा सप्ताह में एक गैर-पब्लिक कारोबार कार्य दिवस रखने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त, 1986 में जारी अनुदेशों का उद्देश्य ग्रामीण शाखाओं के सामने आने वाली कुछ समस्याओं का समाधान करना था। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण शाखाओं के प्रबन्धक और अन्य अधिकारी अपने वर्तमान तथा संभावित ग्राहकों के साथ पहले से अधिक सम्पर्क करने, जमा राशियां जुटाने, ऋणों के उपयोग पर नजर रखने, वसूली करने और ऋणकर्ताओं को मार्गनिर्देश प्रदान करने आदि के वास्ते क्षेत्र का दौरा करने के लिए सप्ताह का एक दिन लगा सकेंगे। शाखा के अन्य कर्मचारी इस दिन का उपयोग, बकाया काम को निपटाने और आंतरिक लेखा कार्य को अद्यतन बनाने के लिए करते हैं। चूंकि यह उपाय अभी हाल में किया गया है इसलिए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कार्यकरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व होगा।

उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय प्रदूषण

518. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार का ध्यान राज्य के कानपुर, उन्नाव, आगरा आदि विभिन्न नगरों में चमड़ा उद्योग के कारण पर्यावरण में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलने की ओर आकर्षित किया है और इस खतरे को दूर करने के लिए सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ध्यान केवल जाजमाऊ, कानपुर में चर्मशोधक कारखानों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण के सम्बन्ध में आकर्षित किया था। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, जाजमाऊ क्षेत्र हेतु समग्र सफाई परियोजना के एक भाग के रूप में घरेलू और चर्मशोधन कारखानों के अपशिष्टों के उपचार के लिए एक उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

भारतीय कम्पनियों द्वारा अमरीका में अनुसंधान और विकास कम्पनियों में राशि निवेश

519. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, भारतीय कम्पनियों को अमरीका में अनुसंधान और विकास कम्पनियों मे राशि निवेश करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था से भारत से धन बाहर जायेगा ; और

(ग) क्या इस राशि निवेश से हमें रायल्टी और विदेशी मुद्रा में अन्य शुल्क अदा किये बिना उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (जनवरी, 1983) प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से संबंधित सिद्धांतों के बारे में है। सरकार ने जहां भी अपेक्षित हो वहां प्रौद्योगिकियों को प्राप्ति की सुविधाजनक बनाने के अनेक विकल्पों की ओर ध्यान दिया है, जिनमें विदेशों में अनुसंधान और विकास कम्पनियों में पूंजी-निवेश की संभावना भी शामिल होगी। सरकार ने विदेशों में अनुसंधान और विकास कम्पनियों में पूंजीनिवेश के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुमति देने के बारे में कोई नीति निर्णय नहीं लिया है।

(ख) विदेशों में अनुसंधान और विकास कम्पनियों में पूंजीनिवेश के लिए थोड़े से वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।

(ग) आशा है कि ऐसे मामलों में जब उन कम्पनियों में प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हो जाती है तो रायल्टी और शुल्क का भुगतान करना आवश्यक न हो अथवा शर्तें अधिक आसान हो सकती हैं।

पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से विकास के लिए धनराशि का दिया जाना

520. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों के विकास योजना के लिए पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से वितरण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की जा रही है ;

(ख) इस धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि इनके लाभ का न्यायोचित वितरण नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1973-74 से 1986-87 तक उत्तर-पूर्वी परिषद की योजना स्कीमों पर खर्च करने के लिए विभिन्न

कार्यान्वयन अभिकरणों को कुल 739.77 करोड़ रु० की धनराशि दी गई। इसमें से उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा 223.95 करोड़ रु० राज्य सरकारों को तथा बाकी के 515.82 करोड़ रु० केन्द्रीय अभिकरणों तथा क्षेत्रीय निगमों को दिए गए।

(ख) उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा राज्य सरकारों को दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

राज्य	जारी की गई धनराशि
1. अरुणाचल प्रदेश	26.65
2. असम	49.10
3. मणिपुर	28.06
4. मेघालय	32.69
5. मिजोरम	24.59
6. नागालैंड	32.02
7. त्रिपुरा	30.84
जोड़ :	223.95 करोड़ रु०

(ग) और (घ) उत्तर पूर्वी परिषद की क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत, स्कीमें संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, स्थानीय विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, न कि किसी विभाज्य पूल के आधार पर तैयार की जाती है। उत्तर-पूर्वी परिषद के योजना परिव्यय का लगभग 80 प्रतिशत उन विद्युत और परिवहन परियोजनाओं के लिए रखा जाता है जोकि विशिष्ट अवस्थिति वाली होती हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जटिल समस्याओं के कारण, कुछ परियोजनाएं क्षेत्रीय निगमों तथा सीमा सड़क संगठन जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि पूंजी-निवेश उल्लिखित अभिकरणों के जरिए किए जाते हैं, लेकिन इनसे आर्थिक और सामाजिक लाभ राज्यों को प्राप्त होते हैं। उत्तर-पूर्वी परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय असंतुलनों तथा विशेष अवस्थिति संबंधी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए हरेक यथासम्भव अधिक से अधिक स्कीमें शामिल करने का प्रयत्न करता है, जिसका पता आर्थिक महत्व की सड़कों तथा महत्वपूर्ण स्थानीय विद्युत उत्पाद/प्रेषण सुविधाओं जैसी स्कीमों से लगता है। विद्युत तथा परिवहन क्षेत्रकों में संसाधनों की भारी खपत की वजह से राज्यों का भाग कम रह जाता है। इसलिए, उत्तर-पूर्वी परिषद की इकाइयों को धनराशियों का समान वितरण करने का प्रश्न व्यवहार्य नहीं है।

रुग्ण लौह हुम कम्पनियों को धन दिया जाना

521. श्री टी० बाल गौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी (शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया) के माध्यम से रुग्ण नौवहन कम्पनियों को धन दे रही है ;

(ख) यह कम्पनी रुग्ण नौवहन कम्पनियों से किस दर पर ब्याज की वसूली कर रही है ;

(ग) क्या नौवहन और मत्स्यनपोतों के लिए हाल ही में स्थापित "बी०आई० एफ० आर०" के माध्यम से मरम्मत आदि के प्रयोजन के लिए धन दिया जा सकती है अथवा सहायता दी जा सकती है ; और

(घ) नौवहन और मत्स्यन पोत मरम्मत आदि के प्रयोजम के लिए किस संगठन से सहायता मांग सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उन नौवहन कंपनियों के प्रश्न पर, जिन्होंने भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति से लिए गए ऋण की चुकौती में चूक की थी, विचार किया जा सकता है बशर्ते इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाए जाएं। नौवहन ऋण और निवेश कंपनी पुनरूद्धार के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है।

(ख) भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति के साथ चूककर्ता नौवहन कंपनियों के साथ हुए ऋण समझौतों के अनुसार उन्हें बकाया ऋणों पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होता है।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण

522. **श्री राम सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून, 1987 तक कितने व्यक्तियों को चुना गया ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को जिला उद्योग केन्द्रों और इस प्रकार के लाभार्थियों का चयन करने सम्बन्धी समितियों द्वारा ऋण नहीं दिए गए ;

(ग) इन लाभार्थियों को सम्बन्धित बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है जिससे कि ऋण देने में वि न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 198 -88 के लिए प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्य राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को अभी तक आबंटित नही किए गए हैं। विलंब से बचने के लिए, अनन्तिम तौर पर, योजना के कार्यान्वियन के वास्ते वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत के लक्ष्य की सूचना हाल में राज्यों/संघ राज्यों को दे दी गयी है। अतः जिला उद्योग केन्द्रों ने अप्रैल-जून, 1987 की तिमाही के दौरान कोई नए मामले स्पांसर नहीं किए हैं।

जाली "ट्रेवलर्स चैक और" "क्रेडिट कार्डों" का चलन

523. **श्री विष्णु मोदी :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा है, जो करोड़ों रुपए के "जाली ट्रेवलर्स चैक" और क्रेडिट कार्ड" चला रहा था जैसा कि 8 जून, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश के कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) देश में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) के अधिकारियों द्वारा सर्वश्री एस० ए० दीदानवाला और लक्ष्मण वोरकरा की व्यक्तिगत और रिहायशी क्षेत्रों की तलाशी के परिणामस्वरूप, कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा, 34,500 अमेरिका डालर मूल्य के थौमस कुक ट्रैवर्ल्स चैक, दो अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, 199 अमेरिकी डालर 1050 डयूश मार्क और 120 अमेरिकी डालर के ट्रैवलस चैक पकड़े गए थे। इस संबंध में दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। चूंकि पकड़े ट्रैवलर्स चैक जाली पाए गए हैं, इसलिए मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अपराध शाखा बंबई के पास भेज दिया गया है। निर्णयात्मक कार्यवाही आरंभ करके और / अथवा अभियोग चला कर और सुधारात्मक उपाय अपनाकर, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अति संवाहकता संबंधी अनुसंधान

524. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अति संवाहकता के क्षेत्र में भारी गुंजाइश है तथा इस क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास की भारी क्षमता को देखते हुए सरकार का इस क्षेत्र में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। किन्तु भारी क्षमता केवल तभी प्राप्त की जा सकेगी, जब अतिचालकता की प्रक्रिया तरल हीलियम ताप की तुलना में काफी उच्च ताप में उपलब्ध हो और इंजीनियरी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सामग्रियों का विकास हो जाए ।

(ख) सरकार ने अतिचालकता के अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के अनेक

उपाय किए हैं। सरकार ने निम्नलिखित दो राष्ट्रीय निकायों का गठन किया है :

(i) सर्वोच्च निकाय, जिसमें प्रधान मंत्री चेयरमैन होंगे और तीन संबंधित केन्द्रीय मंत्री होंगे तथा सम्बन्धित अनुसंधान और विकास/वैज्ञानिक और औद्योगिक अभिकरणों के प्रतिनिधि होंगे।

(ii) कार्यक्रम प्रबन्ध बोर्ड, जिसमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद होंगे तथा संबंधित वैज्ञानिक अभिकरणों और उद्योगों के प्रतिनिधि होंगे।

इन दो निकायों द्वारा अभिचालकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय आधार पर समन्वित कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित और सेवित होंगे।

भारत कोष

525. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनाबद्ध विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु कुछ देशों में भारत कोष बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन देशों में और कब से बनाया गया है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जुलाई, 1986 में भारत के यूनिट ट्रस्ट और मेरिल लाइन्च केपिटल मार्किट द्वारा विदेशों में भारत कोष के नाम से एक कोष पहले ही बनाया जा चुका है। इस कोष की स्थापना अनिवासी भारतीयों और भारत के बाहर के अन्य निवासियों को भारत की प्रतिभूतियों के बाजारों में निवेश करने के लिए की गई है। कोष के शेयर लन्दन के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। व्ययों को घटाकर इस कोष में कुल 746.00 लाख पौंड का अंशदान हुआ और इसे अगस्त, 1986 के अन्त तक भारत भेज दिया गया था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को यह राशि रुपयों में अर्थात् 139.48 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी, जिसमें अधिकांश राशि का निवेश भारत में प्रतिभूतियों में किया जा चुका है।

आधुनिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी

526. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आधुनिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर०नारायणन) : जी, हां।

(ख) जैवकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अणुओं जैसे प्रोटीनों और न्यूक्लीक अम्लों का पृथक्करण और शोधन, आण्विक स्तर (उदाहरण : जैवकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण) पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन, प्रतिबल सहता, रेशम प्रोटीन, प्लाजमीनोजन सक्रियकअण्विक जैविकी के लिए जीनस्, एथानाल, प्रतिरक्षाविज्ञान सम्बन्धी किटों और टीकों के उत्पादन के लिए अनुवंशिकी इंजीनियरी पहलू पर अध्ययन ;

ऊतक संवर्धन के माध्यम से संचरण (उदाहरण के लिए : बांस, नारियल आदि) भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मवेशियों में सुधार, रोगवाहक कीटाणुओं से उत्पन्न रोगों के नियंत्रण के लिए जैवकीय कारकों, जैसे कई क्षेत्रों में देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आधारभूत एवं साथ ही अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकासात्मक कार्य किया जा रहा है ।

डिबेंचरों को जारी करने संबंधी मार्गनिर्देश

527. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में डिबेंचरों के जारी करने संबंधी मार्गनिर्देश के अनुसार यह उपबंध था कि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के अपरिवर्तनीय भाग को सरकार की अनुमति से साम्यपूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है ;

(ख) क्या डिबेंचरों के साम्य पूंजी में परिवर्तन के आवेदन के सम्बन्ध में अनुमति अथवा अस्वीकृति देने के लिए कोई नियम बनाये गए थे अथवा कोई मानदंड निर्धारित किए गए थे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों अथवा मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के साम्यपूंजी में परिवर्तित किए जाने का उपबंध अब भी लागू है ; यदि नहीं, तो इसे कब बदला गया था और उसे किन परिस्थितियों के अन्तर्गत बदला गया था ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋणपत्रों के निर्गम के सम्बन्ध में सितम्बर 1984 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को परिवर्तित किए जाने की अनुमति जिस उपबंध के अधीन दी जाती थी, वह उपबंध प्रभावपूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं है क्योंकि 10 जून, 1985 को इस आशय का निर्णय लिया गया था कि ऐसी परिवर्तनीयता की अनुमति न दी जाए । उपर्युक्त निर्णय यथा-निवेदित भारी मात्रा में चल रहे ऐसे सट्टेबाजी के ऐसे कारोबार को ध्यान में रखकर लिया गया था जो कि मुख्यतः इस प्रत्याशा के आधार पर चल रहा था कि किसी दिन भविष्य में ऐसी परिवर्तनीयता के लिए छूट दे दी जाएगी ।

विवरण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा ऋणपत्रों के निर्गम के संबंध में कार्य निर्देश

इन मार्ग-निर्देशों को सरकार द्वारा 17 अप्रैल, 1982 को जारी किये गए मार्गनिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए जारी किया गया है ।

1. प्रवर्तनीयता

ये मार्ग-निर्देश पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिभूत परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर लागू होंगे ।

2. निर्गम का उद्देश्य

निर्गम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों में से या एक या एक से ज्यादा भी हो सकेगा ;

(i) नई कम्पनियों की स्थापना ;

(ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार अथवा विविधकरण;

(iii) आधुनिकीकरण के लिए सामान्य पूंजीगत व्यय;

(iv) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा और/अथवा किसी विधिक प्राधिकारी द्वारा अनुमति योजनाओं के अनुसरण में कम्पनियों का विलियन/एकीकरण ;

(v) बैंकों/वित्तीय संस्थानों और/अथवा किसी अन्य विधिक प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित पूंजी सम्बन्धी पुनः व्यवस्था ;

(vi) कानूनी व्यवस्था और/अथवा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अनुसरण में परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण ; और

(vii) कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं के लिए कम्पनी के दीर्घवाधिक साधनों का संवर्धन ।

3. निर्गम की मात्रा

कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं के मामले में जा ऋणपत्र जारी किए जाएंगे उनकी राशि सकल चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की राशि के 20 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं होगी । परियोजना वित्तपोषण तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जारी किये जाने वाले ऋणपत्रों की राशि का निश्चयन वित्तीय संस्थानों/बैंकों/सरकार द्वारा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वित्तपोषण की योजना के लिए दिये गए अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा ।

उपर्युक्त ऋणपत्रों के निर्गम के प्रत्युत्तर मे अधि-अभिदान प्राप्त होने की दशा में कम्पनियों को अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के मामले में मूल निर्गम की राशि से, जिसके सम्बन्ध में पूंजी निर्गम नियंत्रक से शुरू में अनुमति ली गई थी, अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक की अभिदान की राशि अपने पास अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के निबन्धन पर अपने पास अवधारित कर लेने की अनुमति होगी ।

4. ऋण-सामान्य शेयर अनुपात

ऋण और सामान्य शेयरों का अनुपात आमतौर पर 2 : 1 से अधिक नहीं होगा । इस प्रयोजन के लिए 'ऋण' का अर्थ होगा, समस्त सावधिक ऋणपत्र और बाण्ड, जिनकी आरंभिक परिपक्वता अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक की होगी और इसमें उन सभी पर व्युत्पन्न ब्याज की राशि भी शामिल होगी । उसमें समस्त आस्थगित भुगतान सम्बन्धित देनदारियां सम्मिलित होगी, किन्तु इसमें अल्पावधिक बैंक उधार और अग्रिम, जनता शेयर धारकों तथा कर्मचारियों से प्राप्त अप्रतिभूत निक्षेप और अन्यों से प्राप्त प्रतिभूति ऋण अथवा निक्षेप सम्मलित नहीं है । इसमें प्रस्तावित ऋणपत्र की राशि भी शामि होगी ।

"सामान्य शेयर" (इक्विटी) का अर्थ होगा चुकता शेयर पूंजी जिसमें तरजीही पूंजी और अबाध प्रारक्षित निधि सम्मलित है ।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त मार्गनिदेश संख्या 3 और 4 के अन्तर्गत परिकलन कम्पनी के अद्यतन उपलब्ध लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर किया जाएगा ।

टिप्पणी 2. ऋण सामान्य शेयरों के निर्धारित 2 : 1 के अनुपात में उर्वरकों, पैट्रोरसायन, सीमेंट, कागज तथा नौवहन आदि जैसी पूंजी प्रधान परियोजनाओं के मामले में ढील दिए जाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा ।

5. ब्याज की दर

परिवर्तनीय ऋणपत्रों के मामले में ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगी । अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के मामले में ब्याज की दर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगी ।

6. मोचन की अवधि

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर ऋणपत्रों को 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले विमोचित नहीं कराया जा सकेगा :

(i) किसी भी कम्पनी को, ऋणपत्रों को निर्गम की तारीख से 5वें वर्ष से लेकर 9वें वर्ष तक इस रीति से विमोचित करवाने का विकल्प प्राप्त होगा, कि विमोचन की औसत अवधि 7 वर्षों ही की बनी रहे । ऐसे विकल्प का प्रयोग करते समय, छोटे निदेशकर्ताओं को, जिनके पास 5000 रुपए के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य के ऋणपत्र नहीं होंगे, केवल एक ही किस्त में रकम अदा कर दी जाएगी ।

(ii) अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों के अपरिवर्तनीय भाग केमामले में कम्पनी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह पूंजी निर्गम नियंत्रक की स्वीकृति से उसके द्वारा निर्धारित मूल्य पर, ऋणपत्रों को पूर्ण रूप से सामान्य शेयरो (इक्विटी) में परिवर्तित करा सकेगी । तथापि, ऋणपत्र धारकों को इस अधिकार का प्रयोग न करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी ।

7. विमोचन की तारीख की कीमत

अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक का प्रीमियम, विमोचन के समय केवल अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के मामले में ही दिए जाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

8. ऋणपत्रों का मूल्य

ऋणपत्रों का अंकित मूल्य सामान्यतया 100 रुपया प्रति ऋण पत्र रहेगा ।

9. ऋणपत्रों को सूचीबद्ध करना

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर ऋणपत्रों को सामान्यतया स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा :—

(i) कम्पनियां अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा ऐसे अभिकरणों (जैसे कि सेवा ग्रुप बीमा योजना) के पास प्राइवेट तौर पर रख सकेंगी जिनका अनुमोदन पूंजी निर्गम नियंत्रक ने किया होगा ।

(ii) कम्पनियां, पूंजी निर्गम नियंत्रक के अनुमोदन से अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों, निगमित निकायों तथा व्यक्तियों के पास भी रख सकेंगी ।

10. ऋणपत्रों की प्रतिभूति

केवल प्रतिभूत ऋणपत्रों को ही जनता में जारी किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

11. ऋणपत्रों की हामीदारी

ऋणपत्रों के निर्गम की हामीदारी दी जाएगी । इस संबंध में ढील दी जा सकेगी जब पूंजी निर्गम नियंत्रक इस बात से अन्यथा संतुष्ट हो कि निर्गम की हामीदारी दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है ।

12. ऋणपत्रों के निर्गम का प्रस्ताव करने वाली कम्पनियों के शेयरों को सूचीबद्ध करना

(i) जो कम्पनी ऋणपत्र जमा करना चाहती हों, उसके, शेयर एक या एक से अधिक स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने चाहिएं और इसके शेयरों का बाजार में उद्धत मूल्य, ऋण-पत्रों को जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र की तारीख से पहले 6 महीनों के दौरान सममूल्य के बराबर अथवा सममूल्य से ऊपर रहा होना चाहिए ।

(ii) कम्पनियों के शेयरों और ऋणपत्रों को एक साथ सूचीबद्ध कराए जाने की अनुमति भी दी जा सकेगी ।

(iii) शेयरों को सूचीबद्ध कराने का उपबंध सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि (क) ऐसी कम्पनियों के शेयरों का उचित मूल्य सममूल्य के बराबर या उससे अधिक हो और (ख) ऐसी कम्पनियों ने प्रस्तावित निर्गम के वर्ष से तुरन्त पूर्ववर्ती वर्ष में लाभांश घोषित किया हो ।

13. शेयर निर्गम को ऋणपत्र से संयोजित करना

शेयरों और ऋणपत्रों से संयोजित निर्गम की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकेगी जिनमें अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के संबंध में प्रस्तावित ब्याज की दर परिवर्तनीय ऋणपत्रों के लिए निर्धारित ब्याज की दर अधिकतम से ज्यादा नहीं होगी सामान्य शेयरों तथा परिवर्तनीय/अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को एक साथ जारी करने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकेगी कि निवेशकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार शेयरों अथवा ऋणपत्रों अथवा दोनों के लिए अभिदान कर सकने के मामले स्वतंत्र है ।

14. अतिरिक्त प्रोत्साहन

ऐसी योजनाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनका उद्देश्य 13.5 प्रतिशत से भी अधिक दर से ब्याज दिलवाने की व्यवस्था करना हो किन्तु जिनमें ये परिवर्तनीय ऋणपत्रों के निर्गमों के अन्तर्निहित तत्व विद्यमान हों ।

ऐसे गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, जिनके परिणामस्वरूप जन-साधारण को एक कम्पनी के उत्पादों को प्राप्त करने में रुकावट का सामना करना पड़े अथवा जिस व्यवस्था के अन्य पहलू अवांछनीय हों ।

नई दिल्ली,
दिनांक : 15 सितम्बर, 1984

"गैलियम" निकालने संबंधी प्रौद्योगिकी

528. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने यह रिपोर्ट दी है कि "गैलियम" नामक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक सामग्री निकालने की स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ;

(घ) रक्षा व शांतिपूर्ण कार्यों के लिए "गैलियम" की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है ; और

(ङ) देश में इस सामग्री की आवश्यकता और मांग कितनी तथा नवीनतम विकसित इस प्रौद्योगिकी के द्वारा कितना "गैलियम" निकाले जाने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) केन्द्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी ने, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, 1977 में एलुमीनियम आगलकों के प्रयुक्त बेयर द्रव से गैलियम धातु निकालने के लिए एक प्रयोगशाला स्तर की प्रक्रिया का विकास किया था । इस प्रक्रिया के आधार पर, एन० आर० डी० सी० तथा मद्रास एलूमीनियम कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार वित्त-पोषित और संवर्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसूर धाम, तमिलनाडु में मद्रास एलूमीनियम कम्पनी के संयंत्र में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है । एन० आर० डी० सी०, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी है, जो देशी प्रौद्योगिकियों के विकास, उनकी बढ़ोतरी, वाणिज्यीकरण तथा उन्हें लाइसेंस दिये जाने को प्रोत्साहन देती है । जिस प्रायोगिक संयंत्र ने अप्रैल, 1986 में कार्य करना प्रारम्भ किया था, वह अब इस स्थिति में आ गया है कि उसमें 99.9 प्रतिशत से भी अधिक शुद्धता वाली गैलियम धातु का उत्पादन किया जा सकता है । इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में एन० आर० डी० सी० द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) इस परियोजना में शामिल अन्य अभिकरणों के साथ एन० आर० डी० सी०, मद्रास एलुमीनियम कम्पनी में संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ रही घरेलू और विदेशी मांग को पूरा किया जा सके ।

(घ) लेजर तथा अन्य आप्टो-इलैक्ट्रोनिक साधनों, उच्च गति कम्प्यूटर मेमोरी साधनों तथा रक्षा, दूर-संचार और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्रयुक्त तमाम सूक्ष्य तरंग अर्ध-चालक साधनों के लिए गैलियम आधारभूत कच्ची सामग्री है ।

(ङ) देश में गैलियम की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है । मद्रास एलूमीनियम कम्पनी के एलूमीनियम आगलक संयंत्र द्वारा पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर देने पर इस संयंत्र में निकलने वाले संभावित गैलियम की मात्रा 400 किलोग्राम प्रतिवर्ष आंकी गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद्

एन०आर०डी०सी० द्वारा "गैलियम" की प्राप्ति में उपलब्धि

देश ने गत पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में प्रयास के द्वारा इलैक्ट्रोनिक की एक नाजुक सामग्री "गैलियम" तैयार करने में उपलब्धि प्राप्त की है। तमिलनाडु में मद्रास एलूमीनियम कम्पनी के एलूमीनियम संयंत्र के बेयर द्रव से गैलियम निकालने का एक प्रायोगिक सयंत्र मद्रास कंपनी द्वारा एन० आर० डी० सी० के साथ संयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।

यह प्रायोगिक संयंत्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक वर्षों से बहुत परिश्रम से विकसित की गई प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि इसकी इंजीनियरी, प्रतिष्ठापन और संस्थान केंद्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान की सहायत से मद्रास एलूमीनियम कम्पनी द्वारा किया गया है। प्रायोगिक संयंत्र से प्राप्त गैलियम का केंद्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान तथा न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लैक्स, हैदराबाद दोनों द्वारा विश्लेषण किया गया है और इसे 3 एन शुद्धता अर्थात् 99.9 प्रतिशत शुद्धता से भी बेहतर पाया गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में अपर सचिव श्री अशोक पार्थसारथी द्वारा पिछले सप्ताह मद्रास एलूमीनियम कम्पनी में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गयी, जिसमें एन० आर० डी० सी०, केन्द्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान, मद्रास एलूमीनियम कम्पनी, न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लैक्स तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग से आये विशेषज्ञों ने इस परियोजना को सफल बताया।

एन०आर०डी०सी० द्वारा न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लैक्स को शामिल किए जाने और केंद्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान और मद्रास एलूमीनियम कम्पनी के साथ सहयोग बढ़ाये जाने के फलस्वरूप न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लैक्स मद्रास एलूमीनियम कंपनी के गैलियम को 5 एन शुद्धता अर्थात् 9 .999 प्रतिशत शुद्धता तक परिष्कृत कर पाया है।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में गैलियम का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह लेजर और अन्य ऑप्टो-इलैक्ट्रोनिक साधन तथा रक्षा, दूर-संचार और अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में प्रयुक्त तमाम सूक्ष्मतरंग अर्ध-चालक तैयार करने के लिए आधारभूत कच्ची सामग्री है। आज विश्व में अतिशुद्ध गैलियम का कुल उत्पादन केवल लगभग 14 टन है। लेकिन, सभी विकसित देशों के गैलियम के अपने स्रोत नहीं हैं। उदाहरणार्थ, जापान अपने इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए कई टन गैलियम का आयात करता है।

अतः, एन० आर० डी० सी० केंन्द्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान-मद्रास एलूमीनियम कम्पनी की यह उपलब्धि भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश को एक मुख्य सामग्री के निर्यात से उच्च मूल्य दिलाने के लिए सुअवसर प्रदान करती है।

इस परियोजना में शामिल अन्य अभिकरणों के साथ एन०आर०डी०सी०, मद्रास एलूमीनियम

कंपनी में प्रायोगिक संयंत्र की क्षमता बढ़ाने क उपायों पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ रही स्वदेशी और विदेशी मांग को पूरा किया जा सके।

असम में कल्याण योजनाएं

529. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कल्याण योजनाओं के लिए जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत असम के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो असम में इस अवधि में प्रत्येक कल्याण योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उप-योजना और विशेष कम्पोनेंट योजना में आबंटित धनराशि (अनन्तिम)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	आदिवासी उप योजना	विशेष कम्पोनेंट योजना
1	2	3	4
	राज्य योजना से धनराशि		
1.	कृषि	1720.00	360.00
2.	भूमि रसाव	225.00	40.00
3.	पशुपालन और चिकित्सा	320.00	126.00
4.	डेरी विकास	112.00	50.00
5.	मछली पालन	110.60	318.50
6.	ग्रामीण विकास	1192.80	820.00
7.	सामाजिक वनविद्या	316.00	75.00
8.	पंचायत और समुदाय विकास	300.00	120.00
9.	रेशम उत्पादन	249.30	100.00
10.	हथकरघा और वस्त्र	278.30	200.00
11.	सहकारिता	558.60	290.00
12.	सिंचाई	3933.00	700.00
13.	ग्रामीण विद्युतीकरण	2200.00	522.00

1 2	3	4
14. भूमि सुधार	118.75	—
15. ग्राम और लघु उद्योग	92.10	65.30
16. सड़कें	1446.10	319.30
17. शिक्षा	2405.00	700.00
18. कला और संस्कृति	30.80	—
19. स्वास्थ्य	912.00	400.00
20 ग्रामीण जल आपूर्ति	2339.10	630.00
21. आवास बोर्ड	55.50	74.00
22. ग्रामीण आवास स्थल	150.00	180.00
23. शिल्पकला और प्रशिक्षण	80.00	—
24. पिछड़ा वर्ग	305.00	320.00
25. समाज कल्याण	39.00	16.25
26. पोषाहार	345.00	266.14
जोड़ :	19863.95	6692.49
*II. विशेष केन्द्रीय सहायता	3192.00	1071.00
जोड़ :	23055.95	7763.49

* क्षेत्रवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

530. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने ग्रामीण बैंक हैं तथा प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं हैं और उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर ये शाखाएं स्थित हैं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में थाणा ग्रामीण बैंक जिसकी स्थापना 30 मार्च, 1986 को की गई थी, की कोई शाखा नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक सेवा क्षेत्रीय बोर्ड ने थाणा ग्रामीण बैंक के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो थाणा जिला में बैंक शाखाएं खोलने और कर्मचारी नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने का विचार है ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय महाराष्ट्र में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम, उनमें से प्रत्येक की शाखाओं की संख्या और उनके अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ठाणे ग्रामीण बैंक 30 मार्च, 1986 को स्थापित किया गया था और नई शाखाएं खोलने के वास्ते इसे 26 केन्द्र आवंटित किए गए हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार ग्रामीण बैंक ने कर्मचारियों की कमी के कारण इन 26 केन्द्रों में से कहीं पर भी शाखा नहीं खोली।

(घ) सरकार ने उन सभी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के नाम मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती का काम भी सौंपा गया है। सम्बद्ध बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड महाराष्ट्र में ठाणे ग्रामीण बैंक सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती के वास्ते कदम उठा रहा है। इसी बीच प्रायोजक बैंक कुछ शाखाएं खोलने के वास्ते कुछ कर्मचारी देने की कोशिश कर रहा है।

विवरण

महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंक शाखाएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	बैंक के अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम	शाखाओं की संख्या (30-3-87 तक)
1	2	3
1. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	नांदेड	54
	परभानी	57
	भीर	42
	लन्तूर	33
	उसमानाबाद	32 (218)
2. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	औरंगाबाद	25
	जालना	23 (48)
3. चन्द्रपुर-गिदचिरौली ग्रामीण बैंक	चन्द्रपुर	23
	गिदचिरौली	15 (38)
4. अकोला ग्रामीण बैंक	अकोला	39 (39)
5. रत्नगिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	रत्नगिरि	22
	सिंधुदुर्ग	10 (32)
6. सोलापुर ग्रामीण बैंक	सोलापुर	30 (30)
7. भंडारा ग्रामीण बैंक	भंडारा	40 (40)

1	2	3
8. यवतमाल ग्रामीण बैंक	यवतमाल	12 (12)
9. बुलढ़ाना ग्रामीण बैंक	बुल्ढ़ाना	1 (1)
10. ठाणे ग्रामीण बैंक	ठाणे	1 (1)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शाखाओं की कुल संख्या के द्योतक हैं ।

अनिवासी भारतीयों से प्राप्त हुए ग्रामीण परियोजना संबंधी प्रस्ताव

531 **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :**

डा० टी० कल्पना देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास में बड़े पैमाने पर तेजी लाने के लिए अनिवासी भारतीयों से देश के चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए कहा है ;

(ख) क्या इस संबंध में अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कृषि के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या और कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा हीं नहीं होता ।

(घ) अनिवासी भारतीयों को इस समय भूमि को आधार बनाकर किए जाने वाले कारोबार अर्थात् जमीन मकान आदि के कारोबार, खेती बाड़ी और बागान इत्यादि में पूंजी का निवेश करने की अनुमति नहीं है ।

सिगरेट निर्माताओं की ओर बकाया उत्पाद शुल्क

532. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 को सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों की ओर उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ख) यह धनराशि कब से देय है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त देय राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संभव सीमा तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रमुख जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए कक्ष

553. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रमुख जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए एक कक्ष स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, परिषद्, ई दिल्ली तथा चुने हुए क्षेत्रों में आदिवासी अनुसंधान संस्थान, आदिवासी बोलियों/भाषाओं में प्रवेशिकाएं और अध्ययन सामग्री तैयार करने में लगे हुए हैं ।

देश में जिला पुनर्वास केन्द्र

534. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में खोले जाने वाले जिला पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है ; और

(क) इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1987-88 के दौरान, नए केन्द्र स्थापित करने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्बन्ध में आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट

535. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबिद हुसैन समिति ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या है ; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां । आबिद हुसैन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ समिति की संतुष्टियां इस प्रकार हैं :—

(1) सी० एस० आइ० आर० और प्रयोगशालाओं के उद्देश्य-पत्र का मसौदा पुनः तैयार करना ।

(2) सी० एस० आइ० आर० और प्रयोगशालाओं की प्रबन्ध व्यवस्था के ढांचे का पुर्नगठन करना ।

(3) अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड० डी०) परियोजना के चयन के लिए मार्ग-निर्देशन करना ।

(4) सी० एस० आइ० आर० की आय में वृद्धि करना ।

(5) वैज्ञानिकों की गतिशीलता को उन्नत करने के उपाय करना ।

(6) कार्मिकों का प्रशिक्षण और पुर्नप्रशिक्षण करना ।

(7) प्रयोगशालाओं का आधुनिकरण करना।

(8) प्रयोगशालाओं के ढांचे में परिवर्तन करना ।

(9) सरकार के वैज्ञानिक विभागों में कुछ प्रयोगशालाओं का स्थानांतरण करना।

(10) निम्नदिशा में सरकार की नीतियां :—

(क) उद्योग में अनुसंधान और विकास (आर०एण्ड०डी०) को उन्नत करना ।

(ख) स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सुधार करना ।

(ग) संस्तुतियां सरकार के विचाराधीन हैं ।

[हिन्दी]

नए पहाड़ क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल

536. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नए पहाड़ी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेष दल पुन: नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया है ; और

(ग) इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) देश में नए क्षेत्रों के रेखांकन के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ दल स्थापित किया गया था । इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

हरियाणा में बकाया ग्रामीण ऋण

537. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हरियाणा के किसानों और लघु उद्यमियों को दिये गये ऋण की 31 मार्च, 1987 को कितनी धनराशि बकाया थी ; और

(ख) हरियाणा सरकार के ऋणों को माफ करने सम्बन्धी कथित निर्णय के फलस्वरूप उक्त बकाया धनराशि में से कितनी धनराशि वसूल नहीं की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1986 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हरियाणा में कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया राशि क्रमशः 365 करोड़ रुपये और 267 करोड़ रुपये थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न तो उसे और न ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हरियाणा राज्य सरकार से हाल में लिए गए निर्णय के अनुसरण में किसी वर्ग का ऋण माफ करने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

ऋणों का वितरण

538. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1987 में 30-6-1987 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धन लोगो को कुल कितनी राशि के ऋण वितरित किए गए ; और

(ख) इन ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब वापस किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों की कुल राशि जनवरी-मार्च 1987 की अवधि के बीच 5890 करोड़ रुपए से बढ़कर 6119 करोड़ रुपए हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास अद्यतन उपलब्ध आकड़े मार्च 1987 के अन्त तक के हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों से संबंधित राज्य-वार आंकड़े दिसम्बर 1985 के अन्त तक के उपलब्ध हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि एक समान नहीं होती है। लेकिन यह अवधि ऋण राशि से लाभ कमाने की क्षमता, न लाभ न हानि की स्थिति, परिसंपत्तियों की आयु आदि को ध्यान में रखकर तय की जाती है न कि तदर्थ रीति से।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों के राज्य-वार आंकड़े

(खाते हजार में)

(रकम करोड़ रुपये में)

राज्य/क्षेत्र/संघराज्य क्षेत्र	दिसम्बर 1985	
	खाते	राशि
1	2	3
I. उत्तरी क्षेत्र	1851	691
हरियाणा	360	146
हिमाचल प्रदेश	156	44

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	61	17
पंजाब	582	250
राजस्थान	616	208
चण्डीगढ़	12	6
दिल्ली	62	20
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	333	84
असम	219	44
मणिपुर	21	5
मेघालय	6	10
नागालैंड	9	12
त्रिपुरा	51	9
अरूणाचल प्रदेश	2	0.8
मिजोरम	4	3
सिक्किम	21	5
III. पूर्वी क्षेत्र	3933	735
बिहार	1396	332
उड़ीसा	1169	168
पश्चिम बंगाल	1366	234
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0.5
IV. मध्य क्षेत्र	2770	899
मध्य प्रदेश	847	273
उत्तर प्रदेश	924	426
V. पश्चिमी क्षेत्र	2033	651
गुजरात	863	249
महाराष्ट्र	1129	391
गोवा, दमन और दीव	39	11
दादरा और नगर हवेली	2	03
VI. दक्षिण क्षेत्र	7173	1913
आन्ध्र प्रदेश	2494	672

1	2	3
कर्नाटक	1483	428
केरल	1122	296
तमिलनाडु	2023	506
पांडीचेरी	49	10
लक्षद्वीप	1	0.8
अखिल भारत :	18095	4977

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनन्तिम 2. संभव है कि पूर्णांकन के अंतर के कारण जोड़ ठीक न बैठे।

[अनुवाद]

लद्दाखियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना

539. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लद्दाखियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राज्य में अनुसूचित जनजाति के विनिर्देशन के लिए लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर के सभी तीन क्षेत्रों में भारत के महापंजीकार द्वारा पहले ही एक लघु जनगणना और समुदाय-वार विशेष अध्ययन शुरू किये जा चुके हैं। भारत के महापंजीकार की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

540. **श्री जनकराज गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1987 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी धन-राशि देय हो गई है ; और

(ख) कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इस किस्त का कब तक भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) संशोधित महंगाई भत्ता फार्मूले के अनुसार जो चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है मूल्य-वृद्धि के लिए मुआवजा के 608 औसत सूचकांक से अधिक पर प्रतिवर्ष जून और दिसम्बर में समाप्त होने वाली अवधियों के लिए औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (आधार, 1960 = 100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों के औसत में सम्पूर्ण अकों में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर वर्ष

में दो बार क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी से सितम्बर और मार्च के वेतन के साथ दिया जाना है। 1-7-87 से देय महंगाई भत्ते पर तभी विचार किया जा सकता है, जब जून के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त, 1987 में उपलब्ध हो जायेंगे।

[हिन्दी]

पर्यावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

541. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने पर्यावरण सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत की भूमिका क्या होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पर्यावरण और विकास सम्बन्धी विश्व आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात उचित समय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया है। मामले के केवल प्रस्ताव स्तर पर होने के कारण कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल के पथाननथिट्टा जिले में बैंकों की शाखाएं स्थापित करना

542. **श्री के० कुंजम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पथाननथिट्टा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसे केरल सरकार से, पथाननथिट्टा जिले में शाखाएं खोलने के लिए 22 संभावित विकास केन्द्रों की सूची प्राप्त हुई है। इन केन्द्रों में से, कोन्नी खंड में स्थित कल्लेली केन्द्र ही शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानकों को पूरा करता था। अतः शाखा खोलने वास्ते यह केन्द्र, इंडियन ओवरसीज बैंक को आबंटित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए शेष 21 केन्द्रों को किसी भी बैंक को आबंटित करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया क्योंकि जिले के सभी खंड प्रत्येक विकास खंड के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक शाखा के निर्धारित जनसंख्या मानकों के अनुसार अधिक शाखाओं वाले खण्ड हैं।

राजस्थान को विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता

543. **श्री शांति धारीवाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने अरावली पहाड़ियों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान को उसके विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) देश में नए पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन से संबंधित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

भारत में वनों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

544. **श्री रेणुपद दास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1960 और 1 जनवरी, 1987 को विभिन्न राज्यों में वनों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र कितना था ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वन भूमि का उद्योगों, रेल सड़क, सिंचाई, अन्य परियोजनाओं और वन रोपण जैसी विकासात्मक गतिविधियों के लिए उपाय किए जाने के कारण कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की हानि/लाभ हुआ ; और

(ग) वनरोपण के माध्यम से और अधिक क्षेत्र को विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1960 और 1 जनवरी, 1987 को वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, और अतः इस अवधि के दौरान वन क्षेत्र के क्षति/वृद्धि के प्रतिशत का मूल्यांकन नहीं किया जा सका है।

(ग) प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जलावन की लकड़ी और चारे की पौधरोपण के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। वनीकरण हेतु एक जन आन्दोलन को विकसित किया जा रहा है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पेड़ों की कटाई

545. **श्री मतिलाल हंसदा** :
श्री पूर्ण चंद्र मलिक :
श्री सैयद मसूदल हुसैन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने कुशक नाला से लगे क्षेत्र को पार्क में बदलने के लिए उसके चारों ओर कीकर के वन को हाल ही में काट दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पेड़ों की और अधिक कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

उत्तर भारत में मानसून के विलम्ब से आने के कारण मौसम के बारे में अध्ययन

546. **डा० बी० एन० शैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में मानसून पश्चिमी और पूर्वी दोनों, के विलम्ब से आने की हाल की प्रवृत्तियों का कोई विशेषज्ञता अध्ययन किया गया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उत्तर भारत में मानसून के विलम्ब से आने के कारण मौसम के बारे में कोई अध्ययन किये जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले कई दशकों से देश में विभिन्न स्थानों पर मानसून के आगमन की तिथियों के आंकड़ों का विश्लेषण करके विशेषज्ञ अध्ययन करता रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण से मानसून के पहले या देर से आने की किसी निश्चित प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा कनाट प्लेस में नए भवन पर व्यय

547. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को एक केन्द्रीय जांच एजेंसी से जीवन बीमा निगम द्वारा कनाट प्लेस, नई दिल्ली में 15 करोड़ की लागत के अपने नये भवन के अग्रभाग में एल्यूमिनियम और शीशे की भड़कीली सजावट पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बारे में बड़ी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए वांछनीयता के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए खर्च पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सी० टी० आई० संगठन द्वारा तकनीकी परीक्षण के आधार पर आयोग ने नई दिल्ली में जीवन बीमा निगम के मेगा केन्द्र से संबंधित कार्य को सरकार के ध्यान में ला दिया था ताकि केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं पर होने वाले व्यय पर अंकुश रखने के लिए पद्धति और प्रक्रिया विकसित की जा सके । आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस भवन में एल्यूमिनियम फ्रेम में शीशे की भड़कीली सजावट की ओर भी ध्यान दिलाया है ।

(ख) और (ग) सरकार ने मामले की विस्तार से जांच की है । भवन को जीवन बीमा निगम के एक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उद्यम के रूप में लिया गया है । भवन के महत्व और इसके स्थान को देखते हुए, निर्माण योजनाएं सुप्रसिद्ध निर्माता श्री चार्ल्स कोरिया द्वारा बनवाई गई हैं । क्योंकि

विभिन्न मदों पर खर्च, परियोजना के लिए समग्र योजना में निर्धारित नमूनों के अनुसार ही किया गया है, इसलिए शीशे और एल्यूमिनियम की भड़कीली सजावट को अनुचित नहीं समझा गया है।

स्वर्ण लाइसेंस नीति का उदारीकरण

548. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण तंत्र संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त कार्यदल ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत लाइसेंस नीति में उदारीकरण की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यदल द्वारा की गई अन्य प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य मुख्य सिफारिशों में ये सिफारिशें शामिल हैं—स्वर्णकारों द्वारा रखे जाने वाले प्राइमरी स्वर्ण की सीमा मे वृद्धि करना ; आभूषणों के अवयवों को "प्राइमरी स्वर्ण" की परिभाषा की व्याप्ति से अलग रखना ; व्यापारियों की तिमाही-विवरणी को वार्षिक-विवरणी में बदलना तथा स्वर्ण व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले विहित रजिस्टरों में अनेक संशोधन करना।

निर्यात बाजार के लिए विनिर्मित स्वर्ण जेवर तथा वस्तुओं के संबंध मे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों में ढील दिए जाने संबंधी सिफारिशों में ये सिफारिशें शामिल हैं—स्वर्ण व्यापारी के लाइसेंस जारी होने की प्रतीक्षा किए बगैर जेवर कम्प्लैक्सों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करने की अनुमति देना ; स्वर्ण जेवर के किसी विनिर्माता द्वारा रखे जाने वाले प्राइमरी स्वर्ण की मात्रात्मक सीमा को छूट देना ; लाइसेंसशुदा परिसरों से, विशेषकर निर्यातोन्मुख कम्प्लैक्सों से, विदेशी खरीददारों को दिखाए जाने के लिए स्वर्ण जेवर के नमूनों को, बाहर ले जाने तथा वापस लाने की अनुमति देना ; लाइसेंसशुदा परिसरों के बाहर सरकार द्वारा लगाए गए हाटों पर स्वर्ण जेवर बेचने की अनुमति देना।

(ग) सरकार द्वारा दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

बांस के बागान

549. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में बड़ी मात्रा में बांस के पेड़ों में फूल खिलने के कारण इस वर्ष बांस के कई टन फालतू बीज उपलब्ध होंगे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का फालतू बीजों का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का बांस के बागान बढ़ाने हेतु स्वयंसेवी एजेन्सियों को बांस के फालतू बीज वितरित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बांस के पेड़ों पर फूल खिलना एक प्राकृतिक चमत्कार है जो समय-समय पर होता है। कुछ बीज धरती पर गिर जाते हैं और अंकुरित होकर क्षेत्र में अपनी वंश वृद्धि करते हैं, जबकि कुछ बीज पौधारोपण में नर्सरियों को बढ़ाने के लिए संग्रह किए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकारें स्वैच्छिक अभिकरणों सहित संगठनों को बांस के अतिरिक्त बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था करती है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों का पुनर्नियोजन

550. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक और पेंशन मंत्रालय में कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों को कब से और क्या रोजगार दिया गया है और पुनर्नियोजन की शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त मंत्रालय में संवर्ग बाह्य पदों पर काम करने वाले वरिष्ट अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और ये कब से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा उनको अपने मूल संगठन से वापस भेजे जाने की अवधि कब समाप्त हो रही है ; और

(ग) संवर्ग-बाह्य पदों वरिष्ठ अधिकारियों के चयन के संबंध में मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इस मंत्रालय में तीन अधिकारियों को पुनर्नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के ब्यौरे तथा उनकी पुनर्नियुक्ति की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के अधीन वरिष्ठ स्तर पर कोई संवर्ग-बाह्य पद नहीं है। इस मंत्रालय के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के पात्र अधिकारियों में से, सामान्यतः केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक पद की कार्य अपेक्षाओं, तथा पसंद के क्षेत्र में अधिकारियों की अर्हताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

विवरण

पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों के ब्यौरे

कर्मचारी चयन आयोग

1. **श्री एस० सी मित्तल, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग** : भारतीय सिविल लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एस० सी० मित्तल, जो कि पहले अतिरिक्त माह लेखा नियंत्रक थे, को 23-7-85 से 22-7-1999 तक पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 31-1-87 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर ली थी और उन्हें 1-2-87 सेपुनर्नियुक्ति के आधार पर, उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति कर दिया गया था।

2. **श्री बी० आर० आर० आयंगर, सदस्य, कर्मचारी चयन आयोग** : भारतीय पूर्ति सेवा के एक अधिकारी श्री बी० आर० आर० आयंगर को जो कि औद्योगिक विभाग में पहले संयुक्त सचिव थे, 8-3-83 से 7-3-1988 तक पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30-6-85 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त की थी और उन्हें 1-7-85 से पुनर्नियोजन के आधार पर उसी हैसियत में पुनर्नियुक्त कर दिया गया था।

इन दोनों ही अधिकारियों को, उन सामान्य शर्तों पर पुनर्नियुक्त किया गया है, जिन पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त किया जाता है। इनमें से महत्वपूर्ण शर्तें निम्न प्रकार हैं—

(1) सेवानिवृत्ति के समय लिया गया अन्तिम वेतन, जिसमें पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन घटा दी जाएगी। इस तरह निर्धारित वेतन पर आधारित भत्ते भी अनुज्ञेय होते हैं।

(2) अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएं।

(3) छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, सरकारी आवास इत्यादि जैसी अन्य प्रसुविधाएं जो कि इसी स्तर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होती हैं।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी

श्री हजारी सिंह, घुड़सवारी प्रशिक्षक : श्री हजारी सिंह जो घुड़सवारी प्रशिक्षक के पद से सेवानिवृत्ति हो गए थे, उन्हें सामान्य शर्तों पर 1-3-87 से 31-7-87 तक की अवधि के लिए घुड़सवारी प्रशिक्षक के रूप में पुनर्नियोजित किया गया है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा खोलना

551. **श्री कमल प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1987 के "इण्डियन एक्सप्रेस" के पृष्ठ 4 पर "प्राइवेट सैक्टर बैंक सोट ऐट दिल्ली एअरपोर्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का एअर लाइन्स आपरेटर्स कमेटी (ए० ओ० सी०) द्वारा की गई मांग के अनुसार कुछ गैर-सरकारी बैंकों को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी एक शाखा खोलने के लिए कहने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों को संरक्षण देकर, जैसे उन्हें बिजली, टेलीफोन, पानी आदि के बिल स्वीकार करने के लिए कहकर प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) और (ग) हवाई अड्डों पर अपेक्षित सीमित बैंकिंग सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक हवाई अड्डों पर केवल सीमित विस्तार काउन्टर/विनिमय ब्यूरो आदि खोलने की अनुमति दे रहा है। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वर्तमान बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(घ) यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बिजली, टेलीफोन, पानी आदि के बिल स्वीकार करने की कोई मनाही नहीं है लेकिन यह व्यवस्था बैंकों और संबद्ध संगठनों के बीच परस्पर समझौते का मामला है।

अप्सरा रिएक्टर को बन्द करना

552. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्सरा रिएक्टर को बंद करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस कारण लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने के लिए विदेशी विशेषज्ञों से सलाह ली है कि अप्सरा रिएक्टर को चालू रखने की अनुमति देना सुरक्षित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

कार्यकर पूंजी के लिए उद्योगों को ऋण

553. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्योगों को कार्यकर पूंजी के लिए बैंक ऋणों के मंजूरी हेतु शर्तों को और उदार बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकयाएं पूरी करने के लिए, उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों को और उदार बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऋण प्राधिकार योजना के संचालन के सम्बन्ध मे कुछ मार्गानर्देश जारी किये हैं । इन मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत, उन ऋणकर्ताओं के मामले, जो उधार की दूसरी विधि, तिमाही सूचना प्रणाली, तालिकागत सामान और प्राप्य वस्तुओं के स्तरों के लिए निर्धारित मानकों और अपने वार्षिक लेखाओं को नियमित रूप से भेजने आदि की शर्तें पूरी करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को, उसके पूर्व प्राधिकार के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है । बैंकों को तालिकागत सामान और प्राप्य वस्तुओं के स्तरों में स्टैन्डर्ड मानकों में अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक का फेरबदल करने का विवेकाधिकार दे दिया गया है और बैंकों द्वारा मंजूर किये जाने वाले तदर्थ ऋणों की सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं ।

[अनुवाद]

राउरकेला में इलेक्ट्रानिक उद्योग का संवर्धन

554. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राउरकेला में इलेक्ट्रानिक उद्योग का संवर्धन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कौन से कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कुछ उद्यमियों ने राउरकेला में इलेक्ट्रॉनिक यूनिटें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग राउरकेला में प्रक्रिया से संबंधित उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है । राउरकेला स्थित इस्पात तथा उर्वरक संयंत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी कम्प्यूटरों के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । इस्पात तथा उर्वरक उद्योग में जुटे कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । राउरकेला स्थित इन उद्योगों द्वारा आधुनिकीकरण की अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करने में तथा उन योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग में सहायता करने की दिशा में इलेक्ट्रानिकी विभाग प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है । तकनीकी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं तथा इन संयंत्रों में विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है । राउरकेला में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के समग्र रूप से संवर्धन के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से विनिर्माताओं, शिक्षण संस्थानों एवं परामर्शदात्री संघटनों को भी एक मंच पर लाया जाता है ।

(ग) जी, नहीं,

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना

555. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 5 000/- रुपये तक के ऋण सांपार्श्विक अथवा तीसरी पार्टी की गारन्टी मांगे बिना दिये जाने होते हैं । हाल ही में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए यह सुविधा कृषि तथा इससे सम्बद्ध कार्यों के वास्ते निवेश ऋणों के सम्बन्ध में 10,000/- रुपए तक बढ़ा दी गई है । शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत 25,000/- रुपये से अधिक के ऋणों पर अब उस दर से ब्याज लिया जायेगा जो 25,000/- रुपए और इससे कम के ऋणों पर लागू है । इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत 25,000/- रुपये से अधिक के ऋणों के लिए कोई मार्जिन अथवा सांपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश को कृषि के लिए केन्द्रीय सहायता

556. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश को कृषि के विकास के लिए कितनी धन-राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष क्षेत्रक से सम्बद्ध नहीं होती ।

(ख) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1986-87 में आवंटित 694.76 करोड़ रु० की तुलना में वर्ष 1987-88 में वार्षिक योजना के लिए आवंटित कुल निवल केन्द्रीय सहायता 890.04 करोड़ रु० है इसके अलावा, राज्य को निर्धारित फार्मूले के अनुसार—केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत पर्याप्त अनुदान और ऋण भी प्राप्त हो रहे हैं ।

भर्ती पर रोक का प्रभाव

557. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान रिक्तियों को भरे जाने और नई भर्तियों पर वर्ष 1984 से लगाई रोक का देश के योजनाबद्ध विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण छठी योजना में मंजूर अधिकतर परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है और राजस्व की हानि हुई है तथा कार्यकुशलता में गिरावट आई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार रोक हटाने अथवा अपनी कार्य विधि में सुधार करना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) जनवरी, 1984 में जारी किए गए अनुदेश, जिनमें मंत्रालयों/विभागों को नये पदों का सृजन नहीं करने अथवा विद्यमान रिक्तियों को नहीं भरने की सलाह दी गई थी, कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए किए गए मुद्रास्फीति निवारक उपायों का एक भाग थे । तथापि भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था जहां तक कि विशिष्ट परिस्थितियों में जहां कहीं औचित्य सिद्ध होता था वहां पदों के सृजन करने अथवा रिक्तियों के भरने के प्रस्तावों को उपयुक्त स्तरों के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् मंजूरी दी जाती थी । इसलिए, उपर्युक्त अनुदेशों की वजह से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनागत स्कीमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था ।

(ग) और (घ) सरकार ने रिक्तियों को भरने/पदों के सृजन करने से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशों की समीक्षा की है तथा उनमें संशोधन किया है । इस बारे में 20 मई और 15 जुलाई, 1986 को जारी किए गए अनुदेशों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं खोला जाना

558. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वह

हिमाचल प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक की नई शाखा लाइसेंस नीति के अन्तर्गत नई शाखाएं खोलने के लिए दिये गए लाइसेंसों के अनुसार कोई नई शाखा खोलने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो शाखाएं न खोलने की अपनी असमर्थता के लिए यूनाइटेड कामिर्शियल बैंक ने क्या कारण बताये हैं तथा क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये स्थान आवंटित करने का निर्णय किया है ; और

(ग) उन स्थानों के जिला-वार क्या नाम हैं जो नई शाखाएं खोलने के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को आवंटित किए गए थे तथा जहां बैंक ने शाखाएं खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, यूको बैंक को हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए 19 लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1. बेहाल	बिलासपुर
2. घंदिर	—वही—
3. डंगोटा	हमीरपुर
4. लागीपाल	कुल्लू
5. सिओबाग	—वही—
6. कलथ	—वही—
7. मनहरी	शिमला
8. बनोती	—वही—
9. धगोली	—वही—
10. डंगोरी	—वही—
11. नेरीपुल	सिरमूर
12. दीदाग खांदल्यों	—वही—
13. वासनी	—वही—
14. धरवा	—वही—
15. कोटी धीमान	—वही—
16. रजनी	—वही—
17. भवाई	—वही—
18. नंद	—वही—
19. लोहारघाट	—वही—

यूको बैंक ने इन केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते असमर्थता जाहिर करते हुए, सभी 19 केन्द्र इस आधार पर छोड़ दिये हैं कि भारत में कार्यरत उसकी वर्तमान शाखाओं में से 73 प्रतिशत शाखाएं पहले ही ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं और इस प्रतिशतता को बढ़ाने से बैंक को प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयां होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब ये 19 केन्द्र, हिमाचल प्रदेश में अन्य बैंकों को आवंटित कर दिए हैं।

ईंधन की कम खपत वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर सीमा शुल्क

559. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की कम खपत वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली कुछ यात्राओं पर सीमा शुल्क में हाल ही में कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कटौती किस सीमा तक की गई है तथा इस संबंध में यदि कोई अतिसूचना जारी की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक अनुमोदित चरणबद्ध निर्माणकारी कार्यक्रम के तहत निर्मित ईंधन दक्ष हल्के वाणिज्यिक वाहनों के संघटकों पर सीमा शुल्क (मूल तथा उपसंगी) 50% मूल्यानुसार से घटाकर 35% मूल्यानुसार कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 20 मई, 1987 की अधिसूचना सं० 227/87-सीमाशुल्क जारी की गई है।

पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति

560. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) कितनी परियोजनाओं को अभी स्वीकृति दी जानी है और उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्र द्वारा केरल में परियोजनाओं को मंजूरी

561. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा मंजूरी दिए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है ;

(ख) उनमें से किन-किन परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है ; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी जानी है और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए सहायता

562. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकार का स्वयंसेवी संगठनों को नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए कोई सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि देने का तथा किस तरीके से देने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निश्चित नहीं की गई है । फिर भी, मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य अल्कोहल, नशीली दवाओं के व्यसनियों और अन्य सामाजिक अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के परामर्श और पुनर्वासात्मक कार्य के लिए "स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना" के अन्तर्गत, पात्र स्वयंसेवी संगठनों को योग्यता के आधार पर विभिन्न कार्य-कलापों के लिए जिसमें निर्व्यसन भी शामिल है, बजट आबंटन के भीतर सहायता देने के लिए विचार किया जाता है ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं में विलम्ब

563. **श्री आनन्द पाठक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की कौन-कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) इस विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पश्चिम बंगाल की कोई परियोजना ऐसी नही है जो योजना आयोग द्वारा कार्यवाही के अभाव में लम्बित पड़ी हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सुन्दरबन विकास परियोजना का चरण-दो

564. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन विकास बोर्ड के परियोजना निदेशक से सुन्दरबन विकास परियोजना के दूसरे चरण (पहले चरण के क्रम में) के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पहले चरण की अवधि को 30-6-87 से बढ़ाकर 30-6-88 करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इन्टल नेशनल फंड फार एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट और विश्व बैंक को सिफारिश की गई है ; और

(ग) क्या दूसरे चरण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां । कृषि और सहकारिता विभाग को सुन्दरबन विकास परियोजना के दूसरे चरण (पहले चरण के अनुक्रम में) के प्रारंभिक प्रस्ताव हो गए हैं ।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक की मार्फत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को सिफारिश की है कि पहले चरण की अवधि 30-6-87 से बढ़ाकर 30-6-88 तक कर दी जाए।

(ग) भारत सरकार द्वारा सुन्दरबन विकास परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया गया है।

सोवियत संघ द्वारा भू-भौतिकीय कम्प्यूटर प्रणाली की सप्लाई

565. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री मानिक रेड्डी :

श्री आर० एम० भोये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने भू-भौतिकीय गवेषणा के लिए माडल ई०सी०-1061 कम्प्यूटर के पहले तीन कम्प्यूटर सप्लाई किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कम्प्यूटर किन शर्तों पर प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की संभावना है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ ने भू-भौतिकीय गवेषणा के लिए तीन ई० सी०-1061 कम्प्यूटर प्रणालियों में से प्रथम कम्प्यूटर प्रणाली की आपूर्ति कर दी है। पहली कम्प्यूटर प्रणाली की उपयोगिता सिद्ध होने के बाद दूसरा मॉडल भेजा जाएगा और दूसरे कम्प्यूटर की उपयोगिता सिद्ध हो जाने के बाद तीसरा मॉडल भेजा जाएगा। ई० सी०-1061 कम्प्यूटर प्रणालियां सोवियत संघ से 10 वर्षीय आस्थगित भुगतान के आधार पर मंगवाई जा रही हैं।

(ग) इन तीन प्रणालियों पर कुल 16,85,260 अमरीकी डालर तथा 31,22,094 जर्मन मार्क के रूप में विदेशी-मुद्रा खर्च होने की संभावना है।

परियोजना की लागत में वृद्धि

566. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गई अधिकांश विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में 31-3-87 को उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-85 से 31-3-87 तक अनुमोदित छः परियोजनाओं ने समय और लागत वृद्धि दिखाई है। इनमें दो परियोजनाएं कोयला, एक पैट्रोलियम, दो उर्वरक, और एक विद्युत क्षेत्र में है।

(ग) विलम्ब के मुख्य कारणों में, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति, औद्योगिक सम्बन्ध, उपस्कर/सामग्री की सप्लाई में विलम्ब आदि जैसी समस्याएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

रुपये का मूल्य

567. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रुपये का वर्ष 1970 में रुपये के मूल्य की तुलना में कितना मूल्य है ;

(ख) क्या भारतीय रुपये के मूल्य में निरन्तर कमी होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार—1960 = 100 के व्युत्क्रम के रूप में आंकी गई रुपये की क्रय शक्ति 1970 में 54.35 पैसे और मई, 1987 (नवीनतम उपलब्ध) में 14.22 पैसे थी।

(ग) सरकार की मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति के अन्तर्गत प्रभावी मांग और पूर्ति प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, चीनी और खाद्य तेलों को नियमित रूप से जारी करना और प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, चीनी और खाद्य तेलों को नियमित रूप से जारी करना और प्रणाली से नकदी बाहुल्य को समेटना शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज

568. **श्री मदन पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा-धन राशि पर बढ़ी हुई दर पर ब्याज देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह दर क्या है और किस तारीख से इस पर ब्याज दिया जाएगा; और

(ग) इससे कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधियों में जमा राशियों पर वर्ष 1987-88 से लिए ब्याज की दर वही है जो वर्ष 1986-87 के लिए थी, अर्थात 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा

569. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी के रेखा की परिभाषा मूल्य स्तर के अनुसार बदलती रहती है, यदि हां, तो गरीबी की रेखा का वर्तमान स्तर क्या है; और

(ख) क्या गरीबी के रेखा के स्तर को निर्धारित करते समय ईंधन, कपड़ा, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। कीमतों में वृद्धि के अनुसार, गरीबी की रेखा को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। गरीबी की रेखा के नवीनतम अनुमान वर्ष 1984-85 से संबंधित हैं। नवीनतम गरीबी की रेखा 1984 की कीमतों पर (सातवीं योजना का आधार वर्ष) ग्रामीण क्षेत्रों में 107 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास तथा शहरी क्षेत्रों में 122 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास है।

(ख) गरीबी की रेखा निर्धारित करने में खाद्य तथा खाद्य-भिन्न मदों पर होने वाले व्यय को हिसाब में लिया जाता है और इसलिए ईंधन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य की देखभाल पर होने वाला व्यय भी इसमें शामिल होता है। लेकिन, गरीबी की रेखा की परिभाषा में केवल कैलोरी खपत की पर्याप्तता को ही सुनिश्चित किया गया है।

प्रत्यक्ष कर के आधार को व्यापक बनाने के लिए सर्वेक्षण

570. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री के० प्रधानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर के आधार को व्यापक बनाने के लिए सरकार का देश के बड़े शहरों में संभावित आयकर दाताओं का सर्वेक्षण करने का विचार है जैसाकि दिनांक 15 जून, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बताया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि काफी संख्या में गैर-वेतनभोगी और स्वरोजगार व्यक्ति आयकर विवरणियां नहीं भर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) धारा 133ख के उपबंध, सर्वेक्षण के दौरान आयकर प्राधिकारियों को आवासीय परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं।

(ग) और (घ) गैर-वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है जिनकी आयकर योग्य है परन्तु वे अपनी आय विवरणियां दाखिल नहीं कर रहे हैं। तथापि, कर अपवंचन को समाप्त करने के लिए सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है और ऐसे व्यक्तियों को कर के दायरे में लाने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

विकासशील देशों द्वारा विदेशी ऋण की अदायगी

571. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी ऋण अदायगी की सीमा की निर्यात आय की निर्धारित प्रतिशतता तक सीमित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अन्य विकासशील देशों के साथ कदम उठाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इस व्यवस्था से सहमत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तीसरे विश्व के देशों पर बढ़ते हुए रिण सेवा भार के संबंध में उनके क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) चौबीस देशों के अन्तः सहकारी समूह द्वारा पेश की गई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा मामलों से संबंधित रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया है कि कोष द्वारा उधार दिए गए साधनों की वापसी अदायगी जितनी जल्दी सम्भव हो सके उतनी जल्दी कर दी जानी चाहिए और साथ ही कोष के प्रयोजनों के अनुरूप ऐसी अदायगियों को सदस्य राष्ट्र की वापसी अदायगी की क्षमता से संबद्ध होना चाहिए। पारम्परिक रूप से निर्धारित वापसी अदायगी के कार्यक्रम के स्थान पर किसी भी देश से उसे निर्यात से होने वाली अपनी आय का केवल एक विशिष्ट भाग या वैकल्पिक रूप में, सूचकों (आकस्मिकता तंत्र के अन्तर्गत आने वाले सूचकों के अनुरूप ही) के आधार पर निर्धारित राशि की वापसी अदायगी की अपेक्षा की जानी चाहिए। यह सुझाव कोष की वापसी अदायगियों से संबद्ध रखता है और यह सामान्य रिण की समस्या से संबंधित नहीं है। भारत 24 देशों के एक समूह का एक सदस्य है।

विश्व बैंक और कोष ने इस सुझाव के बारे में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

औद्योगिक तेलों पर उत्पादन शुल्क कम करने की मांग

572. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहाने के साबुनों में उपयोग किये जाने वाले औद्योगिक तेलों पर उत्पाद शुल्क के स्लैब ढांचे में कमी करने की कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। अधिकांश औद्योगिक तेलों को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है। जहां ऐसे तेलों पर उत्पाद शुल्क देय है, वहां साबुन के निर्माताओं को मॉडवेट योजना के माध्यम से प्रदत्त शुल्क के सम्बन्ध में राहत उपलब्ध होगी।

(ख) और) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं।

विदेशी मुद्रा का घोटाला

573. **श्री मानिक रेड्डी** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री सुभाष यादव :
श्री धर्म पाल सिंह मलिक :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में एक ऐसे बड़े विदेशी विनिमय घोटाले का पता लगाया गया है जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करके लगभग 30 करोड़ रुपये के प्रतिपूरक भुगतान किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां तो इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित और उसके पर्यवेक्षण में "राहू' कोड नामक कार्रवाई 27 जून, 1987 को बंबई में 20 जगहों की तलाशी ली गई थी । इन तलाशियों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों में लगभग 30 करोड़ रुपए तक की हवाला अदायगियां, 15,39,100 रुपए की भारतीय मुद्रा जो कि मुआवजा अदायगियों से प्राप्ति की रकम समझी जाती है, दर्शानी वाले बहुत से आपत्तिजनक दस्तावेज और 1,100 रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी ।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच की समाप्ति पर अधिनिर्णयन की कार्रवाई शुरू की जाएगी ।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग

574. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17-6-87 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ग्रामीण और अर्धशहरी आप्रवासी भारतीयों के द्वारा अर्जित लगभग 25000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का पिछले 12 वर्षों में देश में किसी व्यावहारिक निवेश योजना के अभाव में उचित उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अप्रवासी भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का बेहतर उपयोग करने के लिये कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह बात सही नहीं है, कि सरकार के पास देश में अनिवासी भारतीयों को पूंजी का निवेश कर सकने की सुविधा देने के लिए कोई सक्षम योजना नहीं है । अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को निवेश के लिए वही सुविधाएं अब भी उपलब्ध है जिनको 1982 में उदार बनाया गया था । इनमें अप्रत्यावर्तन तथा प्रत्यावर्तन दोनों ही आधारों पर निवेश करने की सुविधाएं शामिल हैं । अनिवासी भारतीय, भगुहादि परिसम्पत्ति के कारोबार को छोड़कर, मालिकाना हक वाले किसी भी कारोबार, साझेदारी के व्यापार और संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों में अप्रत्यावर्तन आधार पर पूंजी

का निवेश कर सकते हैं। प्रत्यावर्तन योजना के अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक विनिर्माणकारी क्रिया-कलाप में पूंजी लगाई जा सकती है और भारतीय कम्पनियों में, अनिवासी भारतीय (बाह्य) रुपया खातों में, विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में रकमें जमा के रूप में रखी जा सकती है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, राष्ट्रीय बचतपत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में पूंजी का निवेश किया जा सकता है। अनिवासी भारतीयों को दी गई सुविधाओं पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

575. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रत्येक मद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कौन सी मदों के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत (1) सिंचाई संभावना, (2) दाल उत्पादन, (3) तिलहन उत्पादन, (4) नसबन्दी, (5) उप केन्द्र, (6) प्रारम्भिक नामांकन और (7) प्रौढ़ साक्षरता के मामलों को छोड़कर, उपलब्धि 100 प्रतिशत अथवा अधिक रही। इन सात मदों के सम्बन्ध में वास्तविक उपलब्धि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और अब तक दिखाई गई उपलब्धि "अनुमान" है। लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्धि न होने के कारण, धन की कमी, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याएं, निर्माण सामग्री की कमी, असामान्य मौसम, पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, परिवार नियोजन के अन्य उपायों पर बढ़ता हुआ दबाव, बीच में छोड़ देने आदि जैसी समस्याएं हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

576. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नयी बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते, केन्द्रों का आबंटन करते समय जिलों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तरजीह दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों को शाखाएं आबंटित किए जाने से पूर्व नवगठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले कुछ न्यूनतम शाखाएं आबंटित की जाए। जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं पर्याप्त संख्या में होती हैं, वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रों का आबंटन करने के मामले में उन्हें तरजीह दी जाती है। भारतीय

रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत आबंटित कुल 4396 केन्द्रों में से 1804 केन्द्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित किए गए हैं।

इन परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खातिर वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति अथवा प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को ऋण देना

577. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना के वास्तविक लाभ निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं ;

(ख) क्या ऋण वितरण की प्रक्रिया के बारे में बैंकों पर कोई नियन्त्रण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना का उद्देश्य उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है जो अपने साधनों से पूंजी नहीं जुटा सकते। इस योजना को 1986-87 में जारी रखते हुए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय की सीमा 10,000/- रुपए रखी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ केवल निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ही प्राप्त हो।

(ख) बैंक की शाखाओं को ऋण की औपचारिकताओं के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक के प्रधान कार्यालयों द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन करना होता है। बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण दलों, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक द्वारा शाखाओं की लेखा परीक्षा की जाती है/निरीक्षण किया जाता है।

(ग) सरकार शिक्षित बेरोजगारों युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत तुरन्त ऋण मंजूर करने और उनका संवितरण करने तथा शाखाओं के पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए बैंकों पर जोर देती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस सम्बन्ध में बैंकों के नाम जारी किए जाने वाले अनुदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिट एक का पुनः चालू किया जाना

578. **श्री बुद्धि चंद्र जैन**: क्या प्रधान मंत्री राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिट एक में रिसाव के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिट एक को पुनः चालू किए जाने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी दक्षिणी एंड शील्ड में पड़ी दरारों को बन्द करके चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तथापि, यूनिट को लम्बे समय तक काम करने योग्य बनाए रखने के प्रयास के अन्तर्गत एंड-शील्डों को बदलने की सम्भावना का अध्ययन भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बिहार की सातवीं योजना के परिव्यय में संशोधन

579. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि सातवीं योजना के परिव्यय को 5100 करोड़ रुपए से संशोधित करके 7800 करोड़ रुपये कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काले धन का पता लगाने के उपाय

580. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने काले धन का पता लगाया गया है ;

(ख) वास्तव में कितने काले धन के होने का अनुमान है ; और

(ग) काले धन का पता लगाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में प्रथमदृष्टया क्रमशः 25.07 करोड़ रुपए, 50.32 करोड़ रुपए और 100.70 करोड़ रुपए मूल्य की लेखाबाह्य परि-सम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। कर अपवंचन की सही राशि का पता तब लगेगा जबकि कर-निर्धारण पूरे करके उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ख) देश में कितना काला धन चलन में है इसकी राशि का कोई सरकारी अनुमान नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलू" नामक अपनी रिपोर्ट में 1983-84 के लिए अवैध आय का अनुमान लगभग 31584 से 36786 करोड़ रुपए लगाया है। वैसे लोगों ने यह स्वीकार किया है कि यह कई अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित हैं और इनमें से प्रत्येक अनुमान और कल्पना को चुनौती दी जा सकती है।

(ग) सरकार के काले धन के अभिशाप को समाप्त करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना का क्षेत्र बढ़ाकर स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना सरकार की नीति का एक अंग है। नीति का दूसरा अंग गहन छानबीन, तलाशी, अभिग्रहण, अभियोजन और सर्वेक्षण करने जैसी निवारक कार्रवाइयों को तेज करना है।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना

561. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा को जिन जिलों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया उनके नाम क्या हैं ;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मे उड़ोसा के लिए इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को इस प्रयोजन के लिए मजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) व (ख) जी, नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में दो सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया था। "सामाजिक वानिकी तथा ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौधरोपण' योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया था, जबकि स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सिडा) द्वारा सहायताप्राप्त "उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना" के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त नहीं किया गया था। छठी योजना अवधि के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) उड़ीसा राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों नामतः बालासौर, बोलमगीर, कटक, धेनकनाल, गंजम, क्योनझर, मयूरभंज, पुरी तथा सम्बलपुर में उपर्युक्त सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया था।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

रुपये लाखों में

क्रम सं०	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय
1	2	3	4
1.	गैर-हिमालय के इको सेंसिटिव क्षेत्रों में	21,953 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण	540.00

1	2	3	4
	ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौधरोपण तथा वनरोपण ।		
2.	स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त उड़ीसा सामाजिक वानिकी ।	49,430 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण तथा किसानों को 46 मिलियन पौधों का वितरण ।	1793.00

(ङ) उड़ीसा राज्य को ग्रामीण ईंधन की लकड़ी पौधरोपण योजना हेतु 1985-86 के लिए 94.62 लाख रुपए तथा 1986-87 के लिए 85.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है । वर्ष 1987-88 के लिए आबंटित केंद्रीय सहायता 120.00 लाख रुपए है । उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना हेतु स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सिडा) द्वारा 5 वर्षों के लिए 1971.9 लाख रुपए की सहायता दी गई है । राज्य सरकार ने 1985-86 तक स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई 450.9 लाख रुपये की सहायता का उपयोग कर लिया है और मार्च, 1987 तक 916.75 लाख रुपये के प्रतिपूर्ति दावों (क्लेम) के लिए लिखा है ।

विवरण

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना

छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

	वित्तीय (लाख रुपए)		भौतिक	
	परिव्यय	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1. सामाजिक वानिकी तथा ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौधरोपण (1980-81 से 1984-85)	462.00	485.61	20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण तथा 23 मिलियन पौधों का वितरण	24,400 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण तथा 21 मिलियन पौधों का वितरण ।
2. स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सिडा) द्वारा सहायता प्राप्त उडीसा सामाजिक वानिकी परियोजना (1983-84 से 1984-85)	510.00	174.00	8570 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण तथा 5 मिलियन पौधों का वितरण	3552 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण तथा 1.5 मिलियन पौधों का वितरण ।

केरल में स्टाम्प पेपरों का अभाव

582. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में स्टैम्प और स्टाम्प पेपर की कमी के बारे में केरल सरकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा केरल सरकार को सभी मूल्य के स्टैम्प और स्टाम्प पेपरों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने पहले ही स्टाम्स पेपरों का उत्पादन बढ़ा दिया है । कमी को कम करने के लिए पिछले 7 महीनों के दौरान तीन बार त्रिवेन्द्रम को 87.33 लाख स्टाम्प और स्टाम्प पेपर के विशेष वैगन भेजे गए थे ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी देना

583. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जिमकार्बेट नेशनल पार्क के साथ लगे हेमपुर के निकट कोई उद्योग शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) हेमपुर के पास औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन की उद्यमपूंजी संबंधी सिफारिश

584. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आवश्यकताओं के अनुकूल उद्यम पूंजी का पता लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन, जो मई, जून, 1987 में भारत आया था की नीति संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या है ;

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम के मिशन की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा की नहीं होते ।

डा०जी०वी०के० राव समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

585. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक प्रबंध और गरीबी निवारण कार्यक्रमों से संबंधित जी०वी०के० राव समिति द्वारा की गई सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मामला, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने विचार के लिए रखना होता है ।

इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को वापस देय शुल्क

5816. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को वापस किये जाने वाले शुल्क की काफी धनराशि देय है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका भुगतान न करने का निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कीटनाशी दवाइयों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास

587. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने कीटनाशी दवाइयों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु द्रुत कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें कितनी प्रगति हुई है और उद्योग द्वारा उसका कितना उपयोग किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर०नारायणन) : (क) और (ख) कीटनाशकों सहित कृषि-रसायनों पर अनुसंधान व विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक प्रमुख क्षेत्र हैं और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद एक प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में इस कार्यक्रम में समन्वय कर रही है । वर्तमान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही परियोजनाएं संलग्न **विवरण-1** में दी गयी हैं ।

(ग) प्रयोगशाला ने बहुत से कीटनाशकों और उनके फार्मुलेशन के लिए तकनीकी जानकारी विकसित की है । जबकि बहुत से कीटनाशकों का पहले से ही उत्पादन किया जा रहा है, कुछ अन्य कीटनाशकों का उत्पादन कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन कीटनाशकों की सूची संलग्न **विवरण-2** में प्रस्तुत की गई है ।

विवरण-1

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ।

(1) थायोफानेट
(2) फ्लूओवग्रीनेट
(3) कारटेप
(4) एसेफेट
(5) क्लोरसुलेथन
(6) बेन्टाजोन
(7) एडीफेनफॉस
(8) नीम करनेल एक्सट्रैक्ट
(9) फेरोमोन्स
(10) पौध विकास उन्नयक

विवरण-2

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा विकसित किये गये कीटनाशक जिनका वाणिज्यीकरण किया जा चुका है।

तकनीकी

(1) ब्यूटोक्लोर
(2) डी०डी०वी०पी०
(3) एम०वी०सी०
(4) मोनोक्रोटोफॉस
(5) क्विनालफॉस

फार्मूलेशन

(1) डिआजीनोन20 ई०सी०
(2) डी०डी०वी०पी० 76 ई०सी०
(3) संक्रमण रहित खंड
(4) मोनोक्रोटोफॉस 36 डब्ल्यू० एस०सी०
(5) सल्फर बेंटेबिल

वर्ष 1987 में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आयकर के छापे

588. श्री मोहनभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से जून, 1987 की अवधि के दौरान सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आयकर के कोई छापे मारे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में रंगीन टेलीविजन सैटों का निर्माण

589. **श्री मोहनभाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात से बचने तथा विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु देश में रंगीन टेलीविजन सैट बनाने के लिए सभी पुर्जों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी कंपनी ने इन पुर्जों का निर्माण करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) कौन-कौन से सरकारी उपक्रम रंगीन टेलीविजन सैटों की ट्यूब सहित उनके पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) रंगीन दूरदर्शन के पुर्जों का विनिर्माण स्वदेश में करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है ।

(ii) रंगीन दूरदर्शन के पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है ।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा के विनिर्माण के लिए उसके उपादानों पर लगने वाले आयात शुल्क को काफी कम कर दिया गया है ।

(v) इस उद्योग के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क केवल 30 प्रतिशत है ।

(vi) 25 इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) रंगीन दूरदर्शन के पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र की अनेक कम्पनियों ने अनुमोदन प्राप्त किए हैं । जो इकाइयां उत्पादन कर रही हैं तथा जो इकाइयां रंगीन दूरदर्शन के महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कारगर उपाय कर रही हैं, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(घ) रंगीन दूरदर्शन के महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित तीन इकाइयां जुटी हैं—

(i) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(ii) केल्ट्रॉन मैग्नेटिक्स लिमिटेड

(iii) अप्ट्रॉन रंगीन पिक्चर ट्यूब लिमिटेड

विवरण

रंगीन दूरदर्शन के महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों का उत्पादन करने वाली तथा इस संबंध में अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कारगर उपाय करने वाली इकाइयों की सूची

इकाई का नाम	वस्तु
1	2
1. उत्पादन करने वाली इकाइयां	
1. पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिस	रंगीन पिक्चर ट्यूब
2. अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०	रंगीन पिक्चर ट्यूब
3. इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च प्रा० लि०	रंगीन दूरदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक समस्वरित्र तथा विक्षेपण संघटक-पुर्जे
4. केल्ट्रॉन मैग्नेटिक्स लि०	डिले लाइन
5. कांटिनेंटल डिवाइस इंडिया लि०	प्रचालन एकक
6. सुचित्रा कॉम्पोनेंट्स लि०	रंगीन दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जे
2. कारगर उपाय करने वाली इकाइयां	
1. आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	रंगीन पिक्चर ट्यूब
2. पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि०	प्रचालन एकक इलेक्ट्रॉनिक दूरदर्शन समस्वरित्र समस्वरित्रों के लिए नियंत्रण एकक समस्वरित्रों के लिए प्रचालन एकक ई० एच० टी०/लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर ज्योतिर्मयता विलम्ब लाइन वर्णकत्व विलंब लाइन फोकस विभवमापी
3. कॉन्टिनेंटल डिवाइसिस इंडिया लि०	इलेक्ट्रॉनिक समस्वरित्र

1	2
4. यूनाइटिड वाच लि०	इलेक्ट्रॉनिक दूरदर्शन समस्वरित्र
5. टेलीविजन एण्ड कॉम्पोनेंटस प्रा० लि०	रंगीन दूरदर्शन के लिए इलेक्ट्रोनिक समस्वरित्र
6. अप्ट्रान इंडिया लि०	लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर
7. समटेल इंडिया लि०	रंगीन पिक्चर ट्यूब
8. इलेक्ट्रो स्केन इंडिया लि०	ई० एच० टी०
9. ट्यूनरटेक इंडिया प्रा० लि०	इलेक्ट्रॉनिक समस्वरित्र
10. एम० एस० चावला एंड कं०	इलेक्ट्रॉनिक समस्वरित्र
11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सोरटियम प्रा० लि०	ई० एच० टी०, डी० वाई०

[हिन्दी]

संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान (ए०एस०एल०वी०) की असफलता के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

590. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री बलवन्त सिंह रामू वालिया :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान (ए० एस० एल० वी०)के प्रक्षेपण की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्थापित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या समिति द्वारा खराबी के कारणों का पता लगा लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) असफलता विश्लेषण समिति (एफ० ए० सी०) का गठन श्री आर० आरावमुदन, निदेशक, इसरो विश्वसनीयता कार्यालय (इसरेल) की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विभिन्न केन्द्रों से 14 विशेषज्ञ सदस्य लिए गए थे, जो कि संरचना, नियंत्रण प्रणाली, प्रणोदक, रेंज सुरक्षा, यांत्रिकी, दूरमिती और अनुवर्तन, संचार, सुरक्षा इत्यादि सहित विविध विषयों और ग्रुपों से संबंधित थे ।

इनके अलावा, एफ० ए० सी० ने भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) के और बाहर के, दोनों

से सौ से अधिक विशेषज्ञों को भी सहयोजित किया था, जिनमें इसरो की पूर्व प्रमोचक राकेट परियोजनाओं के परियोजना निदेशक भी शामिल थे।

(ग) और (घ) एफ० ए० सी० ने इस बात की पुष्टि की है कि मिशन की असफलता राकेट की उठान के बाद 48.5 सैकण्ड पर प्रथम चरण के अप्रज्वलन के कारण हुई है। अतः एफ० ए० सी० ने अपने प्रयास प्रथम चरण की प्रज्वलन प्रणाली की खराबी के कारणों का पता लगाने पर केन्द्रित किए। सेंतीस सम्भावित असफल विधाओं की एक व्यापक सूची तैयार की गई और इन सभी विधाओं के विस्तृत अन्वेषण के बाद, एफ० ए० सी० ने इन असफल विधाओं में से किसी के भी घटने की संभावना को खारिज कर दिया है। सभी उड़ान आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण और गहन अनुकार अध्ययनों के बाद एफ० ए० सी० का निष्कर्ष यह था कि मोटर के अप्रज्वलन को अत्यन्त लघु लेकिन निम्न परिमित संभावना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

(क) दोनों प्रज्वलन सर्किटों में अनिच्छित शार्ट सर्किट ;

(ख) दोनों प्रज्वलन सर्किटों में अनिच्छित इलेक्ट्रीकल ओपन सर्किट ;अथवा

(ग) सेफ/आर्म युक्ति की रेंडोम खराबी।

चूंकि ये सभी तीनों संभव असफल यांत्रिकिया यादृच्छिक (रेंडोम) किस्म की हैं, इन तीनों में से किसी एक कारण को असफलता के कारण के रूप में इंगित करना संभव नहीं है।

एफ० ए० सी० ने विश्वसनीयता में आगे वृद्धि करने के लिए और संभावित असफलताओं को रोकने के लिए सिफारिशों का एक विस्तृत सैट प्रदान किया है। एफ० ए० सी० ने जिन उपायों की सिफारिश की है, उन सभी को ए० एस० एल० वी० की द्वितीय विकासात्मक उड़ान में शामिल किया जा रहा है।

-[अनुवाद]

दिल्ली, पुणे और भुवनेश्वर में सुपर कम्प्यूटर लगाना

591. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, पुणे और भुवनेश्वर में सुपर कम्प्यूटर लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भुवनेश्वर में लगाये गए सुपर कम्प्यूटरों ने काम करना शुरू कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो ये कब तक कार्य शुरू कर देंगे ;

(घ) क्या सरकार का भुवनेश्वर में साफ्टवेयर केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों तथा अन्य उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सरकार ने दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में बड़े मेनफ्रेम कम्प्यूटर स्थापित किए हैं।

(ख) जी, हां। भुवनेश्वर में स्थापित की गई कम्प्यूटर प्रणाली ने नवम्बर, 1986 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने नवम्बर, 1986 में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात, साफ्टवेयर का विकास तथा प्रशिक्षण पर एक नई नीति की घोषणा की है जिसमें हार्डवेयर का आयात, रियायती दर पर सीमा-शुल्क, नकद प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता, अतिरिक्त निर्यात पात्रता विदेशों में विपणन कार्य पर किए जाने वाले व्यय की सहायता, आदि के रूप में तथा भारत में साफ्टवेयर संगठन स्थापित करने के लिए जिसमें कुछ मात्रा में निर्यात करने के बारे में वचन देना होगा, उद्यमकर्ताओं को जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं । ये प्रोत्साहन भुवनेश्वर में साफ्टवेयर कम्पनियां स्थापित करने के मामले में भी लागू हैं ।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती

592. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में नई भर्ती रोक दी गई है जबकि वहां बड़ी संख्या में पद अभी भी रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा मे राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) भर्ती रोकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) बैंक उडीसा में खाली पड़े स्थानों को भर सकते हैं, पदों का सृजन कर सकते हैं/भर सकते हैं बशर्ते कि यह सब कर्मचारियों के विस्तार के लिए उनके वास्ते निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।

[हिन्दी]

बैंक ऋण नीति को उदार बनाना

593. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुखो के बीच बैंक रिण नीति को उदार बनाने तथा निर्धन लोगों को अधिकतम लाभ देने के लिए हाल ही में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई, 1987 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों की बैठक बुलाई थी ताकि उनके कार्यनिष्पादन और उनके द्वारा की गई पहल की समीक्षा की जा सके । इस बैठक मे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें ग्रामीण रिण और गरीबी हटाओ कार्यक्रम, ग्राहक सेवा, अनुशासन और कार्यकुशलता शामिल हैं । भारतीय

रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस बैठक में ऋण सम्बन्धी नीति के बारे में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं ; इन घोषणाओं का सम्बन्ध रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए बैंकों और सावधि रिणदाता संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है । इस उपाय के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिण प्राधिकार योजना के अन्तर्गत बैंकों के विवेकानुसार, रिण की शर्तों को उदार बना दिया गया है । इस बैठक में समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले रिणों के प्रवाह को बढ़ाने और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत कुछ और रियायतों की घोषणा भी की गयी । समाज के कमजोर वर्गों और शिक्षित बेरोजगारों को दिये जाने वाले ऋणों को और उदार बनाने के लिए जिन निर्णयों की घोषणा की गयी, वे इस प्रकार हैं : (1) कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 रुपये तक के निवेश रिणों के लिए बैंक सांपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारंटी पर जोर नहीं देंगे (पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी) । (2) शिक्षित बेरोजार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अंतर्गत मंजूर किये गए रिणों पर, जिनमें औद्योगिक धंधों के लिए दिये जाने वाले 5,000 रुपए तक के रिण शामिल हैं, निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा जबकि इस समय निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह दर 12.5 प्रतिशत वार्षिक और अन्य क्षेत्रों के लिए 13.5 प्रयिशत वार्षिक है । मार्जिन, प्रतिभूति आदि के लिए जो मानक अब 25,000 रुपए तक के रिणों पर लागू नहीं होते वे इस योजना के अन्तर्गत 35,000 रुपए तक के रिणों पर लागू नहीं होंगे ।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा सुपर कम्प्यूटरों की बिक्री

594. **श्री एच० बी०पाटिल :**

डा० टी० कल्पना देवी :

श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को "क्रे एक्स एम पी-एन आफ कम्प्यूटर" बेचने की पेशकश की है जो कि विश्लेषज्ञों द्वारा काफी पुरानी तकनीकी पर आधारित माने गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सी० आर० ए० वाई० (क्रे) एक्स एम० पी०-14 सुपर कम्प्यूटर बेचने का प्रस्ताव किया था ।

(ख) सरकार ने इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है ।

कालाधन निकालने के लिए नई राष्ट्रीय जमा योजना

595. **श्री एच० बी० पाटिल :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काला धन निकालने के लिए एक नई राष्ट्रीय जमा योजना के बारे में सर्वोच्च स्तर पर क्या विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजटीय आवंटन

596. **श्री एच० वी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्याज के भुगतान और ऋण की किस्तों की वापसी अदायगी में चूक करते हैं तो उनके बजटीय आवंटन में कटौती की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करे और उन उद्यमों के मामलों में सरकार को रिपोर्ट करें, जिनमें ऋणों को वापसी अदायगी और ब्याज के भुगतान सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने में कमियां होने की सम्भावना हो ।

[हिन्दी]

पर्यावरण संस्थान का पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर नामकरण करना

597. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कटरामल में स्थित पर्यावरण संस्थान का पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर नामकरण किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) (और ख) जी, हां । संस्थान दिनांक 14-7-1987 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत हुआ है । संस्थान का नाम गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान रखा गया है।

नशीली दवाइयों की तस्करी रोकना

598. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल और भारत के बीच नशीली दवाइयों आदि की तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दोनों देशों के बीच अवैध व्यापार पर नियन्त्रण रखने हेतु सहयोग के लिए भारत और नेपाल की सरकारों के बीच एक समझौता है ।

(ख) इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि दोनों देश यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी उपाय, जो आवश्यक हों, करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच अवैध व्यापार से एक दूसरे देश के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सांझी सीमा के आर-पार से अवैध व्यापार से संबंधित सूचना तथा अन्य सांख्यिकीय आकड़ों का संकलन किया जाय, तथा इसका एक दूसरे को आदान-प्रदान किया जाए, तथा सीमा पर स्थित क्रमशः दोनों देशों के सीमाशुल्क विभाग के प्रमुखों की नियमित बैठकें हों । अन्तर-सरकारी समिति की नियमित बैठकों के लिए व्यवस्था भी है । समय-समय पर ऐसी बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।

राज्यों में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाने हेतु सहायता

599. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 और 1987-88 में विभिन्न राज्यों को वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाने हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई ;

(ख) राज्यों को वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वृद्ध लोगों के गृह निर्माण हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वृद्ध लोगों के गृहों के लिए कोई सहायता की योजना नहीं है । फिर भी कुछ स्वयंसेवी संगठनों को, "स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान योजना" के अन्तर्गत, गृहों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों की सिफारिश पर सीमित सहायता दी गई है ।

[अनुवाद]

शीर्षस्थ कम्पनियों द्वारा करों की चोरी पर निगरानी रखने के लिए अनुसंधान सैल

600. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का करों की चोरी का पता लगाने के लिए शीर्षस्थ कम्पनियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान सैल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना करों की चोरी रोकने में कहां तक सहायक होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते ।

सातवीं योजना के लिए संसाधनों के बारे में योजना आयोग की बैठक

601. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री एस० एम० गुरुड्डी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1987 में सातवीं योजना के लिए संसाधनों की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए योजना आयोग की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने बैठक में किन अन्य विषयों पर चर्चा की और उन पर क्या निर्णय लिये गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग की मई, 1987 में हुई बैठक में ऐसे प्रमुख वित्तीय नीति विषयक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिनका दीर्घावधि के वित्तीय आयोजन पर प्रभाव पड़ता है, न कि सातवीं योजना के लिए संसाधनों पर ।

(ख) बैठक में राज्य कोषीय प्रणाली के उन क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श किया गया, जिनके अस्फीतिकारक तरीके से योजना के वित्त पोषण के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं और निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्र की गहन संवीक्षा की जाए ।

योजना तैयार करने के कार्य में पंचायती राजसंस्थाओं को शामिल करना

602. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना तैयार करने में और उसके ब्लाक और जिला स्तर पर कार्यान्वयन में पंचायती राजसंस्थाओं को शामिल करने की योजना है ;

(ख) क्या सरकार आयोजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में जनता को अधिकाधिक शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) इस नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और

(ख) विभिन्न स्तरों पर योजना प्रक्रिया के निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायत स्तर से लेकर संसद सदस्यों तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहभागिता पर योजना आयोग द्वारा बराबर बल दिया जाता रहा है। चूंकि संविधान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं राज्यों के क्षेत्र में आती हैं, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को योजना प्रक्रिया में उनके जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए समय-समय पर कहा गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर यह प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह एक निरन्तर चालू रहने वाली प्रक्रिया है।

सोवियत संघ द्वारा सुपर कम्प्यूटर की बिक्री के संबंध में समझौता

603. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री जी० एस० बसवराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ, सुपर कम्प्यूटर एलब्रस सहित कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने मेनफ्रेम ई सी-1066 तथा एलब्रस सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए सोवियत संघ में एक तकनीकी दल भेजने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सोवियत संघ कम्प्यूटरों पर विस्तृत तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराने के लिए राजी हो गया है, जिसमें सुपर कम्प्यूटर "एलब्रस" शामिल है।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रॉनिकी पर गठित भारत-सोवियत कार्यदल की मई 1987 में आयोजित पांचवीं बैठक के दौरान कम्प्यूटरों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जिस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे उसमें इस आशय का प्रावधान शामिल किया गया है। मेनफ्रेम ई सी-1066 प्रणाली तथा "एलब्रस" प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने एक तकनीकी दल को सोवियत संघ में भेजने का प्रस्ताव किया है।

वायु प्रदूषण

604. **श्री सलीम आई० शेरवानी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद में वायु प्रदूषण का पता लगाने और इसे रोकने के लिए कोई अध्ययन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के लिए भी इसी प्रकार का कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है ताकि वहां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके न्यूनतम किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद में वायु प्रदूषण और खनन में इसके नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किए गए थे :

(1) खान के कार्यकरण पर्यावरण में धूल और गैसों की गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना ;

(2) धूल निरोधक तकनीकों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना ; और

(3) खनन क्षेत्रों में खनन और अन्य सम्बद्ध औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा और स्वरूप का पता लगाना।

(ग) जी, नहीं।

भारत मे कार्यरत विदेशी बैंक

605. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या किन्हीं अन्य विदेश बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत में इस समय 21 विदेशी बैंकों की शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा 18 विदेशी बैंकों के भारत में प्रतिनिधि कार्यालय हैं। उन विदेशी शाखाओं वाले प्रतिनिधि कार्यालयों वाले विदेशी बैंकों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बारक्लेज बैंक पी०एल०सी० ने भारत में स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को पूर्ण शाखा में बदलने के लिए आवेदन किया है। उक्त आवेदन पर भी अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

आज की तारीख तक भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम

क्र० सं०	शाखाओं वाले बैंक	क्रम सं०	प्रतिनिधि कार्यालयों वाले बैंक
	विदेशी बैंक का नाम		विदेशी बैंक का नाम
1	2	3	4
1.	ब्रिडलेज बैंक पी०एल०सी०	1.	चैस मैनहटन बैंक
2.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन (हांगकांग बैंक)	2.	मैनूफैक्चरर्स डनोवर ट्रस्ट कं०
		3.	केमिकल बैंक

1	2	3	4
3.	सिटी बैंक एन० ए०	4.	बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी
4.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	5.	अमस्टर्डम रोटर्डम बैंक
5.	बैंक आफ अमरीका एन० टी० एण्ड एस०ए०	6.	बैंक्लेज बैंक इन्टरनेशनल लि०
6.	अमरीकन एक्सप्रेस	7.	क्रेटिड ल्योनेस
7.	बैंक नेशनल डी पेरिस	8.	मिडलैंड बैंक पी०एल०सी०*
8.	ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडल ईस्ट	9.	बैंकपरिबस
9.	बैंक आफ टोक्यो	10.	बैंक फार फारिन ट्रेड
10.	एल्जीमेन बैंक नीदरलैंड	11.	लायड्स बैंक इन्टरनेशनल
11.	मित्सुई बैंक	12.	इरविंग ट्रस्ट कंपनी
12.	सोनाली बैंक	13.	क्रेटिड कमर्शियल डी फ्रांस
13.	बैंक इंडोस्वेज	14.	रायल बैंक आफ कनेडा
14.	यूरोपीयन एशियन बैंक	15.	बैंक आफ कैलिफोर्निया
15.	बैंक आफ ओगन लि०	16.	बिनका नाजिओनले डैल-लावरी (बी० एन० एल०)
16.	आबूदाबी कमर्शियल बैंक	17.	डाई इची कांगयो बैंक
17.	बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीज) लि०**	18.	कनवा बैंक लि०
18.	बैंक आफ नोवा स्काटिया		
19.	सोसिएट जनरेल		
20.	ओमन इन्टरनेशनल बैंक एस०ए०ओ०		
21.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत		

*हांगकांग में स्थित हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन के पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी बैंक ।

**बी०सी० सी०आई० होल्डिंग (लक्समबर्ग) एस०ए० के पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी बैंक ।

जब्तशुदा माल के निपटान में विलम्ब के कारण हानि

606. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों में पकड़े गए अथवा जब्त किए गए माल के निपटान में विलम्ब होने के कारण सरकार को प्रतिवर्ष कितना घाटा होता है ;

(ख) क्या सरकार ने पकड़ी गई/जब्त की गई वस्तुओं, विशेषकर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निपटान की वर्तमान प्रक्रिया और तरीके की समीक्षा की है ताकि हानि को रोका जा सके अथवा उसे कम किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में चोरी, टूट-फूट और ह्रास आदि के कारण औसतन वार्षिक हानि लगभग 28 लाख रुपये की थी जबकि 1-4-86 तक की स्थिति के अनुसार पकड़े गए माल का कुल भण्डार 260 करोड़ रुपयों का था।

(ख) से (घ) अपील, पुनरीक्षण कार्रवाई आदि के पूरा होने के पश्चात् जब्तशुदा वस्तुयें निपटान योग्य हो जाती हैं। अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओं के निपटान की कार्यविधि और तरीके की समय-समय पर संवीक्षा की गई है और अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। 1983 में निपटान के तरीकों/माध्यमों की संख्या बढ़ाई गई थी। 1984 में ऐसे माल को शीघ्र निपटाने के लिए चार श्रेणियों में बांटा गया था जो बिगड़ सकता है अथवा शीघ्र पुराना पड़ सकता है। अभिग्रहण से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 को 1985 में संशोधित किया गया था ताकि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर करके विनिर्दिष्ट अभिगृहीत वस्तुओं का, सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके तत्काल निपटान किया जा सके।

जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

607. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा जनजातीय उप-योजना के लिए प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता राशि का अन्यत्र उपयोग किए जाने के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने जनजातीय उपयोजना के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि का अन्य कार्यक्रमों में उपयोग किया है तथा इस सहायता राशि के कितने प्रतिशत भाग का अन्यत्र उपयोग किया गया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी उपयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता राशि के अन्यत्र उपयोग के संबंध में कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

चरस की तस्करी

608. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में चरस की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष तस्करों से चरस की कितनी मात्रा बरामद की गई है और सरकार द्वारा कितने गिरोहों को पकड़ा गया है ;

(ग) क्या सरकार ने चरस की तस्करी के रोकने के कोई उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में चरस की तस्करी कितनी हो रही है इसकी मात्रा का पता लगाना कठिन है। तथापि 1-1-1987 से 30-6-1987 की अवधि के दौरान, 49 मामलों में 1.2 टन चरस का अभिग्रहण किया गया है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान, 108 मामलों में 6.3 टन चरस का अभिग्रहण किया गया था। गिरावट की इस प्रवृत्ति से यह आभास मिलता है कि नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध-व्यापार के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू किए गए जोरदार निरोधक उपायों से नशीले औषध-द्रव्यों की तस्करी पर प्रभावकारी रोक लगी है। इन निरोधक उपायों में निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, स्वापक औषध-द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को जोरदार तरीके से लागू करना, आदि शामिल हैं।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमितताएं

609. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को स्टेट बैंक आफ इन्दौर, देवास, मद्रास, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, दिल्ली, बम्बई तथा इन्दौर शाखाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध घोटाले, अनियमितताएं बरतने तथा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों के संबंध में वर्ष 1983-84, 19984-85 तथा 1985-86 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) प्रत्येक मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का शाखावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली साखा में धोखाधड़ी

610. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 और 1987 (अब तक) के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली शाखा में धोखाधड़ी के कितने मामले पकड़े गए हैं ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्ति दोषी पाये गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि 1986 और 1987 के दौरान उसकी चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में धोखाधड़ी के दो मामलों का पता चला था। बैंक ने अपने आगे सूचित किया है कि पहले मामले में दिनांक 26-6-86 को धोखाधड़ी की घटना हुई थी जब किसी अन्य बैंक द्वारा समाशोधन के जरिए 26,000 रुपए के जाली बैंक ड्राफ्ट का भुगतान किया गया। यद्यपि पुलिस ने यह मानकर कि इसका कोई पता नहीं चल सका, इस मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया है लेकिन बैंक ने संबद्ध अधिकारी को चार्ज शीट किया है।

दूसरा मामला दिनांक 7 मार्च, 1987 को 52,000/- रुपये के जाली चैक के भुगतान से संबंधित है। बैंक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करायी है। बैंक ने अपने दो अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

[अनुवाद]

बम्बई में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर छापे

611. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के विशेष उड़न दस्ते ने हाल ही में बम्बई और थाणे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, बम्बई-III के एक विशेष उड़न दस्ते ने, जिसमें तीन सहायक समाहर्ता, चार अधीक्षक और 21 निरीक्षक शामिल थे, मैसर्स सैन्डोज (आई) लि॰ की कोलशेट रोड, थाणे में स्थित फैक्टरी के कैमिकल्ज एण्ड सिन्थेटिक ऑरगैनिक डाई स्टफ सैक्शन के परिसरों की अचानक जांच के लिए दौरा किया था।

(ख) और (ग) इस उड़न दस्ते द्वारा 1-7-1987 से 3-7-1987 तक शुल्क्य माल का स्टाक-मिलान किया गया था। इस प्रकार स्टाक से मिलान के दौरान 18,68,688 रुपये के मूल्य की 6799 किलोग्राम सिन्थेटिक ऑरगैनिक डाई और 41543 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के कैमिकल्ज को सांविधिक उत्पादन रजिस्टर में रिकार्ड नहीं किया हुआ पाया गया था। इस अधिक माल का अभिग्रहण कर लिया गया है। 2161 किलोग्राम की अन्य प्रकार की सिन्थेटिक ऑरगैनिक डाई और 3096 किलोग्राम के अन्य कैमिकल्ज, जिन पर क्रमशः, 2,32,224 रुपये और 24,413 रुपये शुल्क बैठता है, की कमी का भी पता लगाया गया था। इस कम्पनी के विरुद्ध एक अपराध संबंधी मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है।

राष्ट्रीय साम्य पूंजी कोष

612. **श्री मुकुल वासनिक** :

श्री कृष्ण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों को साम्य पूंजी समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साम्य पूंजी कोष बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष से देश में लघु उद्योगों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है ; और

(ग) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है, जिन लघु उद्योगों को इस कोष से धनराशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लघु उद्यमियों को नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इक्विटी सहायता देने और संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार वर्ष 1987-88 में इस निधि में 5 करोड़ रुपये का अंशदान

करेगी और इतनी ही रकम का अंशदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। यह सहायता शुरू में, राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से दी जाएगी।

स्टाक होल्डिंग निगम की स्थापना

613. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्टाक होल्डिंग निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण कार्ड योजना

614. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ऋण कार्ड योजना (इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्कीम) आरम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 30 जून, 1987 तक इस योजना से कितने लोग/संस्थायें लाभान्वित हुए ; और

(घ) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने विशेषकर आंध्र प्रदेश में यह योजना आरम्भ की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से अभी तक केवल आंध्रा बैंक ने ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण कार्ड योजना आरम्भ की है। बताया गया है कि आंध्रा बैंक ने दिनांक 30 जून, 1987 तक 70 संस्थाओं के 122 कार्यपालकों को अन्तर्राष्ट्रीय ऋण कार्ड जारी किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बैंकों में जमा राशि

615. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में बचत खातों में वर्ष-वार कितनी राशि जमा की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋणों की किश्तों के रूप में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में लोगों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में बैंकों को ऋण की किश्तों के वापसी की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1984, 1985 और 1986 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां और अग्रिमों का ब्यौर नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपये)

के अन्त तक	जमा राशि	अग्रिम
1984	3937	3053
1985	4516	3449
1986	5347	4223

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, जून 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर वसूली का प्रतिशत 54.2 था इसके मुकाबले आंध्र प्रदेश का प्रतिशत 57.4 था ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले

614. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले दर्ज किये गए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पर्वतन निदेशालय ने 30 जून, 1987 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के कथित उल्लंघनों के लिए 3690 कारण बताओ नोटिस जारी किए ।

(ख) तथा (ग) इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 8 के अंतर्गत 106 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । इन मामलों में जांच पड़ताल चल रही हैं । जांच-पड़ताल के फलस्वरूप आवश्यक होने पर कानून के अंतर्गत उचित कार्यवाई की जाएगी ।

फटे पुराने करेंसी नोटों का परिचालन

617. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को भारी संख्या में फटे पुराने नोट दिये जा रहे हैं ; और

(ख) इन फटे पुराने नोटों के परिचालन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट रखने वाले सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने पास उपलब्ध

नोटों में से पुनः जारी किए जाने योग्य और न जारी किए जा सकने वाले नोट छांटे और जनता तथा अन्य बैंकों को केवल पुनः परिचालित किए जा सकने वाले नोट ही, जो कि मैले-कुचैले कटे-फटे/खराब न हों, नये नोटों के साथ जारी करें। जनता के लाभ के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में मैले-कुचैले नोट बदलने की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।

सरकारी चैकों पर बैंक प्रभार

618. **श्री वी० एम० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी चैकों पर बैंक प्रभार लेते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी चैकों को प्रभार से छूट देने का विचार है क्योंकि वह पूरी तरह सुरक्षित होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक, किसी केन्द्र के साथ जुड़े समाशोधन गृह के समाशोधन अंचल के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय चैकों पर, जिनमें सरकारी चैक भी आ जाते हैं, कोई प्रभार नहीं लेते हैं। अलबत्ता, बैंक बाहरी चैकों की उगाही के लिए उगाही प्रभार, डाक और अन्य आकस्मिक खर्चे लेते हैं। प्रधान मंत्री राहत कोष से अनुदान के रूप में दी जाने वाली धन राशियों के चैकों पर ये प्रभार नहीं लिए जाते।

(ख) और (ग) सरकार के बाहरी चैकों को बैंकों के उगाही प्रभारों से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बैंक प्रभारों का लिया जाना किसी भी तरह चैकों की सुरक्षा से नहीं जुड़ा होता है बल्कि सामान्यता यह बैंकों द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के खर्चे से जुड़ा होता है।

भारत सहायता संघ (एड इंडिया कंसोर्टियम) की सिफारिश

619. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ (एड इन्डिया कंसोर्टियम) ने पेरिस में आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार को घरेलू नियामक नियंत्रण की वर्तमान जटिल प्रणाली में सुधार करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या उसने नियामक मूल्यों को लागू करने और करों तथा राजसहायता में संशोधन करने की भी सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो भारत सहायता संघ (एड इंण्डिया कंसोर्टियम) की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार कर ली है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) हाल ही में पेरिस में हुई भारतीय सहायता संघ की बैठक में, घरेलू विनियमनकारी नियंत्रणों, विनियमनकारी मूल्यों और करों तथा आर्थिक सहायताओं में संशोधन संबंधी सुधार करने के बारे में, ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई थी।

केरल में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा किया गया पूंजी निवेश

620. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा केरल में कितना पूंजी निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक के बीच, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा केरल में परियोजनाओं के लिये संवितरित सहायता का संलग्न **विवरण** दिया गया है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा केरल में परियोजनाओं के लिए संवितरित सहायता

(करोड़ रुपए)

वर्ष	संवितरण
1983-84	
आई०डी०बी०आई०	52.50
आई०सी०आई०सी०आई०	4.38
1984-85	
आई०डी०बी०आई०	66.50
आई०सी०आई०सी०आई०	7.08
1985-86	
आई०डी०बी०आई०	79.30
आई०सी०आई०सी०आई०	4.06
1986-87	
आई०डी०बी०आई०	119.30
आई०सी०आई०सी०आई०	5.87

टिप्पणी : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आंकड़े जुलाई-जून से और औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के आंकड़े अप्रैल-मार्च से संबंधित हैं।

सामाजिक कार्य संबंधी विश्वकोष

621. **श्री शान्तराम नायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का भारत में सामाजिक कार्य संबंध में एक नया विश्वकोष प्रकाशित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वकोष की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या नया विश्वकोष 1986 में प्रकाशित विश्वकोष से भिन्न है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का शैक्षिक संस्थाओं को उक्त प्रकाशन की खरीद पर छूट देने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) नया विश्वकोष पहले वाले विश्वकोष का संशोधित संस्करण है । यह चार खंडों में है तथा इसमें विभिन्न सामाजिक विषय समाहित करने वाले लगभग 140 लेख (आर्टिकल) होंगे। इसमें समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों संबंधी सूचना भी होगी।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विकलांग लोगों के लिए पेट्रोल के संबंध में राज-सहायता

622. **श्री शांताराम नायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विकलांग लोगों लिये पेट्रोल के संबंध में राज-सहायता देने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से चल रही है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने विकलांगों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। योजना 1979-80 से चल रही है । फिर भी, योजना 1985-86 से राज्यों द्वारा चलाई जाती है जो बदले में केन्द्र से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं ।

(ग) 1984-85 के लिए राज्य वारलाभ प्राप्त कर्त्ताओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

पेट्रोल सहन्यता योजना के अन्तर्गत, 1984-85 के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की राज्यवार सूची

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	बिहार	2
3.	गुजरात	16

1	2	3
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	8
6.	केरल	10
7.	मध्य प्रदेश	10
8.	महाराष्ट्र	17
9.	पंजाब	4
10.	राजस्थान	10
11.	उत्तर प्रदेश	9
12.	तमिलनाडु	26
13.	चण्डीगढ़	14
14.	दिल्ली	2
15.	गोवा, दमन और दीव	5
	जोड़ :	145

नोट : इस योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से सहायता के लिए कोई दावा नहीं था।

आदिवासियों द्वारा कब्जा की गई वनभूमि

623. डा० के० जी० अदियोडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन्य जीवों के अभयारण्यों की भूमि सहित, यदि कोई है, कुल कितनी वनभूमि आदिवासियों के कब्जे में है ;

(ख) क्या उनको वनभूमि से हटाकर अन्यत्र बसाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वित की गई पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पुनर्वासित परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने देश में आदिवासियों द्वारा अधिकृत वन भूमि के कुल क्षेत्र का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) झूम कृषि करने वाले कृषकों, परियोजना की वजह से प्रभावित आदिवासियों और अन्य आदिवासियों को पुनः बसाने के लिए कुछ राज्यों ने कदम उठाए हैं।

(ग) ब्यौरे इकट्ठे किए जायेंगे और सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे ।

केरल में परती भूमि का विकास

624. डा० के० जी० अदियोडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकास बोर्ड ने केरल राज्य में परती भूमि के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां ।

1. परती भूमि के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना, ग्रामीण ईंधन लकड़ी बागान तथा परिस्थिति की संवेदी गैर-हिमालय के क्षेत्रों के वनरोपण को केरल राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रगति इस प्रकार है :—

वर्ष	भौतिक (हैक्टेयर)		वित्तीय (रु० लाखों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	2000	3627	200	116.45
	+15	+7.6 एम० एस० डी०		
1986-87	4000	7	180	16.09
		+5.6 एम० एस० डी०		
1987-88	5557	चालू वर्ष	180	चालू वर्ष

एम० एस० डी०—विलयन पौध वितरण

2 केरल सामाजिक वन परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 1984-85 से चलाई जा रही है । इस परियोजना पर कुल लागत 5991.3 लाख रुपए आई जिसमें से आई० डी० ए० का योगदान 3498.0 रु० है । इस परियोजना को गैर सरकारी तथा सरकार भूमि के 86,300 हैक्टेयर पर पौधे लगाने के लिए 6 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा । कार्यान्वयन की प्रगति इस प्रकार हैं :—

वर्ष	भौतिक (हैक्टेयर)		वित्तीय (रु० लाखों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	9,710	11,726	924 2	712.0
1986-87	12,665	24,132	888.9	950.0
1987-88	15,420	चालू वर्ष	1021.8	चालू वर्ष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए ऋण की अदायगी

625. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण की विभिन्न किश्तों का ऋण लेने की तारीख को रुपये में क्या मूल्य है ;

(ख) अदायगी की तारीख को रिण की राशि तथा ब्याज के रूप में की जाने वाली अदायगी का रुपये में क्या मूल्य है ; और

(ग) 1-4-85, 1-4-86 तथा 1-4-87 को रिण की राशि तथा ब्याज के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया थी ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत निकासियां :

भारत ने नवम्बर, 1981 से अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान कई किस्तों में 390 करोड़ एस० डी० आर० (प्रचालित विनिमय दर के आधार पर 4115.19 करोड़ रुपए के बराबर) की निकासी की थी । विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत की गई निकासियां एस० डी० आर० तथा अन्य विदेशी करेंसियों की खरीद के रूप में थीं जिसके बदले में, प्रत्येक निकासी की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में जमा कर दिए गए थे ।

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकासियां एस० डी० आर० के रूप में थी और वापसी अदायगियां भी एस० डी०आर० में ही की जानी हैं । इ न लेन-देनों के बराबर रुपया राशियों को, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में निकासी/वापसी अदायगियों की तारीखों को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर जमा/नामे डाल दिया जाता है, उनका महत्व केवल लेखा संबंधी प्रयोजनों के लिए ही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा किए गए भारतीय रुपए के मूल्य का हिसाब एस० डी० आर० के संदर्भ में ही रखा जाना अपेक्षित है और हर वर्ष 30 अप्रैल को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर रुपए-एस० डी० आर० की दर का पुन: मूल्य निर्धारण किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अतिरिक्त रुपया राशि अदा करनी होती है उसे अविनिमेय और ब्याज अर्जित न करने वाली प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर दिया जाता है जिसमें किसी नकदी का लेन-देन नहीं होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऊपर बताये गए विस्तारित कोष सुविधा ऋणों की वापसी अदायगी एस० डी० आर० अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विदेशी करेंसियों के बदले में भारतीय रुपए की पुन: खरीद करने के रूप में की जाती है और इसका हिसाब खरीद की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया जाता है । पुन: खरीदे गए भारतीय रुपयों को भारतीय

रिजर्व बैंक के पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खाते में डेबिट तथा सरकारी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

31 मार्च, 1987 तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 56.250 करोड़ एस० डी० आर० (782.18 करोड़ रुपए के बराबर) की वापसी अदायगी की है। पहली अप्रैल, 1987 की बकाया राशि 333.75 करोड़ एस० डी० आर० (एस०डी० आर०—रुपए की मौजूदा विनिमय दर के आधार पर 5501.64 करोड़ रुपए के बराबर) है। वापसी अदायगियों तथा अदा किए गए प्रभारों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध 1 में दिया गया है।

न्यास निधि ऋण

भारत ने अगस्त, 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशासित न्यास निधि से 52.91 करोड़ एस० डी० आर० (चालू दर पर 537.51 करोड़ रुपए के बराबर) का एक ऋण लिया था। पहली अप्रैल, 1987 तक हम 15.7638 करोड़ एस० डी० आर० (241.08 करोड़ रुपए के बराबर) की अदायगी कर चुके हैं और पहली अप्रैल, 1987 को बकाया राशि 97.1371 करोड़ एस० डी० आर० (एस० डी० आर०—रुपए की मौजूदा विनिमय दर के आधार पर 612.32 करोड़ रुपए के बराबर) थी। वापसी अदायगियों तथा ब्याज का वर्ष-वारब्यौरा संलग्न अनुबंध-2 में दिया गया है।

अनुबन्ध-1

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत की गई वापसी अदायगियों और दिये गए प्रभारों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत की गई वापसी अदायगियों की रकम (मिलियन एस० डी० आर०) करोड़ रुपए	विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अदा किए गए प्रभार (मिलियन एस० डी० आर०) करोड़ रुपए
1981-82	—	0.06 (10.58)
1982-83	—	120.27 (128.64)
1983-84	—	245.41 (269.58)
1984-85	—	358.68 (410.37)
1985-86	131.25 (162.57)	336.80 (417.16)
1986-87	431.25 (619.61)	256.05 (370.21)

अनुबंध-2

ट्रस्ट निधि के अन्तर्गत की गई वापसी अदायगियों और दिए गए ब्याज का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	वापसी अदायगी की रकम मिलियन एस० डी० आर० (करोड़ रुपए)	ब्याज की रकम (करोड़ रुपए)
1980-81	—	1·01
1981-82	—	2·75
1982-83	—	2.81
1983-84	—	2.89
1984-85	—	3.15
1985-86	52.546 (73.71)	3.42
1986-87	105.092 167.37	3.55

बैंकों में कम्प्यूटरों का प्रयोग

626. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों की कितनी शाखाओं में अब तक कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है और कितनी शाखाओं में अभी इनका प्रयोग शुरू किया जाना है ;

(ख) इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी बैंक शाखाओं में कम्प्यूटर की व्यवस्था किये जाने की संभावना है ; और

(ग) बैंकिंग क्षेत्र में कम्प्यूटरों के प्रयोग का रोजगार की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों में कम्प्यूटीकरण/यंत्रीकरण का कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। समिति ने शाखा स्तर पर एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाने की सिफारिश की थी। बैंकों के प्रबन्धनों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय बैंक संघ तथा बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के बीच 1983 में जो समझौता हुआ था, उसका मार्च 1987 में, कुछ संशोधनों के साथ, दोनों पार्टियों द्वारा फिर से नवीकरण कर दिया गया है। नये समझौते की शर्तों के अनुसार एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें महानगरों तथा शहरों की ऐसी शाखाओं में लगाई जाएंगी जो समझौते में निर्धारित मानकों के अनुसार ऐसी मशीनें लगाये जाने की पात्र होंगी। इस करार में यह परिकल्पना की गई है कि 7 सितम्बर, 1987 तक बैंकों द्वारा 3500 और 7 सितम्बर, 1989 तक 5700 एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगायी जा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई एक सूचना के अनुसार 30 जून, 1987 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1060 शाखाओं में 2755 एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई

गई हैं। यूनियनों के साथ किए गए समझौतेके अनुसार बैंक अपनी शाखाओं में मशीनें लगाने के लिए और आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं।

बैंकिंग उद्योग मे कम्प्यूटर और मशीनें लगाने का कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा में सुधार करना और आन्तरिक लेखा प्रणाली को बेहतर बनाना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली को अधिक कारगर बनाना है। बैंकिंग क्षेत्र के कम्प्यूटीकरण से बैंकों में रोजगार के अवसरों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। यूनियों के साथ किये गए समझौते के अपुसार कम्प्यूटीकरण/यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप स्टाफ की छंटनी नहीं की जाएगी।

कमजोर वर्गों से ऋणों की वसूली

627. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों और किसानों को कुल कितनी धनराशि के रिण दिये गए ;

(ख) क्ला इन रिणों की वसूली की गति बहुत धीमी रही ;

(ग) यदि हां, तो इन रिणों की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) रिणों की वसूली की गति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मार्च 1986 और 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

के अन्त में	कृषि	कमजोर वर्ग
मार्च, 1986	7420	5098
मार्च, 1987	10432	6119

(ख) जून, 1986 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत 56.2 था।

(ग) वसूली के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कारगर उपाय करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें नियंत्रक कार्यालयों और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और दोष रहित बनाना, योजनागत मूल्यांकन प्रणालियां अपनाना और रिणों के उपरान्त पर्यवेक्षण करना तथा राज्य सरकार की सहायता से वसूली अभियान चलाना शामिल है। सतत् और कारगर नियंत्रण के लिए निकटवर्ती शाखाओं के समूह के वास्ते अलग से वसूली कक्ष स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। बैंकों को ये अनुदेश भी दिए गए हैं कि अल्पावधिक तथा सावधि दोनों प्रकार के रिणों के लिए वापसी अदायगी का कार्यक्रम उस समय के अनुरूप होना चाहिए जब किसान अपनी फसल बेचता है और उसके पास पैसे होते हैं। बैंकों के निदेशक बोर्डों द्वारा भी वसूली की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) जून 1986 के लिए प्रत्यक्ष कृषि रिणों की मांग की तुलना में प्रतिशत वसूली के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जून 1985 के अन्त की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता (जून 1985)
1	2
I. उत्तरी क्षेत्र	60.9
हरियाणा	58.9
हिमाचल प्रदेश	50.6
जम्मू और कश्मीर	43.1
पंजाब	70.9
राजस्थान	48.2
चण्डीगढ़	41.1
दिल्ली	39.9
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	39.3
असम	35.2
मणिपुर	21.2
मेघालय	55.7
नागालैंड	44.4
त्रिपुरा	31.7
अरूणाचल प्रदेश	51.0
मिजोरम	51.9
सिक्किम	11.6
III. पूर्वी क्षेत्र	37.9
बिहार	37.6
उड़ीसा	43.4
पश्चिम बंगाल	33.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.4

1	2
IV. मध्य क्षेत्र	51.2
मध्य प्रदेश	44.0
उत्तर प्रदेश	54.3
V. पश्चिमी क्षेत्र	47.3
गुजरात	53.0
महाराष्ट्र	44.0
गोवा, दमन और दयू	41.8
दादरा और नगर हवेली	29.0
VI. दक्षिण क्षेत्र -	58.6
आन्ध्र प्रदेश	57.4
कर्नाटक	50.4
केरल	69.9
तमिलनाडु	62.9
लक्षद्वीप	63.8
पांडिचेरी	54.0
अखिल भारत :	54.2

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 में संशोधन

628. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण तंत्र तथा स्वर्ण नीति का अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दल नियुक्त किए थे। स्वर्ण नियंत्रण तंत्र का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई दत्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार उक्त कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर रही है। जहां-कहीं आवश्यक होगा, स्वर्ण अधिनियम, 1968 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

डा० सी० रंगाराजन की अध्यक्षता में नियुक्त दूसरे कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा को छठी पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

629. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सारी राशि का उपयोग किया था ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अप्रयुक्त राशि केन्द्रीय सरकार को वापस करने का विचार है?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) छठी योजना के लिए उड़ीसा का परिव्यय 1500 करोड़ रु० था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पादन नहीं होते।

अपशिष्ट संसाधन संयंत्र

630. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड को एशिया में एक नमूना अपशिष्ट संसाधन न्यूज प्रिन्ट फैक्ट्री के रूप में चुना है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फैक्ट्री को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड में अपशिष्ट संसाधन संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या देश के अन्य स्थान में इस तरह के संयंत्र लगाये जाएंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा किन-किन स्थानों में ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेपर निगम द्वारा अध्ययन हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) ने 15,000 अमरीकी डालर की स्वीकृति दी है।

(ग) उपचार संयंत्र की स्थापित क्षमता बहिस्राव की मात्रा का 50,000 घन मीटर प्रतिदिन है।

(घ) तथा (ङ) देश में बहिस्राव उपचार के लिए इस प्रकार के संयंत्र हिंदुस्तान पेपर निगम की अन्य यूनिटों में स्थापित किए गए हैं।

काला हिरण अभ्यारण्य

631. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने काला हिरण (ब्लैक बक) अभ्यारण्य के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिलका झील पक्षी विहार का विकास

632. श्री सोमनाथ रथ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चिलका झील में पक्षी विहार के विकास के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ग) पक्षी विहार में प्रजाति-वार कितने पक्षी पाए गए हैं और उनमें से कितने पक्षी दूसरे स्थानों से आए हैं ; और

(घ) क्या पक्षी विज्ञानिकों ने गंजम जिले में सोराद और भंजनगर जलाशय में पक्षी विहार बनाने और उसे चिलका में पक्षी विहार से जोड़ने तथा एक पक्षी विहार काम्प्लेक्स बनाने हेतु चिलका में कोई सर्वेक्षण किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान 1,04,745 रुपये खर्च किए हैं। विशेषकर चिलका अभयारण्य के लिए कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई।

(ग) एक अध्ययन से पता चला है कि चिल्का में पक्षियों की 77 प्रजातियां पाई जाती हैं। जिनमें से 42 प्रवासी प्रजातियां हैं। पक्षियों की प्रजाति-वार संख्या का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) सरकार को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कीटनाशकों के फार्मूलेशनों के विकास में अनुसंधान कार्य

633. श्री जी० भूपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कीटनाशकों के फार्मूलेशनों के विकास के बारे में कोई अनुसंधान कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिक कीटाणु नाशकों के फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में किए एए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) किए गए अनुसंधान का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे द्वारा कीटनाशी फार्मूलेशनों पर किए गए अनुसंधान

1. एन० सी० एल०, पुणे ने यू० एन० डी० पी० सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अबेट नामक

मच्छर लार्वानाशी और कार्बोफ्यूरान नाभक वृहत स्पेक्ट्रम कीटनाशी के लिए नियंत्रित मोचन फार्मुलेशनों का विकास किया है ।

एन० सी० एल० ने रुके हुये जल में अबेट के प्रयोग के लिए नियंत्रित मोचन प्रणाली विकसित की है । इस प्रणाली मे एक बहु-अंगी उपग्रह जैसा दिखने वाला एक योजक होता है जिससे हाइड्रोजलाशय का प्रयोग किया जाता है । इस प्रणाली का फील्ड परीक्षण किया गया है और यह पाया गया है कि पानी में इस कीटनाशक के 6 मास तक प्रयोग करने के बाद भी इसकी कुल मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा सीमा के अन्दर ही रहती है । इस प्रयोगशाला ने महाराष्ट्र सरकार के मलेरिया नियंत्रण अभिकरण के सहयोग से वास्तविक स्थानिक परीक्षण भी किए हैं ।

कार्बोफ्यूरान हेतु सक्रिय संघटकों की विभिन्न मात्राओं वाले 3 अलग-अलग नियंत्रित भोजन फार्मुलेशनों का विकास किया है यथा

(क) मृदा अनुप्रयोग के लिए 25% और 20% सक्रिय संघटक वाले 2 दानेदार फार्मुलेशन

(ख) बीजों पर डालने के लिए 50% सक्रिय संघटक वाले चूर्ण फार्मुलेशन

इन फार्मुलेशनों में पारम्परिक फार्मुलेशनों से कहीं कम विषाक्तता है अतैव इसके प्रयोग में खतरा है । इन फार्मुलेशनों के फील्ड परीक्षण हो रहे हैं तथा परिणाम उत्साहजनक हैं ।

2. एन० सी० एल० पत्तियों पर छिड़काव और बीज उपचार हेतु क्विनालफास के लिए नियन्त्रित मोचन फार्मुलेशनों का विकास कर रहा है । फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त एन० सी० एल० ग्लाइफासेट नामक एक पश्च वर्धित शाकनाशी हेतु फार्मुलेशनों का भी विकास कर रहा है ।

मकान बनाने के लिए ऋणों पर आय कर में छूट

634. **श्री जी० भूपति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1987 को या उसके बाद मकान बनाने तथा पूरा करने वाले व्यक्ति वत वर्ष के दौरान नई आवासीय सम्पत्ति की परियोजना-निर्माण की लागत के रूप में किए गए किसी भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80(ग) के अन्तर्गत कटौती के हकदार होंगे जो 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा उन लोगों को भी देने का विचार है ; जिन्होंने अपनी कम्पनियों से अथवा बैंकों से 1 अप्रैल, 1987 से पहले ऋण लिए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, तथापि कटौती केवल उन अदायगियों पर उपलब्ध है जो अदायगियां स्वामित्व के आधार पर आवासीय सम्पत्ति के निर्माण और बिक्री में लगे हुए किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड अथवा अन्य प्राधिकरणों की किसी

स्व:वित्तीय योजना अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत देय किश्तों द्वारा की जाती हैं अथवा जहां अदायगी उस कम्पनी अथवा सहकारी समिति को देय किसी किश्त द्वारा की जाती है जिसका कर निर्धारिती हिस्सेदार या सदस्य है ।

(ख) 31-3-87 के बाद पूरे किए गए मकानों के सम्बन्ध में यह लाभ लोगों को उनके द्वारा अन्य स्रोतों के साथ-साथ अपनी नियोक्ता कम्पनी से, बशर्ते कि वह सार्वजनिक कम्पनी हो, और बैंकों से लिए गए ऋण की रकम की पुनःअदायगी के संबंध में पहले से ही उपलब्ध है चाहे ऐसे ऋण 1-4-87 से पहले प्राप्त किए गए हों ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय विज्ञान महोत्सव

635. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में चल रहे भारतीय विज्ञान महोत्सव प्रदर्शनी का समय बढ़ाया जायेगा ;

(ख) क्या इसके प्रति अमरीकी जनता में असाधारण रुचि है ; और

(ग) क्या इस सिलसिले में भारत में भी अमरीकी विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका में चल रही भारत विज्ञान प्रदर्शनी महोत्सव अगस्त 1987 में समाप्त हो जाएगा । वैसे प्रदर्शनी का एक छोटा भाग संयुक्त राज्य अमरीका की "एसोसिएशन आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी सैंटर्स" द्वारा छोटे समुदायों को दिखाने के लिए पांच वर्ष के लिए रखा जाएगा ।

(ख) इसमें अमरीकी जनता की रुचि बहुत उत्साहजनक रही है । ऐसी आशा है कि जब यह प्रदर्शनी बौस्टन में समाप्त होगी जहां कि यह इस समय चल रही है, इसे 10 लाख से अधिक दर्शक देखेंगे ।

(ग) इस समय ऐसा कोई निश्चित प्रस्ताव हाथ में नहीं है ।

अस्थायी कर निर्धारण मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए समय सीमा

636. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति (1977-78) ने अपने सड़सठवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में अस्थायी कर निर्धारण मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए एक वर्ष की सांविधिक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) लोक लेखा समिति (1977-78-छठी लोक सभा) की 67वीं रिपोर्ट में, केवल सीमा शुल्क संबंधी मामलों में अनन्तिम निर्धारणों को

अन्तिम रूप दिए जाने के संबंध में उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया था कि समय-सीमा सांविधिक तौर पर निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दोनों ही से सम्बन्धित मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने हेतु उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भारत में वन क्षेत्र

637. **श्री हम्नान मोल्लाह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपेक्षित 33 प्रतिशत क्षेत्र में वनों की अपेक्षा केवल 14 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) वनों की कमी के कारण राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन संसाधनों पर अत्यधिक जैविक दबाव और वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने से राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में की गई परिकल्पना की तुलना में वन क्षेत्र मे कमी आई है।

(ख) राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन अभिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि 1980-82 के दौरान बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली में वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के 14 प्रतिशत से कम है।

झूम खेती

638. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर में पहाड़ी लोगों द्वारा झूम खेती और अन्य प्रयोजनों के लिए वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या इस कार्य में पूर्वोत्तर परिषद की कोई भूमिका है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में राज्यों को कितनी और किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों के अन्तर्गत 9574 झूमिया परिवारों को बसाया गया है। इनमें मणिपुर से 1369 परिवार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, झूमियों को बसाने और मृदा संरक्षण के लिए कुछ राज्य क्षेत्र की स्कीमें हैं।

(घ) झूम खेती, क्राप हजबेन्डरी और मृदा तथा जल संरक्षण के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं हेतु राज्यों के लिए 428 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता है।

आर्थिक विकास के संबंध में विश्व विकास संस्था की रिपोर्ट

639. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व विकास संस्था की वर्ष 1987 की रिपोर्ट की जांच की है जिसमें औद्योगिक तथा विकासशील देशों से अपनी अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत समयोजन करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त रिपोर्ट में औद्योगिक देशों को "गम्भीर खतरे" की चेतावनी दी गई है कि उनकी संरक्षणवादी नीतियों से आर्थिक विकास कई वर्ष पीछे चला जाएगा और विश्व में कुछ सबसे गरीब लोगों को कष्ट पहुंचेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा अधिक संरक्षणवादी औद्योगिक विश्व की चुनौती का सामना करने के लिए क्या नीतियां अपनाने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और अन्य विकासशील देशों ने औद्योगिक देशों को विकासशील देशों द्वारा निर्यातों के संबंध में संरक्षणवाद की प्रत्यापन्नता की जरूरत पर बल दिया है । इसके अलावा, सरकार निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन संबंधी नीतियों के जरिये अपनी भुगतान शेष की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है ।

जैव प्रौद्योगिकी

640. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम में विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ संबंधों के परिणामस्वरूप जैव प्रद्योगिकी क्रांति संभव हुई है ; और

(ख) क्या देश में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, आदि और उद्योगों के बीच इसी प्रकार के संबंध विद्यमान है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को प्रस्तुत करने, बढ़ावा देने और उनके मान्यकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उद्योगों के साथ कार्य कर रही है । ये अभिकरण और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग विशेषकर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं इत्यादि के द्वारा उद्योगों के साथ अन्तरक्रिया में सुधार के लिए अधिकाधिक प्रयास कर रहे हैं । चूंकि उभरती हुई नई जैव प्रौद्योगिकियों के द्वारा पर्यावरण, उद्योग, कृषि और औषधि के विस्तृत क्षेत्रों में नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए देश में अनुसंधान के द्वारा अधिक प्रगति की जा रही है, ये परस्पर क्रियाएं अधिक बढ़ती जाएंगी ।

लोगों द्वारा की जाने वाली बचत

641. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा की जाने वाली बचत के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानत: इस प्रकार से कितनी बचत की गई है ;

(ग) लोगों द्वारा की जाने वाली बचत को मुख्यत: किन मदों पर निवेश किया जाता है प्रत्येक मद पर लगाया गया पूंजी निवेश की कुल बचत का कितना प्रतिशत है तथा पूंजी निवेश की विभिन्न मदों के संबंध में लोगों की वरीयता क्या है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोगों द्वारा की गई बचत की कितनी राशि डाक बचत प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों संयुक्त स्टाक कम्पनियों के शेयर और डिबेन्चर खरीदने, स्थावर सम्पत्ति खरीदने, जीवन बीमा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई है ?

योजना मंत्रालय में तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) अर्थव्यवस्था की घरेलू बचत के वार्षिक अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बजट प्रलेखों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक रिपोर्टों और लाभ तथा हानि लेखों, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों में उपलब्ध सूचना तथा कुछ अनुसंधान अध्ययनों आदि के आधार पर संकलित किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 के अनुमान तथा पूर्व वर्षों के संशोधित अनुमान जनवरी, 1987 में जारी किए गए थे। इन अनुमानों के अनुसार संगत प्रतिशतताओं तथा लोगों के वरीयता क्रम के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों में निवेश की विभिन्न मदों में लोगों (परिवारों) की बचत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निवेश की विभिन्न मदों में लोगों (परिवारों) की शुद्ध बचत

मद	राशि (करोड़ रु०)			प्रतिशत विवरण			वरीयता क्रम		
	1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	198586
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अचल सम्पत्तियों सहित वस्तुगत परिसम्पत्तियां	11768	12401	15382	45.2	40.3	45.1	1	1	1
2. बैंकों में जमा	4197	5133	4336	12.1	12.7	16.7	2	2	2
3. भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	2962	3527	3954	11.4	11.4	11.6	3	3	3
4. डाक बचत प्रमाण पत्र	1595	2636	3039	6.1	8.5	8.9	5	5	4
5. मुद्रा (नकद)	2768	2978	2167	10.7	9.7	6.4	4	4	5
6. शेयर और डिबेन्चर	1004	1517	1688	3.8	4.9	5.0	7	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. जीवन बीमा	1290	1408	1647	5.0	4.6	4.8	6	7	7
8. डाकघरों में जमा	818	1015	1170	3.2	3.3	3.4	8	8	8
9. अन्य संस्थानों में जमा	235	915	957	0.9	3.0	2.8	9	9	9
10. सरकारी ऋण-पत्रों आदि की शुद्ध खरीद	(—)622	(—)731	(—)225	(—)2.4	(—)2.4	(—)0.7	10	10	10
11. जोड़ (1 से 10)	26015	30799	34115	100.0	100.0	100.0	—	—	—

अनुसूचित बैंकों द्वारा धन प्रबंध

642. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों को अपने धन प्रबंध में सुधार और बाजार ऋणों पर निर्भरता को कम करने के संबंध में नए अनुदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दी गई सलाह का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाणिज्यिक बैंक अपनी रक्षित अपेक्षाओं, विशेषकर नकद जमा अनुपात को बनाए रखें, क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को हमेशा यह परामर्श देता रहा है कि विशेष रूप से प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने और अपनी धनराशियों का उचित प्रबंध करने के लिए वे मुद्रा बाजार की धनराशियों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता से बचें। दिनांक 31 मार्च, 1987 को घोषित ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन अनुदेशों को फिर से दोहराया है कि नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को बनाए रखने के लिए मुद्रा बाजार की धनराशियों पर अत्यधिक और बराबर निर्भर रहने का अर्थ खतरनाक नकदी प्रबन्ध है और प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में चिरकालिक घाटा नहीं रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि अत्यन्त परिवर्तन सीमा मुद्रा बाजार में धनराशि की कमी के आधार पर प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में होने वाली चूक की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन अनुदेशों को 8 मई, 1987 को फिर दोहराया है।

प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को बनाये रखने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष नजर रखी जाती है। यह काम बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अनुसरण में बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पाक्षिक विवरणियों की सहायता से किया जाता है। इन विवरणियों के आधार पर अनुपालन की अपेक्षाओं की जांच की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले आवधिक निरीक्षणों के समय भी इन अपेक्षाओं के अनुपालन की प्रति जांच की जाती है।

पिछड़े और विकसित राज्य

643. **श्री एस० जी० सोलप** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के प्रयोजन के लिए राज्यों को पिछड़ा और विकसित के रूप में कब से श्रेणीबद्ध किया गया है ;

(ख) प्रत्येक ग्रुप में राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन राज्यों ने पिछड़े राज्य से विकसित राज्य के रूप में प्रगति की है ?

योजना मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आयोजन के प्रयोजन के लिए राज्यों को पिछड़े और विकसित राज्यों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

किसानों को ऋण देने के बारे में प्रस्ताव

644. **श्री जी० एस० धोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देने के अपने प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जनवरी 1985 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में छोटे किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए ऋणों पर देय ब्याज के लिए सब्सिडी देने का एक प्रस्ताव भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा था ताकि छोटे और सीमांतिक किसानों द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर को घटाकर 6 प्रतिशत वार्षिक किया जा सके। सरकार की यह एक सुविचारित नीति रही है कि ब्याज दरों के ढांचे को एक-एक करके नहीं बदलना चाहिए बल्कि सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर ढांचे पर, अखिल भारतीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया।

हाल में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने छोटे कार्यकर्ताओं को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की योजना प्रस्तुत की है, जिसमें राज्य सरकार और सहकारी ऋण संस्थाएं ब्याज की दरों के अन्तर के बराबर सब्सिडी देंगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, जिसके साथ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था, प्रस्ताव का इस कारण अनुमोदन नहीं किया क्योंकि उधार देने वाली संस्थाओं को ऋण देने की बहु-एजेंसी प्रणाली के अन्तर्गत ब्याज की दरें एक समान स्तर पर रखनी होती हैं यदि कोई एक एजेंसी ब्याज की दर में सब्सिडी देती है तो उससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए वित्तीय अनुशासन में व्यवधान पड़ जाएगा और इसके अलावा ऐसा करना वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणकर्ताओं के साथ भेदभाव होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का यह भी मत है कि जो सहकारी समितियां पहले से बहुत थोड़े लाभ पर काम कर रही हैं, वे इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी देने के लाभ के साथ काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर छापे

645. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** :

डा० टी० कल्पना देवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा वाह्ययाधन का पता लगाने के लिए वर्ष 1987 के दौरान 30 जून तक कितने वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे गए ;

(ख) छापों के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि का लेखा वाह्ययाधन का पता लगा ; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए कितने अनुशासनात्मक एवं कानूनी मामले चलाये गए हैं और पृथक-पृथक कितने मामलों में दोषसिद्ध हुआ और कितने मामलों में लोगों को बरी किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं द्वारा 1-1-1987 से 30-6-1987 की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दायर 9 मामलों की जांच के सम्बन्ध में उनके आवासीय/कार्यालयों परिसरों की 42 तलाशियां ली गई थीं ।

(ख) उपर्युक्त तलाशियों के दौरान बरामद की गई चल/अचल—दोनों प्रकार की मदों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

नकदी, बैंकों में जमा राशि, सावधी जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत पत्र, शेयर आदि ।	रुपए 6.55 लाख
टेलीविजन, वीडियो कैसट रिकार्डर, जेवरात तथा घरेलू सामान आदि जैसी चल परिसम्पत्तियां ।	रुपए 61.72 लाख
मकान, फ्लैट तथा भूमि जैसी अचल परिसम्पत्तियां ।	रुपए 92.83 लाख

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज 9 मामलों में से सभी की जांच अभी चल रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कार्यालय स्थापित करना

646. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क कार्यालय स्थापित करने का विचार है ताकि हैदराबाद से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से मध्य-पूर्व देशों को किये जाने वाले कुक्कुट उत्पादों, सब्जियों आदि के निर्यात की भारी खेपों को सीमा-शुल्क विभाग द्वारा शीघ्र स्वीकृति दी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क का एक कार्यालय पहले ही विद्यमान है, जहां से मध्य-पूर्व के देशों को निर्यात किए जाने वाले माल सहित सभी निर्यात माल की निकासी की जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शेरों की संख्या

647. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिड़ियाघरों और वनों में शेरों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) क्या भारत में शेरों की संख्या विलुप्त होती जा रही है ; और

(ग) यदि, हां, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1985 में भारत में वनों और चिड़ियाघरों में 471 शेरों के होने की सूचना है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परती भूमि का विकास

648. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान परती भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुतः कितने भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष के लिये, अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) परती भूमि पर किस प्रकार के वृक्ष लगाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) प्रत्येक राज्य के लिए 1985-86 तथा 1986-87 में वापिस मांगी गई भूमि के क्षेत्र दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(ख) मोटे तौर पर लगाए गए पेड़ ऐसे थे जो जीवित रह सकें और स्थानीय परिस्थितियों में फल फूल सकें। उन पौधों का चयन किया गया है जो छोटी इमारती लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी, चारा तथा फल के संबंध में ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सामान्तया यह नीति है कि शीघ्र बढ़ने वाले देशी पौधों को ही लगाया जाए।

विवरण

वनरोपण द्वारा भूमि को वापिस मांगना

"000 हे० में क्षेत्र

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपलब्धियां		लक्ष्य
		1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	157.80	143.71	180.00
2.	असम	19.80	31.28	35.00
3.	बिहार	176.15	135.55	180.00
4.	गुजरात	124.85	113.55	150.00
5.	हरियाणा	46.85	37.08	50.00
6.	हिमाचल प्रदेश	33.60	33.56	37.50
7.	जम्मू और काश्मीर	23.35	28.53	35.00

1 2	3	4	5
8. कर्नाटक	127.30	115.84	160.00
9. केरल	58.30	75.96	90.00
10. मध्य प्रदेश	175.05	196.00	250.00
11. महाराष्ट्र	108.25	119.09	160.00
12. मणिपुर	6.25	7.44	10.00
13. मेघालय	6.55	7.90	10.00
14. नागालैण्ड	13.45	27.18	30.00
15. उड़ीसा	96.50	116.34	145 00
16. पंजाब	29.50	28.38	35.00
17. राजस्थान	47.90	67.05	87.50
18. सिक्किम	4.10	5.75	7.50
19. तमिलनाडु	60.75	99.06	160.00
20. त्रिपुरा	10 00	13.15	17.50
21. उत्तर प्रदेश	177.40	243.25	320.00
22. पश्चिम बंगाल	55.75	70.80	90.00
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.75	6.12	6.50
24. अरूणाचल प्रदेश	5.15	6.25	6.25
25. चण्डीगढ़	0.076	0.19	0.250
26. दादर और नागर हवेली	1.55	1.76	2.00
27. दिल्ली	1.25	3.15	3.20
28. गोवा, दमन और द्वीप	2.25	3.40	5.00
29. लक्षद्वीप	0.0125	0.01	0.015
30. मिजोरम	35.00	23.90	36.75
31. पांडिचेरी	0.55	0.65	0.535
कुल जोड़ :	1554.538	1761.87	2300.00

कुछ राज्यों ने लाखों में पेड़ लगाए जाने के बारे में आंकड़े सूचित किये हैं । ऐसे मामलों में वापिस मांगे गए क्षेत्रों का काल्पनिक निष्पादन का मानदण्ड प्रति हैक्टेयर 2000 बालवृक्ष आंका गया है ।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले होटलों को दिए गए ऋणों पर ब्याज में छूट

649. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले होटलों को दिए गए ऋणों पर ब्याज में छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ब्याज में कितनी छूट दी जायेगी और ब्याज की मूल दर क्या है ;

(ग) ब्याज की यह दर और उस पर दी गई छूट किसानों और लघु उद्योगों को ऋणों पर ब्याज की दर की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ; और

(घ) वर्ष 1986-87 में ब्याज दर पर कितनी छूट दी गई और 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में अनुमानतः कितनी छूट दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि ऋणों पर ब्याज में छूट देने की योजना विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले होटलों पर लागू की गई है। इस योजना में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गया रुपया ऋण के ब्याज की अदायगी के पांचवें हिस्से तक छूट दी जा सकती है बशर्ते विदेशी मुद्रा अर्जित करने संबंधित निर्धारित मानदण्ड पूरे कर लिए गए हों। परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की ब्याज दर ऋण के प्रयोजन के साथ-साथ एकक के स्थान पर निर्भर करती है जबकि ब्याज की मूल दर 14 प्रतिशत वार्षिक है। योजना में इस बात का प्रावधान है ब्याज में कि छूट के पश्चात् मूल ब्याज दर 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। जहां तक किसानों और लघु उद्योगों को ऋण देने का संबंध है, ये बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अन्तर्गत आते हैं जिनके लिए प्रतिभूति, मार्जिन मनी आदि के रियायती मानक रखे गए हैं। किसानों और लघु उद्योगों को दिये जाने वाले सावधि ऋणों की ब्याज दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस योजना के दिनांक 24 मार्च, 1987 से लागू हो जाने के पश्चात् उसने होटल परियोजनाओं को कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की है। भविष्य में ब्याज में छूट की राशि नए/वर्तमान होटलों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सहायता राशि पर निर्भर करेगी।

विवरण

बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लघु उद्योगों और कृषि को दिए गए सावधि ऋणों की ब्याज दरें

सावधि ऋण	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	4
लघु उद्योग	
(i) पिछड़े क्षेत्रों के एकक	12.50*
(ii) अन्य क्षेत्र के एकक	13.50
कृषि**	
(i) लघु सिंचाई भूमि विकास	10.00
(ii) अन्य प्रयोजन	
(क) छोटे किसान	10.00
(ख) अन्य किसान	12.50

1	2
(iii) कृषि प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उपस्करों की खरीद के लिए सावधि ऋण, चाहे ऋणकर्ता/किसान "छोटा किसान" हो या कोई अन्य हो ।	10.00

*यह ब्याज दर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए एककों के लिए है । वर्तमान लघु एककों के विस्तार/विविधीकरण के वास्ते 13.5 प्रतिशत दर पर लागू की जानी चाहिए ।

**ये दरें अन्तिम ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले उन ऋणों पर भी लागू हैं जहां ऋण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़ी बहुद्देशी समितियों/किसान सेवा समितियों के माध्यम से दिए जाते हैं । बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़ी बहुद्देशी समितियों/किसान सेवा समितियों से ली जाने वाली दरें अन्तिम ऋणकर्ता से ली जाने वाली दरों से 1.5 प्रतिशतता बिन्दु तक कम होनी चाहिए ।

बैंकों द्वारा बड़े और मध्यम वर्ग के उद्योगों को दिये गए ऋण

650. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिये गए कुल ऋण का स्तर सत्तर प्रतिशत बड़े और मध्यम उद्योगों को दिया गया है ; और

(ख) ऐसी औद्योगिक यूनिटों को, जो बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा नियंत्रित और एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम द्वारा शासित हैं, बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1986 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की ऋण सीमाओं वाली 20 बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित पार्टियों के नाम 2425 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है ।

गंगा की सफाई

651. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1987 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "नो इम्पैक्ट आफ गंगा प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गंगा की सफाई के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार समाचार में अभिव्यक्त इस विचार से सहमत नहीं है कि कोई प्रगति नही हुई है । इसके विपरीत वाराणसी के लिए अभी तक 37.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूर

की गई 29 स्कीमों में काम चल रहा है। घाट पंपिंग स्टेशनों को काम करने लायक बना दिया गया है और वे संतोषजनक काम कर रहे हैं। गंदे पानी को अवरुद्ध करने और उसे मोड़ने की स्कीमों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तीन सीवेज उपचार संयंत्रों में से दो का निर्माण हो रहा है। नदी के किनारे-किनारे और नगर के अन्य महत्वपूर्ण भागों में सुलभ शौचालयों का निर्माण-कार्य चल रहा है। राजघाट का एकीकृत विकास, नदी के तटाग्र की ढलानों की सुरक्षा और सीढ़ियों के विस्तार कार्य को भी हाथ में लिया गया है। कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नदी के किनारे-किनारे अनेक स्थानों पर जल की वर्तमान गुणवत्ता की निगरानी के लिए और गंगा कार्य योजना की स्कीमों का नदी के जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी व्यापक प्रबन्ध किया गया है।

[हिन्दी]

पारिस्थितिक संतुलन

652. **श्री जगदीश अवस्थी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में हाल ही में पर्यावरण पर हुए एक सम्मेलन में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के बारे में प्रस्तुत की गई "ब्रण्टलैण्ड रिपोर्ट" में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का, रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पर्यावरण और विकास सम्बन्धी विश्व आयोग की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. पर्यावरणीय समस्याएं विस्तृत परिप्रेक्ष्य में निपटाई जाएं जिसमें विश्व की निर्धनता और अन्तर्राष्ट्रीय असमानता के तत्व शामिल हों।
2. सतत् सार्वभौम विकास की जरूरत है।
3. पर्यावरणीय एजेंसियों को अस्थिर विकास के प्रभावों से तालमेल बिठाने के लिए और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।
4. पर्यावरणीय संकल्पना को आयोजना स्तर पर ध्यान में रखा जाए।
5. विकास ऋण, व्यापार विनिमय, कृषि विकास, आदि से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अपने कार्यों में पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए।
6. परिस्थितिक और आर्थिक अन्योन्याश्रितता के प्रबन्ध के लिए प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत उत्तरोतर बढ़ती जा रही है।
7. देशों की "जनसंख्या नीति" संख्या को सीमित करने के अलावा पर्यावरणीय संसाधनों के प्रबन्ध हेतु मानवीय शक्यता का भी सुधार होना चाहिए।

8. अधिकांश विकासशील देशों को उत्पादन, खासकर खाद्यान्न फसलों में वृद्धि करने के लिए अधिक प्रभावी प्रोत्साहन प्रणाली की जरूरत है। दूसरी ओर औद्योगिक देशों को इस सम्बन्ध में अनुचित प्रतियोगिता को कम करना चाहिए। भूमि सुधार के साथ-साथ समेकित ग्रामीण विकास से खाद्य सुरक्षा ने महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

9. लुप्त हो रही प्रजातियों और खतरे में पड़ी पारि-प्रणालियों की समस्या को राजनीतिक कार्यसूची में एक मुख्य आर्थिक और संसाधन मुद्दे के रूप में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

10. वन संसाधनों के कुशल, दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देने और वननाशन को रोकने के लिए वन राजस्व प्रणाली और रियायत शर्तों में सुधार का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

11. कम ऊर्जा-गहन नीतियां सतत विकास के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों के लिए मूलाधार होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु अपशिष्टों और परमाणु ऊर्जा की बढ़ती हुई सुरक्षा के साधनों की समस्या को पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस समाधान के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निम्न ऊर्जा पक्ष विश्व का भावी उद्देश्य होना चाहिए। जिन देशों में जंगलों की कमी है उनको भारी मात्रा में लकड़ी और अन्य पौधे उगाने के लिए अपने कृषि क्षेत्र को संगठित करना चाहिए।

12. प्रदूषण रोधी प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य हिसाब से लागत प्रभावी है, समृद्धि और पर्यावरणीय क्षति से बचा जाएं। सरकारों द्वारा इसका अनुसरण किया जाए।

13. देशान्तर निगमों की जिन देशों में वे काम कर रहे हैं उनमें औद्योगीकरण के मार्ग को कारगर बनाने की विशेष जिम्मेदारी है।

14. खतरनाक औद्योगिक और कृषि रसायनों के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण लगाने की अनिवार्य आवश्यकता है। खतरनाक अपशिष्टों को ढेर करने पर वर्तमान नियंत्रण को कड़ा किया जाए।

15. सरकारों को विशाल शहरी केन्द्रों के दबाव को कम करने तथा छोटे कस्बे और शहर बनाने, उनको उनके नजदीकी ग्रामीण भूमि के साथ एकीकृत करने के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु एक सुस्पष्ट बसासत नीति विकसित करने की जरूरत है।

16. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को पर्यावरणीय आंकड़ों, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के प्रधान स्रोत तथा महत्वपूर्ण पर्यावरण तथा प्राकृतिक ससाधान सुरक्षा मुद्दों के सम्बन्ध में परिवर्तन और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रधान हिमायती और एजेंट के रूप में सुदृढ़ बनाया जाए।

17. सरकारों की अलग-अगल तथा संयुक्त रूप से प्राकृतिक प्रणालियों को अपूर्णीय क्षति के खतरे तथा विश्व समुदाय की उत्तरजीविता, सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में अभिनिर्धारण, मूल्यांकन और रिपोर्ट देने की मुख्य जिरम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र

जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धी प्रणाली में नेतृत्व केन्द्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अर्थवाच प्रोग्राम होना चाहिए।

18 ट्रांस-फ्रन्टियर प्रदूषण से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्तों पर अडिग रहने चाहिए :—

(क) प्रत्येक राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह दूसरे राष्ट्र के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं।

(ख) ट्रांस फ्रन्टियर प्रदूषण द्वारा पहुंचाई गई किसी भी क्षति की उत्तरदायिता, और

(ग) सभी सम्बन्धित पार्टियों द्वारा शोधक उपायों के उपयोग के लिए समान अधिकार।

19. "ग्लोबल कामन्स" (समुद्र, बाह्य अन्तरिक्ष, अन्टार्कटिका) के प्रबन्ध के संदर्भ में राष्ट्रों को अन्टार्कटिका के पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तरिक्ष में शान्तिपूर्ण पर्यावरण बना रहे एक अन्तरिक्ष तंत्र अभिकल्पित और कार्यान्वित करना चाहिए। समुद्रों को प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए।

20. सामूहिक विनाश—परमाणु और गैर-परमाणु—के औजारों की विभिन्न किस्मों की सुरक्षा और परीक्षण पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए।

विश्व आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. सतत विकास की संकल्पना को सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में समेकित किया गया है।

2. पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव नामक एक एकीकृत मंत्रालय सितम्बर, 1985 में सृजित किया गया था। इसको विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वयन और पर्यावरण की सुरक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनियमित विकास के प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं।

3. पर्यावरण से संबंधित विषयों को भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय द्वारा आयोजना स्तर पर ध्यान में रखा जाता है।

4. सरकार पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय ऋण एजेंसियों का सहयोग ले रही है। भारत विकासशील देश के प्रति विकसित देशों की जिम्मेदारियों का निरन्तर उल्लेख करता रहा है।

5. सरकार के "परिवार कल्याण" और "खाद्यान्न सुरक्षा" कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। आज देश के पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं और जनसंख्या की वृद्धि की दर कम हो रही है।

6. लोगों की ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1985 में एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई। वनों की सुरक्षा के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

7. वनस्पतिजात और प्राणिजात संबंधी संसाधनों के परिरक्षण के लिए सरकार ने अनेक संरक्षण उपाय किए हैं।

8. ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में सुरक्षा पहलुओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाता है।

9. स्रोत पर ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न उद्योगों, प्रक्रियाओं और संचालनों के लिए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं और उनको केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

10. वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

11. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

12. अन्टार्कटिका समझौते के लिए भारत एक परामर्शदात्री पार्टी है।

13. आवास क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने में सरकार सहायता कर रही है। यह आवास और शहरी विकास निगम जैसी वित्त पोषक संस्थाओं को निधियां देती है। मलिन (गंदी) बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार का कार्यक्रम 7वीं योजना के दौरान चालू है।

14. शहरी जनता के संतुलित बिखराव के लिए सातवीं योजना में लघु और मझौले नगरों के विकास की एक समेकित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

15. नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण और बाढ़-प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल संभर प्रबन्ध की केंद्रीय प्रायोजित चालू स्कीमें चल रही हैं।

16. सरकार का सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम अभी जारी है। एक मरू विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य अभिनिर्धारित मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना है।

[अनुवाद]

सिक्कों की कमी

653. **श्री शांताराम नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिक्कों की कमी की समस्या दूर कर दी है ;

(ख) सिक्कों की उपलब्धता के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ग) सरकार ने सिक्कों की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) क्या सरकार का टकसालों को और आधुनिक बनाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने सिक्कों के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए टकसालों में प्रोत्साहन योजना शुरू करना, टकसालों के कार्य के घंटों में वृद्धि करना, कलकत्ता टकसाल में दूसरी पारी शुरू करना, आधुनिक पुरानी सिक्का ढलाई प्रेसों के स्थान पर आधुनिक अधिक गति की सिक्का ढलाई प्रेसों की स्थापना करना, अतिरिक्त सिक्का ढलाई प्रेसों की स्थापना करना, सिक्कों और सिक्का ब्लैंकों का आयात करना; सिक्कों की वितरण प्रणाली को कारगर बनाना, देश के सुदूर क्षेत्रों में भी अधिक छोटे सिक्के के डिपो और करेंसी चेस्ट खोलना आदि इन उपायों के फलस्वरूप, देश में सिक्कों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है और कमी की स्थिति काफी सुगम हो गई है ।

(घ) और (ङ) टकसालों को आधुनिक बनाने की दृष्टि से, एक सरकारी क्षेत्र की परामर्शदात्री फर्म को एक रिपोर्ट तैयार करने के काम पर लगाया गया था । उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

अचल सम्पत्ति की हक-शुफा खरीद

654. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने चार बड़े शहरों में अनेक अचल सम्पत्तियों की हक-शुफा खरीद की है ; और

(ख) यदि हां, तो शहरवार तत्सम्बन्धी नवीनतम ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXग के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अब तक जिन सम्पत्तियों को खरीदे जाने के आदेश दिए गए हैं उनकी कुल संख्या 106 है ।

इस संबंध में एक विस्तृत विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जा रहा है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4573/87**]

सिक्कों की कमी

655. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से, राजस्थान में छोटे सिक्कों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के कितने और कौन-कौन से जिलों में छोटे सिक्कों की कमी है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने और छोटे सिक्कों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से

प्राप्त सूचना से पता चलता है कि राजस्थान सहित, पूरे देश में छोटे सिक्कों की कमी की स्थिति काफी सुगम हुई है।

(ग) किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) देशी सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में विशेष काउन्टरों के जरिए सिक्कों का वितरण।

(iii) सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश के लिए छोटे सिक्कों के डिपुओं के नेटवर्क का विस्तार।

(iv) कमी वाले क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भी सिक्कों की पूर्ति बढ़ाई गई/तीव्र की गई।

(v) 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यवर्ग के सिक्कों का आयात।

(vi) सिक्कों के वितरण का पर्याप्त अनुवीक्षण/समीक्षा।

राजस्थान में ऋणों को माफ किया जाना

656. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य बैंकों को यह अनुदेश जारी करे कि वे राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों और आदिवासियों को दी गई ऋण की राशि को या तो बट्टे खाते डाल दे अथवा माफ कर दें ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप राजस्थान में कितने आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होने की संभावना है ; और

(घ) सरकार यह अनुदेश कब तक जारी करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे राजस्थान राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणों को बट्टे खाते डालने या माफ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

शहरों के निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम

657. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान शहरों के निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए ;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कुल कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किये गए तथा कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये गए और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है तथा व्यापार अथवा व्यवसाय-वार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी और कितनी वितरित की गई ; और

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य-वार कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए और कितने नामंजूर किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक समुदाय बहुल जिलों में ऋण का वितरण

658. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 40 जिलों में बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण दिए जाने के कार्य पर जिला-वार, बैंक-वार अथवा संपूर्ण रूप से निगरानी रखी जा रही है ;

(ख) चुने गए प्रत्येक जिले में कौन-कौन से शीर्ष बैंक हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक शीर्ष बैंक ने ऋण के वितरण के कार्य को निगरानी हेतु जिला स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया है ;

(घ) क्या प्रत्येक बैंक ने चुने गए जिलों में अपनी शाखाओं द्वारा ऋण के वितरण कार्य पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया है ;

(ङ) क्या त्रैमासिक आधार पर निगरानी रखी जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो क्या पिछली दो तिमाहियों की रिपोर्ट में ऋण वितरण कार्य में किसी उल्लेखनीय प्रगति का पता लगा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निर्धारित 40 जिलों में अल्पसंख्यकों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह पर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा नजर रखी जाती है। यह समिति अल्पसंख्यक समुदायों समेत अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यगत समूहों को ऋण सहायता प्रदान करने मे बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय मंच है।

(ख) निर्धारित 40 जिलों के अग्रणी बैंकों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, निर्धारित 40 जिलों में प्रत्येक जिले में स्थित अग्रणी बैंक को, अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों पर नजर रखने के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने के लिए भी कहा गया है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने हाल ही में बैंकों से अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों के संबंध में छमाही आधार पर आंकड़े भेजने के लिए कहा है।

विवरण

निर्धारित 40 जिलों में अग्रणी बैंकों के नामों की सूची

राज्य	जिला	अग्रणी बैंक
1	2	3
उत्तर प्रदेश	1. रामपुर	बैंक आफ बड़ौदा
	2. बिजनौर	पंजाब नेशनल बैंक
	3. मुरादाबाद	सिंडीकेट बैंक
	4. सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक
	5. मुजफ्फरनगर	—तदैव—
	6. मेरठ	सिंडीकेट बैंक
	7. बहरीइच	इलाहाबाद बैंक
	8. गोंडा	—तदैव—
	9. गाजियाबाद	सिंडीकेट बैंक
	10. पीलीभीत	बैंक आफ बड़ौदा
	11. देवरिया	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
	12. बाराबंकी	बैंक आफ इंडिया
	13. बस्ती	भारतीय स्टेट बैंक
पश्चिम बंगाल	14. मुर्शिदाबाद	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
	15. मालदा	—तदैव—
	16. पश्चिम दीनाजपुर	—तदैव—
	17. बीरभूम	यूको बैंक
	18. नाडिया	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
	16. 24-परगना (साउथ)*	—तदैव—
	20. कूच-बिहार	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
	21. हावड़ा	यूको बैंक
केरल	22. मल्लापुरम	केनरा बैंक
	23. कोजीकोडा	—तदैव—
	24. कन्नानोर	सिंडीकेट बैंक
	25. पालघाट	केनरा बैंक
	26. वैनाद	—तदैव—
बिहार	27. पूर्णिया	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
	28. कटिहार	—तदैव—
	29. दरभंगा	—तदैव—

1	2	3
कर्नाटक	30. बिदार	भारतीय स्टेट बैंक
	31. गुलबर्ग	—तदैव—
	32. बीजापुर	सिंडीकेट बैंक
महाराष्ट्र	33. वृहत बम्बई	बैंक आफ महाराष्ट्र
	34. औरंगाबाद	—तदैव—
आंध्र प्रदेश	35. हैदराबाद	आंध्रा बैंक
	36. कूरनूल	सिंडीकेट बैंक
हरियाणा	37. गुड़गांव	—तदैव—
मध्य प्रदेश	38. भोपाल	बैंक आफ इंडिया
राजस्थान	39. जैसलमेर	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
गुजरात	40. कच्छ	देना बैंक

*24-परगना (नार्थ)—इलाहाबाद बैंक

गंगा नदी की सफाई

659. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी में गंगा नदी की सफाई के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाए रखने के लिए पुलिस का एक गश्ती दल तैयार करने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस पुलिस दस्ते के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) क्या अन्य नदियों के किनारों के लिए भी पुलिस के ऐसे गश्ती दल बनाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में अभिनिर्धारित की की गई 45.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 34 स्कीमों में से 30 जून, 1987 तक 37.92 करोड़ रुपये की लागत की स्कीमें मंजूर कर दी गई हैं। 30 जून, 1987 तक इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 9.24 करोड़ रुपये की धन-राशि दी जा चुकी है। 1.05 करोड़ रुपये लागत की दो स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

(ख) वाराणसी में नदी के तटाग्र का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। पता चला है कि वहां नदी के किनारे मलत्याग किया जाता है, नदी में मलबा और गंदगी डाली जाती है, पशुओं की लाशें फेंकी जाती हैं और घाटों पर असंख्य नौकाओं आदि को बांधकर पानी के प्रवाह को रोका जाता है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को ऐसे कामों से रोकने का प्रयत्न करती आ रही हैं। उनके प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार स्थानीय

पुलिस की एक दस्ते के रूप में नदी के तटों के साथ-साथ गश्त बढ़ा दी जाएगी। इससे नदी में गंदगी कूड़ा-करट आदि को फेंकने से रोकने में सहायता मिलेगी। यह पुलिस दस्ता नदी में पशुओं और मनुष्यों की बहती हुई लाशों को हटाने और उनका उपयुक्त निपटान करने में नगर पालिका के अधिकारियों की सहायता भी करेगा। लगभग 27 लाख रुपये वाली स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। स्कीम के लिए मंजूर की गई इस धन-राशि से मुख्य रूप से नौकाएं और संचार-साधन खरीदे जाएंगे।

(ग) पुलिस कर्मचारियों की व्यवस्था राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता नदी यातायात पुलिस की गश्त बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि नदी प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

व्यय पर कराधान संबंधी अध्ययन दल

660. **श्रीमती बसवराजेश्वरी:**

श्री एम० एन० नन्जे गौडा :

श्री जी० एस० बसवराज :

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय पर कराधान संबंधी अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है :

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार का इन सिफारिशों की कब तक जांच करने और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि यद्यपि व्यय कराके सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्ष कर पद्धति का पुनर्गठन करना लाभकारी होगा परन्तु व्यय कर यथार्थ आरम्भ करने से दुस्तर प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और औसतन करदाताओं के लिए भारी कठिनाईयों का कारण बन जाएंगी। अतः अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि आयकर ढांचे को कायम रखा जाए और उसमें व्यय कर के सिद्धांत को राजस्व की अपेक्षाओं के अध्यधीन सम्भव सीमा तक समाविष्ट किया जाए। आयकर अधिनियम, 1961 में प्रस्तुत की गई विद्यमान प्रोत्साहक योजनाओं के संबंध में इस अध्ययन दल ने निम्नलिखित विभिन्न सिफारिशें की हैं :—

(i) बचत के लिए प्रोत्साहन योजना ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक सम्भव हो यह केवल शुद्ध बचत के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार दे, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी निवेश या जमा (बचत) पर छूट दी जाती है तो पूंजी निवेश न करने अथवा धन निकालने पर प्रभार लगाया जाना चाहिए।

(ii) यदि किसी पूंजी के निवेश किए जाने पर कटौती मंजूर की जाती है तो उसी निवेश से होने वाली आय पर भी छूट नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) निजी क्षेत्र में की जाने वाली बचतों को और अधिक सीमा तक रियायतें दी जानी चाहिएं ताकि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच कार्यक्षमता की उच्चतर श्रेणी की ओर प्रेरित होते हुए बचतों का निवेश करने में अधिक प्रतियोगिता हो।

(ग) शुद्ध बचत सिद्धांत पर आधारित एक प्रोत्साहन योजना बनाने के लिए अध्ययन दल की सिफारिश को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस सिद्धांत पर राष्ट्रीय बचत योजना अधिसूचित कर दी गई है। आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 80 गग क समाविष्ट की गई है जो इस योजना के अन्तर्गत की गई शुद्ध बचत के लिए कर-प्रोत्साहन की व्यवस्था करती है। अध्ययन दल द्वारा की गई अन्य सिफारिशों की जांच-पड़ताल की जा रही है और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक समझे गए तो यथा समय कर दिए जाएंगे।

परमाणु विद्युत संयंत्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना

661. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री एच० एल० नन्जे गौडा :

श्री जी० एस० बसवराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी भी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना से उत्पन्न आपात-स्थिति से निपटने हेतु पहली बार कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) रिएक्टर में होने वाली दुर्घटना से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक बिजलीघर के लिए गहन और ब्योरेवार योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में ऐसी आपात कार्रवाई का विवरण दिया गया है जो संयंत्र के भीतर (संयंत्र-स्थल पर) तथा ऐसे क्षेत्र में, जहां लोग रहते हों, (संयंत्र-स्थल से दूर) की जानी चाहिए।

———

11.09 म० पू०

सदस्य का निलम्बन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री भगत बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री अजय विश्वास, सदस्य, लोक सभा को, मंगलवार, 28 जुलाई, 1987 को ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए, जो सभा में किसी सदस्य के लिए अत्यन्त अशोभनीय है, शेष सत्र के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मेरे पास श्री अजय विश्वास द्वारा लिखित एक पत्र है । मैं इसे सभा के समक्ष पढ़ना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उनके पत्र को पढ़कर सुनाने से पहले आपको माननीय मंत्री को अपना प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए ।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : शिष्टाचार के नाते उन्हें भी आपके द्वारा पत्र पढ़े जाने तक इन्तजार करना चाहिए था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसका पक्ष यह है :—

"आपको इस बात की जानकारी है कि सभा की आज की बैठक के दौरान सभा में काफी शोर गुल हुआ और दोनों पक्षों के माननीय सदस्य उत्तेजित हो गए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा पढ़ने दें :

"उसी समय तत्काल मैंने माननीय रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के हाथों से कुछ कागज छीन लिए जो वह अपने हाथ पकड़े हुए थे ।

वास्तव में मुझे इस घटना पर खेद है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई भी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे पूरा पढ़ने दें ।

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरफ से कोई भी पूर्व योजना नहीं थी ।

मैं सम्मानित सभा और इसके माननीय सदस्यों का बहुत अधिक आदर करता हूं और सभा में हुई घटना के लिए मुझे बहुत दुःख है ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखें, अब तक मैंने समाप्त नहीं किया है । कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, संसदीय जीवन की उच्चतम परंपराओं में, प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप, कृपया, बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

वासनिक जी, बैठ जाइए । पार्लियामेंट के प्रोसीजर में और पार्लियामेंट में·····

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें । मैं इसे बताना चाहता हूं । अभी-अभी प्रो० मधु दंडवते ने उच्च संसदीय परंपराओं के बारे में कहा । मेरा निवेदन है कि आप सभी उच्च परंपराओं का सम्मान रखें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक बात कह देना अलग है और उस पर चलना मुश्किल है ।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसा न करें कि कहें कुछ और करें कुछ । हमें 'कथनी' और 'करनी' के अन्तर को समाप्त करना चाहिए । बस इतनी सी बात है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात क्यों नहीं सुनते, आपको क्या तकलीफ है । मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह चीज इस तरीके से आप समझ लें और कर लें, क्योंकि गलती भी इन्सान करता है, माफी से बड़ी बात हो नहीं सकती । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुत्तेमवार जी, आप मेरी अर्ज सुन लें, करेंगे तो आप अपनी ही मर्जी । मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं, लेकिन मैं अर्ज तो कर सकता हूं । अगर इसके बाद भी यह होता है तो न माफी का कोई फायदा है और न कुछ करने का फायदा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बीच में क्यों बोलते हैं । आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा लिहाज नहीं आ रहा है कि लोग हमको क्या कहेंगे किस तरह से कहेंगे । आप यह क्यों नहीं सोचते कि हम किसलिए आये हैं । आप बात कीजिए लेकिन एक दफा में ही पचास आदमी खड़े हो जाते हैं । मैं इस हाऊस को तभी तक चलाऊंगा जब तक आप ठीक तरीके से बैठेंगे । वरना मुझे कोई डाक्टर ने नहीं बताया है कि मैं इस तरह से चलाऊं ।

[अनुवाद]

मैं कार्यवाही बन्द कर दूंगा ।

[हिन्दी]

मैं अपने दोनों कान और दोनों आंखें बन्द कर लूंगा । मैं इस तरह की भद्दी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा ।

[अनुवाद]

यह बहुत बुरी बात है। इसका हम सब पर प्रभाव पड़ता है। इसका इस महान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। यह हमें शोभा नहीं देता है। मेरी आपसे यही अपील है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करें ?

[हिन्दी]

मेरा अगर बस चले तो मैं फौरन अजय जी की तरफ से माफी मांग लूं। आप न माने तो आपकी मर्जी।

[अनुवाद]

मैं न तो आपको और न ही उनकी तानाशाही चलने दूंगा। मैं, किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकूंगा।

[हिन्दी]

यह तो आप लोगों पर है मैं नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : हम आपके विचारों तथा भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश व्यवहार अभूतपूर्व रूप से बुरा है। अतः मैं इस बात पर जोर देता हूं कि प्रस्ताव रखा जाये। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में उन्होंने क्या किया था। वे सभा में दो महीने तक व्यवधान डालते रहे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, अगर आप एक-दो बोलना चाहते हैं तो मैं अलाऊ कर दूं, लेकिन शान्ति तो हो, तब मैं करूं···

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर चिरायिकिल : ऐसी ही घटना केरल विधानसभा में हुई थी जहां पर एक सदस्य को निलंबित किया गया था और ऐसा पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी हुआ था। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम आपकी भावनाओं से सहमत हैं, परन्तु हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कल, जब मैं और श्री इन्द्रजीत गुप्त अपने स्थानों पर बैठे हुए थे तो कुछ माननीय सदस्य कुछ कागज लाए और उनको हमारी मेज पर जोर से फैंक दिया। हमने, इस पर, कुछ भी नहीं कहा।

(व्यवधान)

महोदय, क्या आपने कल देखा था जब दो सदस्य यहां आये और मेरी मेज पर धमाके से कागज फैंक गए ? क्या आपने यह देखा था ? क्या आपने कल यह देखा था जब सत्तारूढ़ दल के दो सदस्य हमारी मेज के पास आए और जोर से कागज फैंक गए ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हमेशा आप लोगों की बात सुना करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अभद्र व्यवहार की मैंने हमेशा निन्दा की है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : संसदीय कार्य मंत्री ने तब इस पर आपत्ति नहीं की। हमने उन सदस्यों के कृत्य को गम्भीरता से नहीं लिया जिन्होंने मेज पर धमाके से कागज फैंके थे। **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर : पश्चिम बंगाल और केरल में आपने क्या किया है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने सुन लिया। और कुछ कहना है तो कहिए।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : इसी बात के लिए, केरल विधान सभा में, आपके नेता ने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सत्तारूढ़ पक्ष से दो सदस्य हमारी मेज के पास आये। क्या आपने उस पर आपत्ति की ? क्या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया ?

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अशोभनीय व्यवहार पर मैं हमेशा आपत्ति करता हूं। मैं इस पक्ष और उस पक्ष में अन्तर नहीं करता—जो भी इसमें शामिल हो, यह बुरी बात है। अब मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किस नियम के अन्तर्गत ? महोदय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? आप सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों के बारे में क्यों नहीं बोलते जिन्होंने यहां पर मेज पर धमाके से कागज दे मारे ? आप, हमारी क्यों नहीं सुनते ?

प्रो० मधु दंडवते : जब उन्होंने कल ऐसा किया तो हमने आपत्ति नहीं की। वे यहां पर आए

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वोट करा दूं इसको···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपके द्वारा प्रस्ताव रखे जाने से पहले, हमें कुछ कहना है। आप हमें एक-एक करके बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रस्ताव क्या है ? हम यहां पर इसे नहीं सुन सके ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस समय मेरे सामने रूलिंग पार्टी का यह मोशन है कि श्री अजय बिश्वास ने गड़बड़ की है, उनको सारी टर्म के लिए हाऊस से निकाल दिया जाए ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कब तक निकाल दिया जाए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग पार्टी की तरफ से मोशन है कि सत्र के शेष दिनों के लिए उनको

[अनुवाद]

वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए

[हिन्दी]

निकाल दिया जाए ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : श्री भगत द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मैंने आपको एक संशोधन की सूचना दी थी ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिये आपकी सबमिशन क्या है ?

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : सभा को इसका निर्णय करना चाहिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : यह अभूतपूर्व है । माननीय सदस्य द्वारा खेद प्रकट किये जाने के बावजूद उनको निलम्बित किया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नही, मैं नहीं कर सकता ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं । उन्हें इन भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी ।

श्री टी० बशीर : पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था ?

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : केरल में क्या हुआ था ?

श्री एच०के० एल० भगत : महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह एक बहुत अभूतपूर्व घटना है । आपको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपकी अनुमति से···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप शांत रहें ।

[हिन्दी]

मैं करता हूं, आपको भी टाइम दूंगा ।

[अनुवाद]

मैं आपको समय दूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए आपने जो भावना व्यक्त की है हम उसका पूर्णतया समर्थन करते हैं । (व्यवधान) हमें अपनी बात कहने दीजिये । (व्यवधान) कृपया सभा में शांति बनाए रखिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, मैं मिनिस्टर साहब को भी बुला रहा हूं ।

[अनुवाद]

उनके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, श्री टी० बशीर, मैं आपको अभी बुलाता हूं ।

श्री टी० बशीर : मैं समझता हूं कि यह कोई चर्चा किए जाने वाला मुद्दा नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अभी बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं दोनों सदस्यों को बुलाऊंगा । आराम से बात करेंगे । फिकर मत करियेगा ।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : मैं बोलना नहीं चाहता । मैं समझता हूं कि यह कोई चर्चा करने का विषय नहीं है । सभा सर्वोच्च है । सभा को फैसला करने दीजिये । मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा ।

[अनुवाद]

मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

मैं आपको अलाऊ करूंगा । श्री सैफुद्दीन गरम मत होओ ।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी(महबूबनगर) : आप पहले ही प्रो० मधु दंडवते अनुमति को दे चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी अनुमति से मुझे बोलने की अनुमति मिली थी । कृपया मंत्री जी को बोलने से रोकिये । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट बैठिये, इसको बन्द करिये ।

[**अनुवाद**]

मैं आपको अभी बुलाता हूं ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं हम उनका स्वागत करते हैं···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : ठहरिये, बैठ जाइये । बोलिये मत ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत दूंगा ।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दंडवते : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे इसे और स्पष्ट करने दीजिए । जैसा कि मेरे साथी श्री बिश्वास ने स्वयं अपने पत्र में स्पष्ट कहा है···

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप यदि बैठ जाएं, तो ठीक है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ठहरिये तो सही ।

[**अनुवाद**[

मैं काफी पर्याप्त समय दूंगा ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : इस सदन में, जिसको वह अनुमति देते हैं हम वह कभी नहीं बोलते । हम अपनी इच्छा से बोलते हैं (**व्यवधान**) यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि यदि 400 व्यक्ति भी चिल्लाएं तो भी वे मेरी आवाज को नहीं दबा सकते । (**व्यवधान**) क्या आप मेरी बात को सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा सुनता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं या प्रो० तिवारी की । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० तिवारी, अगर आप दो मिनट बैठ जायें, तो मैं आपको भी बुला लूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । मैं आपको बुलाऊंगा परन्तु इस तरह से नहीं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठ जाइये, मैं इनके बाद आपको भी बुला लूंगा ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हर बार मुझे शुरू से ही कहनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा के बारे में आपने जो भावनायें व्यक्त की मैं उनका स्वागत करता हूं । जैसाकि सदन की गरिमा के लिए कुछ मानदण्ड हैं उसी तरह से जब इसकी गरिमा भंग होती है तो इस बारे में भी कुछ परिपाटियां हैं । महोदय, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जबकि आवेश में पिछले कुछ वर्षों में···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री पुरुषोत्तमन्, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यदि मैंने कुछ असंसदीय बात कहीं हो तो कृपा उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

प्रो० मधु दंडवते : सदन की गरिमा के लिए कतिपय परम्परायें हैं । कभी-कभी आवेश और गहमा-गहमी में यदि कुछ बात हो जाती है और यहां तक कि सदन की गरिमा भंग होती है तो उस स्थिति में भी, सदन की कतिपय परम्परायें तथा परिपाटियां हैं । कुछ ऐसे भी अवसर आये जब सदस्य अपने स्थान से उठकर लोक-सभा अध्यक्षपीठ तक गए और माइक्रोफोन पर कब्जा कर लिया । विरोधी पक्ष के साथ न्याय नहीं किया गया है । सम्बन्धित सदस्य ने खेद प्रकट किया तथा माफी मांगी और उसके पश्चात् अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि कि आवेश में सदस्य ने ऐसा किया है । परन्तु मैं आपको ···**(व्यवधान)** मैं आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं । आपको याद होगा कि कल, सत्तारूढ़ पक्ष के दो सदस्य 'ब्लिट्ज' की फोटो कापी लेकर श्री इन्द्रजीत गुप्त और मेरे पास आये थे···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमती दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : वे हमारी टेबल तक आये । (**व्यवधान**) कागज खींचना ही गलत बात नहीं है—माननीय मंत्री जी के हाथ से मेरे साथियों ने जो कागज खींचने की बात की है मैं भी उससे सहमत नहीं हूं—परन्तु यदि ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाता है···

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय, क्या में उससे पूछ सकता हूं कि जब प्रो० दण्डवते कह रहे हैं कि वह किसी व्यक्ति द्वारा कागज छीने जाने तथा उन्हें नष्ट करने की बात से सहमत नहीं हैं तो क्या वे उन दो बातों को एकसाथ रख रहे हैं, दो सदस्य आकर श्री इन्द्रजीत गुप्त को कागज दे रहे हैं तथा श्री विस्वास मेरे हाथ से कागज खींच रहे हैं? 'भी' कहने से आपका क्या तात्पर्य है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं तुलना नहीं करना चाहता । कम या ज्यादा सदन की गरिमा भंग हुई है मैं आपके माध्यम से सदन से सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा इस बात में है कि यदि गलती करने के बाद सदस्य स्पष्टतौर पर खेद प्रकट करता है और यह आश्वासन देता है कि ऐसा दुबारा नहीं होगा तो सदन की गरिमा इस बात में है कि हम इस मामले को वहीं समाप्त कर दें । इसलिए मैं मांग करता हूं कि संकल्प वापस लिया जाये ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, काश, मैं प्रो० दण्डवते के सुझाव को मान सकता ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं भी सहमत हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : कृपया सुनिये । और यदि आप नहीं सुनेंगे तो यह बात निरन्तर जारी रहेगी । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप बैठ जाओ, आप तो बूढ़े हो गये, आपको तो गर्मी नही आनी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : काश, मैं प्रो० दंडवते की बात से सहमत हो सकता । 'पोडियम' के पास जाने का जो उदाहरण दिया गया है वह एक बार नहीं अपितु दो बार हुआ है । महोदय, 1952 से मैं इस सदन में रहा हूं । दो दफे को छोड़कर, सदस्यों द्वारा कभी भी इस तरह का दुस्साहस नहीं दिखाया गया है । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : कांति देसाई के मामले में उन्होंने सभा की कार्यवाही दो महीने से अधिक समय तक ठीक तरह से नहीं चलने दी···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्यों से प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या वे हमसे माफी को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं या इसे स्वीकार करने के लिए हमें धमकी दे रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : जी, नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : तो फिर इस तरह का व्यवहार बन्द कर दीजिए ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने 'सदन से अपील' शब्द का प्रयोग किया है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी बात को सुने कि हमें क्या कहना है। माफी दिये जाने के लिए वे जो हमें धमकी दे रहे हैं हम उससे डरने वाले नहीं हैं—मैं कहना चाहता हूं कि प्रो० दण्डवते ने आपकी प्रशंसा की और उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये। मैं इसका भी समर्थन करता हूं। आपने भी उन्हें बधाई दी है···

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं भी आपको बधाई देता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं एक पंक्ति उद्धृत करता हूं :

"अहो रूपं अहो ध्वन्याम्"

मुझे यह पंक्ति याद आ रही है। परन्तु महोदय मुझे यह भी याद है (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मुझे डा० जैक्याल तथा श्री हिडे की याद आ रही है जोकि दिन में तो बहुत ही अच्छी भली बातें करते थे परन्तु रात में इसके एकदम विपरीत। यहां प्रोफेसर हैं जोकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं लेकिन स्वयं सैकड़ों बार इन परम्पराओं को तोड़ते हैं। कल इनकी भावनाओं का क्या हुआ था जब आप कह रहे थे···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बात करने दो। क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : हम यह कठोर सजा नहीं देना चाहते थे परन्तु···(व्यवधान)

जी हां, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं जोकि अपने नेता की परवाह न करें···(व्यवधान) अतः बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए मेरा मतलब है कि कल जो छीना-झपटी वाली हिंसा यहां हुई, इसके लिए मैं समझता हूं कि सदस्यों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए जैसाकि केरल तथा पश्चिम बंगाल विधान सभाओं में किया गया था। अतः महोदय हम इस सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखा जाए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कल जो कुछ हुआ उसके लिए हम वास्तव में शर्मिन्दा हैं। सारा देश हमें और सदन में हमारे अनुशासनहीन व्यवहार को देख रहा है। इस प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन को जोकि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इतने हल्के ढंग से लिया जा रहा है तथा सभी मापदंडों तथा सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण था संगठित रूप में ऐसा करना तथा हमें इसे···(व्यवधान)

संगठित रूप में यह प्रयास किया गया था कि संसद की कार्यवाही में रुकावट आये तथा लोगों को यह बताया जा सके कि सदन में कार्यवाही न की जा सके। मेरा कहना है कि सदस्यों का यह

अपमानजनक व्यवहार उसी समय की बात नहीं थी। संसद के बाहर क्या हो रहा है? देश में चारों तरफ मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं तथा इसी गलत जानकारी पर सदन में चर्चा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप उनके सुझावों को मानें···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ी होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : वे सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चलने देंगे। अतः मेरा कहना है कि सदस्य का व्यवहार भी इसमें बाधक है। इसलिए महोदय, मैं कहूंगा, जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा कि जब प्रो० दंडवते यहां पर लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमें दंडवते जी से यहां लोकतंत्र पर भाषण नहीं सुनना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हो।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया अब बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, श्री दंडवते को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सत्र में यानी कि सातवीं लोकसभा में जब वह सदन में रिवाल्वर लाये थे तो यह कोई ऐसा कार्य नहीं था जो तत्काल किया गया हो। यह तो पहले से ही सुविचारित योजना थी।···(व्यवधान) कि वह रिवाल्वर लाये और उसे सदन में घुमाया। हमें श्री दंडवते की वह भूमिका याद है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, क्यों बोल रहे हैं। बैठ जाइये। मुझे अपना काम करने दीजिए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : इसलिए, महोदय, हमारा कहना यह है कि सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने सुरक्षित रखने और इसकी सार्वभौमिकता के संरक्षण के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कि देश में संसदीय लोकतंत्र कायम रहेगा, हमें इस गलती करने वाले व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए।

श्री दिनेश स्वामी (गोहाटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को बाध्य करने के लिए नही कह रहा हूं, मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यह रिकार्ड में आ जाए। यह सत्तारूढ़ दल पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल श्री अजय विश्वास जी ने जो किया मैं उसका अनुमोदन नहीं करता। यह बहुत दुर्भाग्पूर्ण था। लेकिन प्रश्न वही बना हुआ है कि सजा क्या होनी चाहिए? महोदय,

मेरे मित्र ने केरल तथा पश्चिम बंगाल विधान-सभा का हवाला दिया है। मैं नहीं समझता कि इस सभा को केरल तथा पश्चिम बंगाल विधान-सभा का अनुसरण करे। संसद को मार्ग-दर्शन के लिए 'हाऊस ऑफ कामन्स' का उदाहरण लेना चाहिए···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सारी बातों के लिए चाहता हूं। न कि इसी के लिए आप देखें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : 'हाऊस ऑफ कामन्स' में जब कभी सदस्य ने क्षमा याचना की···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आराम से बैठिए। जो मैं कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, 'हाऊस ऑफ कामन्स' में कई अवसर ऐसे भी आये जब हाथा-पाई की नौबत आ गई। इतने पर भी जब सदस्य ने खेद प्रकट कर दिया तो गलती मानी···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, व्याख्या के प्रश्न पर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये तिवारी जी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं आपको अनुमती नहीं दे रहा हूं। ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह क्या कर रहे हैं ? आप सदन की अवमानना नहीं कर सकते।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सदन हमेशा कृपालु रहा है जब कभी भी किसी सदस्य ने क्षमा याचना की हो और विशेष रूप से तब जब माननीय अध्यक्ष ने कहा हो कि इस तरह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाये। परन्तु इसको रद्द या अस्वीकार किए जाने से अध्यक्षपीठ द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी **(व्यवधान)** इसलिए मेरा कहना यह है कि क्षमा-याचना किए जाने की वजह से किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए यद्यपि हम श्री अजय विश्वास द्वारा किए गए कार्य से सहमत नहीं हैं।

श्री बसन्त साठे : महोदय, मेरे माननीय सहयोगी श्री भागवत झा ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको एलाउ किया था। सबसे पहले आप ही को एलाउ था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको करूंगा। आई-विल-एलाउ-यू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक को कर दिया, सारों को नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह दलीय मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह कोई दलगत मामला नहीं है।

[हिन्दी]

मैं सारों को एलाउ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं। वे आपके अधिकारों और भावनाओं को चुनौती दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संकुदीन चौधरी : सर, आपको बुलाना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन के नेता कहां हैं ? एक सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : जब माननीय प्रो० मनु दंडवते और उनके कुछ सहयोगी सत्ता पक्ष में थे, यह सदन को कभी नहीं भूल सकता, खासतौर पर उस घटना को जिसमें चौथी लोक सभा के तथाकथित विशेषाधिकार हनन के लिए इस सभा के एक निर्वाचित सदस्य और भूतपूर्व प्रधानमंत्री की न केवल निन्दा की गई···

प्रो० मधु दंडवते : किसी तरह कोई खेद प्रकट नहीं किया गया था ।

(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : परन्तु उन्हें भी बेचैनी हुई थी···(**व्यवधान**)

किसी तरह का दोष साबित नहीं हुआ था । फिर भी, चूंकि वे बहुमत में थे, उन्होंने सदस्य को सदन से निष्कासित कर दिया । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते क्या श्रीमती गांधी ने खेद प्रकट किया था ? (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था । वह किस तरह का खेद प्रकट कर सकती थीं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आपको खेद व्यक्त करने का अर्थ मालूम है ?

श्री वसन्त साठे : मैं जानता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही में फेर-बदल किया था ।

श्री वसन्त साठे : जी नहीं । (**व्यवधान**)

वास्तव में श्री शंकरानन्द विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। ऐसा बताया गया कि उसमें...

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने एक टिप्पण भेजा था । (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : आज प्रश्न यह है कि यदि हम सदन की गरिमा तथा सम्मान को बनाये रखना चाहते हैं···

(**हिन्दी**)

अध्यक्ष महोदय : लगता तो नहीं ।

(**अनुवाद**)

श्री वसन्त साठे : गलती हमेशा हो सकती है, परन्तु जानबूझकर की गई गलती को माफ नहीं किया जा सकता । यदि आप इस तरह की शरारत को माफ कर देंगे तो इन गलतियों का कोई अन्त नहीं होगा । इसलिए हमें गलतियां किये जाने की प्रवृत्ति को कठोरता से रोकना चाहिए । हम पूरी उदारता के साथ यह कह रहे हैं·····(**व्यवधान**)

हम यहां पर जनता के प्रतिनिधि हैं । हम जनता के विचारों को जानते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि गलती जानबूझ कर की गई थी—एक आदमी मंत्री तक जाता है उसके हाथ से

कागज छीन कर उन्हें फाड़ता है तथा फिर उन कागजों को फेंक देता है—क्या इसे आप गलती कहेंगे ? यह जानबूझकर की गई शरारत है । यदि आप वास्तव में सदन की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो इन शरारतों को समाप्त करना होगा और इसलिए सम्पूर्ण सत्र के लिए निष्कासित करने हेतु यह संकल्प लाया गया है । इस सदस्य को अवश्य ही निलम्बित किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिना शर्त खेद प्रकट करने के बावजूद भी प्रस्ताव लाया गया है । मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस प्रस्ताव को मतदान के लिए सदन में रखने से पहले आप कृपा कर थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित कर दें ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

श्री० सी० माधव रेड्डी : आप कक्ष में जाकर नेताओं से बात करिये और तत्पश्चात् निर्णय लीजिये ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : (मिदनापुर) अब क्यों घबड़ाते हो ।

(अनुवाद)

श्री सी० माधव रेड्डी विरोधी : पक्ष को पाठ पढ़ाना—सरकार का उद्देश्य है ? जैसाकि उन्होंने कहा कि यह शाब्दिक हिंसा है और वे हमें पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि अकेले वे ही सदस्य नहीं हैं । इस सत्र की समाप्ति से पहले सदन के सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों को निष्कासित करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० मधु दंडवते, श्री दिनेश गोस्वामी अन्य सदस्यगण के प्रति पूर्ण सम्मान और क्षमा याचना के साथ तथा श्री अजय-विश्वास के प्रति प्रेम की भावना के साथ मैं अत्यधिक विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ कहा जा रहा है—कटोर शब्द कहने के लिए मैं माफी चाहता हूं—वह मात्र मगरमच्छ के आंसू हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : जैसाकि आप हमेशा करते हैं (व्यवधान)

श्री एच०के०एल० भगत : यह मगरमच्छी आंसू बहाना है । (व्यवधान)

महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो सदस्य अपनी इच्छा से सदन के बीच में आये उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई । आपके अधिकारों की अवहेलना की गई है । फिर ये मगरमच्छी आंसू बहाए जा रहे हैं । इन्हीं माननीय सदस्यों ने आपके अधिकारों की अवज्ञा की है । इनमें से कुछ सदस्य जो अभी बोल रहे हैं उन्होंने आपके अधिकारों की अवज्ञा की है । आपकी भावनाओं और अधिकारों के प्रति वे क्या सम्मान रखते हैं ? यह हमें मालूम है । वे मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं । दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी बात अभूतपूर्व है । (व्यवधान) वे उनके व्यवहार की निन्दा करने में हमारा साथ क्यों नहीं देते ? यदि वे उनके द्वारा किये गये कार्य की निन्दा नहीं करते तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते । महोदय, यदि आपने हमारे द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की तो मैं समझता हूं कि आप अन्याय कर रहे होंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखा जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर प्रो० मधु दंडवते द्वारा एक संशोधन रखा गया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैंकटेश, कल आपने दुर्व्यवहार किया था और आज उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। कृपया ऐसा मत करिये। इससे देश में लोकतंत्र की नींव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते द्वारा दिया गया संशोधन है। यह इस प्रकार है :

"28-7-1987 को सभा में हुई घटना के संबंध में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में मैं निम्नलिखित संशोधन की सूचना देता हूं।"

"श्री अजय विश्वास के निलम्बन संबंधी उल्लेख का लोप किया जाये।"

और निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाये :—

"28 जुलाई, 1987 को श्री अजय विश्वास द्वारा उनके व्यवहार के बारे में खेद प्रकट किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, सभा इस मामले को समाप्त हुआ समझती है।"

अब, प्रो० मधु दंडवते अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्तुत करता हूं :

28-7-1987 को सभा में हुई घटना के संबंध में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में—

"श्री अजय विश्वास के निलम्बन संबंधी उल्लेख का लोप किया जाए।"

और निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाये :

"28 जुलाई, 1987 को श्री अजय विश्वास द्वारा उनके व्यवहार के बारे में खेद प्रकट किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, सभा इस मामले को समाप्त हुआ समझती है।"

मैं संसदीय कार्य मंत्री से अपील करता हूं कि वे सद्भावनापूर्वक कृपया इस संशोधन को स्वीकार करें। यह कोई धमकी नहीं अपितु अपील है। याद रखिये कि यह भविष्य में एक मिसाल का काम करेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"28-7-1987 को सभा में हुई घटना के संबंध में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव में—

"श्री अजय विश्वास के निलम्बन संबंधी उल्लेख किया जाए।"

और निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाये :

"28 जुलाई, 1987 को श्री अजय विश्वास द्वारा उनके व्यवहार के बारे में खेद प्रकट किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए सभा इस मामले को समाप्त हुआ समझती है।"

दीर्घाएं खाली कर दी जायें—

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो गई हैं। अब मैं संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि श्री एच० के० एल० भगत द्वारा सभा में 28-7-87 को हुई घटना के संबंध में दिए गए प्रस्ताव में प्रो० मधु दंडवते ने एक संशोधन की सूचना दी थी। मैं अब इस संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : क्या आप पहले प्रो० मधु दंडवते के संशोधन को मतदान के लिए रख रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : हां, यही मैं कह रहा हूं, श्रीमन्।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि मैं प्रो० मधु दंडवते के संशोधन को मतदान हेतु रख रहा हूं क्योंकि पहले हमें संशोधन पर कार्यवाई पूरी करनी होगी। उसके बाद हमें मुख्य प्रस्ताव को मतदान हेतु रखना होगा। अतः, मैं प्रो० मधु दंडवते के संशोधन को सभा के समक्ष मतदान हेतु रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"28-7-87 को सभा में हुई घटना के संबंध में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में—

"श्री अजय विश्वास के निलम्बन संबंधी उल्लेख का लोप किया जाए।"

तथा निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए :

"28 जुलाई, 1987 को श्री अजय विश्वास द्वारा उनके व्यवहार के बारे में खेद प्रकट किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सभा इस मामले को समाप्त हुआ समझती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

12.00 मध्याह्न

मत विभाजन संख्या – 1

पक्ष में

अप्पालानरसिंहम्, श्री पी०	ककाडे, श्री सांभाजीराव
अब्दुल हमीद, श्री	कल्पना देवी, डा० टी०
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण	*किन्दर लाल, श्री
अहमद, श्री सैफुद्दीन	कुरुप, श्री सुरेश
आचार्य, श्री वसुदेव	खां, श्री मोहम्मद महफूज अली

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

गिल, श्री मेवा सिंह
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोस्वामी, श्री दिनेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
डोरा, श्री एच० ए०
सांती, श्री भद्रेश्वर
तिरकी, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी०
थामस, श्री थम्पन
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
पटेल, डा० ए० के०
पाटिल, श्री डी० बी०
पाठक, श्री आनन्द
पेंचालैया, श्री पी०
बनातवाला, श्री जी०एम०
बर्मन, श्री पलास
विश्वास, श्री अजय
*बूटा सिंह, सरदार
भण्डारी, श्रीमती डी० के०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भूपति, श्री जी०
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसदुल हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
मिश्र, श्री विजय कुमार
मुखर्जी, श्रीमती गीता
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन० वेंकट
राजू, श्री विजय कुमार
राय, श्री डा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री डी० एन०
रेड्डी, श्री बैजवाड़ा पपी
रेड्डी, श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव
रेड्डी, श्री एस० जयपाल
वेंकटेश, डा० वी०
शाहबुद्दीन, सैयद
सम्बू, श्री सी०
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
स्वामी, श्री कटूरी नारायण
हन्नान मोल्लाह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

विपक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अतीतन, श्री आर धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज़
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एंथनी, श्री फ्रैंक
एन्टनी, श्री पी० ए०
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयार, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविंद तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्री मोहसिना
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुन्जम्बू, श्री के०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम्, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केयुर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिगलांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलोत, श्री अशोक
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती

गुहा, डा० फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोलप, श्री एस० जी०
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
*चौबे, श्री नारायण
जगतरक्षकन, डा० एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जय मोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कमोदीलाल
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम० एल०
टाइटलर, श्री जगदीश
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
ठाकुर, श्री सी० पी०
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
तंगराजु, श्री एस०
तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)
तम्बिदूराई, श्री एम०
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

घोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शांति
नटराजन, श्री के० आर०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री राम पूजन
पराशर, प्रो० नारायण चंद
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवन्त राव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चंद्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन०

प्रधानी, श्री के०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसवराजु, श्री जी० एस०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोय, श्री आर० एम०
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रताप राव बी०
मकवाना, श्री नरसिंह
मनोरमा, सिंह श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री वृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
महालिंगम, श्री एम०
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के०
यशपाल सिंह, श्री
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह

यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजकरन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम सिंह, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वनकर, श्री पूनमचंद मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचंद
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शैलेश, डा० बी० एल०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
संखवार, श्री आशकरण
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष कुमार सिंह, श्री
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चंद्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वंसत
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंघरावडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री अतीशचंद्र
सिंह, श्री एन० टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री चंद्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिंधिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी (फिल्लौर)
सुखराम, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोढ़ी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०
षण्मुख, श्री पी०
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो० एम० आर०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष मे : 66
विपक्ष में : 338

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : डा० दत्ता सामंत, सर्वश्री वी० शोभनाद्रीश्वरराव, डी० नारायण स्वामी, बी० बी० रमैया, डी० एन० रेड्डी, बी० किशोर चन्द्र एस० देव, श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी, सर्वश्री नारायण चौबे, सोडे रमैया, गोपालकृष्ण थोटा, रामाश्रय प्रसाद सिंह, प्रो० पराग चालिहा और श्री राम नारायण सिंह ।

विपक्ष में : सरदार बूटा सिंह, सर्वश्री कमला प्रसाद रावत, स्वामी प्रसाद सिंह, लालाराम केन, प्रकाश चंद्र, किन्दर लाल, जार्ज जोसेफ मुंडाकल और बी०बी० रमैया ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत मुख्य प्रस्ताव को रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): इससे पहले कि आप श्री भगत के प्रस्ताव को मतदान लिए रखें क्या मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि आप सभा के संरक्षक हैं, आप अध्यक्ष हैं। सभा की गरिमा एवम् प्रतिष्ठा के ति सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति आप हैं। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। हम सब सहमत हैं। लेकिन आप संरक्षक तथा अध्यक्ष होने के नाते हमें बतायें कि क्या आप सदस्य द्वारा बिना शर्त खेद व्यक्त करने पर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो मैं कह सकता था, पहले ही कह चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आप संतुष्ट हैं तो आप अनुमति क्यों दे रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो मैं कह सकता था पहले ही कह चुका हूं। लेकिन मैं सभा से ऊपर नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं, आपका क्या दृष्टिकोण है। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का हक है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। जो मुझे कहना था कह दिया है। लेकिन सभा सर्वोच्च है। मैं सभा की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सम्पूर्ण सत्र की बाकी के अवधि के लिए निलम्बन ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यही है।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्···

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्न यह है·····

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, क्या आप कल सत्ता पक्ष के दो सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार से संतुष्ट हैं ? क्या आप इससे संतुष्ट हैं ? (**व्यवधान**)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी इस कार्यवाई से खुश नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से सम्पूर्ण विपक्ष ने माननीय सदस्य के व्यवहार की निन्दा नहीं की है। बजाय उनके कार्य की निन्दा करने के वे सभी के लिए माफी की याचना कर रहे हैं। अतः प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्न यह है :

"कि श्री अजय विश्वास, सदस्य, लोक सभा को, मंगलवार, 28 जुलाई, 1987 को ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए, जो सभा में किसी सदस्य के लिए अत्यन्त अशोभनीय है, शेष सत्र के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

दीर्घायें पहले से ही खाली हैं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री अजय विश्वास, सदस्य, लोक सभा को, मंगलवार, 28 जुलाई, 1987 को ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए, जो सभा में किसी सदस्य के लिए अत्यन्त अशोभनीय है, शेष सत्र के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

12.04 म० प०

मत-विभाजन संख्या 2

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मानेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
आदियोडी, डा० के० जी० (कालीकट)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)
अर्जुन सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलखाराम, श्री (सलुम्बर)
अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)
आजाद, श्री भागवद झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)
एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंटनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)
ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबंदर)
ओडेयार, श्री चनैया (दावनगेरे)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कांबले, श्री अरविंद तुलसीराम (उस्मानाबाद)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य, मणिपुर)
किदवई, श्री मोहसिना (मेरठ)
किस्कू, श्री पृथ्वी चंद (दुमका)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बु, श्री के० (अट्टूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयुर भूषण, श्री (रायपुर)
कोनयक, श्री चिंगबांग (नागालैंड)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (त्रिवलोन)

कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)
खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गाडगिल, श्री वी०एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (मांडवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या (नन्दरवार)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी० (थाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासाट)
घोष, श्री विमल काति (सीरमपुर)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चंद्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चंद्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चंद्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड)
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान (माल्दा)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्ट)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहन लालगंज)
जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)
जय मोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाटव, श्री कमोदीलाल (मुरैना)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जीवारथिनम, श्री आर० (अराकोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)
टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)
डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फुलबनी)
डेनिस, श्री एन० (नागर कोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)
तम्बिदूराई, श्री एम० (धर्मपुरी)
तारादेवी, कुमारी डी०के० (चिकमगलूर)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)
तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
त्रिपाठी, डा० चंद्र शेखर (खलीलाबाद)
त्रिपाठी, श्रीमती चंद्रा (चंदौली)
थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुमल)
थुंगन, श्री पी०के० (अरूणाचल पश्चिम)
ओरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)
दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, चौधरी (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री बिकिनपाल (तेजपुर)
दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)
दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)
दूबे श्री भीष्म देव (बांदा)
देव, श्री सन्तोष मोहन (सिलचर)
देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)
धारीवाल, श्री शांति (कोटा)
नटराजन, श्री के० आर० (डिण्डिगुल)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करोलबाग)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री शांताराम (पणजी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)
पकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम० (मयूरम)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटेल, अहमद एम० (भड़ोच)
पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पाटिल, श्री प्रकाश बी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज बी० (लातूर)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)

पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री बक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेरूमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधान, श्री के० (नौरंगपुर)
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (बन्डाचासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिकिल)
बसवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
वीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
वीरन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुदानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बटासिंह, सरदार (जालौर)
बैरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
ब्रहमदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भगत, श्री बी०आर० (आरा)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भुरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोय, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस०एस० (मालेगांव)
भोसले; श्री प्रतापराव बी० (सतारा)
मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंह पुर)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महावरी प्रसाद, श्री (बांसगांव)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णियां)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर०एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मालवीय श्री बापूलाल, (शाजापुर)
मिश्र, श्री उमाकांत (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री जी० एम० (सिवनी)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)
मुखोपाध्याय, श्री अनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुरमू, श्री सिद्धला (मयूरभंज)
मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड़)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)
रंगनाथ, श्री० के० एच० (चित्रदुर्ग)
रघुराजसिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
राम समुझावन, श्री (सैदपुर)
राम, सिंह श्री
रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
राय, श्री आई० रामा (कासरगोड़)
राय श्री राजकुमार (घोसी)
राव, श्री के० एस० (मछलीपतनम)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
लच्छीराम, चौधरी (जालौन)
लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचलम पूर्व)
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वैरालै, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्री निवास प्रसाद, श्री बी० (चामराजनगर)

संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
संतोष कुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
सकरगयम, श्री कालीचरण (खंडवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनिताल)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सियरावडीवेल, श्री एम० (तंजावूर)
सिंह, श्री प्रतीशचन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिद्दनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफीद मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)
सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री० (शिवकाशी)
सुब्बरमन, श्री ए० जी० (मदुरै)
सुमन, श्री रामप्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (वींदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सोढी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)
हाल्दर, प्रो० एम०आर० (मथुरापुर)

विपक्ष में

अप्पालनरसिंहम, श्री पी०
आचार्य, श्री वसुदेव
ककाडे, श्री सांभाजीराव
*किन्दर लाल, श्री
कुरूप, श्री सुरेश
गिल, श्री मेवा सिंह
गोस्वामी, श्री दिनेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
तांती, श्री भद्रेश्वर
तुलसीराम, श्री वी०
दण्डवते, प्रो० मधु

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
पाटिल श्री डी० बी०
बनातवाला, श्री जी० एम०
बर्मन, श्री पलास
बिश्वास, श्री अजय
भण्डारी, श्रीमती डी० के०
भट्टम, श्री श्री राममूर्ति
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
मिश्र, श्री विजय कुमार
मुखर्जी, श्रीमती गीता
यादव, श्री विजय कुमार
राजू, श्री विजय कुमार
राय, श्री डा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी श्री सी० माधव
रेड्डी, श्री एस० जयपाल
शाहबुद्दीन, सैयद
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
स्वामी, श्री डी० नारायण
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 326

विपक्ष में : 45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखें जायेंगे । श्री अर्जुन सिंह ।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ? (व्यवधान)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : श्रीमती कृष्णा साही, श्रीमती वैजंतीमाला बाली, श्रीमती अबिदा अहमद, श्रीमती शांति देवी, सर्वश्री जगन्नाथ पटनायक, कमला प्रसाद रावत, नित्यानंद मिश्र, कुंवर राम, श्रीमती ऊषारानी तोमर, सर्वश्री यशपाल सिंह, अख्तर हसन, श्रीपति मिश्र, वृद्धि चन्द्र जैन, चौधरी सुन्दर सिंह, सर्वश्री प्रकाश चन्द्र, एम० महालिंगम, किन्दर लाल और जार्ज जोसफ मुंडाकल ।

विपक्ष में : डा० दता सामंत, सर्वश्री अमलदत्त, बैजवाडा पपीरेड्डी, पीयूष तिरकी, अनिल कुमार साहा, एन० वेंकट रत्नम, वी० एस० कृष्ण अय्यर, डी० एन० रेड्डी, डा० टी० कल्पना देवी, सर्वश्री महफूज अली खां, रामबहादुर सिंह, बी० एन० रेड्डी, पी० पंचलैया, जी० भूपति, एम० रघुमा रेड्डी, थम्पन थामस, कटूरी नारायण स्वामी, नानिक रेड्डी, डा० चिंता मोहन, सर्वश्री सोडे रमैया, गदाधर साहा, सी० सम्बु, गोकुल सैकिया, एच० ए० डोरा०, गोपाल कृष्ण घोटा, रामश्रय प्रसाद सिंह, डा० वी० वेंकटेश, प्रो० पराग चालिहा, सर्वश्री सैफुद्दीन अहमद, एन० के० पटेल और रामनारायण सिंह ।

12.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग के वर्ष 1985-86 के लाभ और हानि तथा तुलन-पत्र

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं दूर संचार विभाग के वर्ष 1985-86 के लाभ और हानि तथा तुलना-पत्र (प्रोद्भवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4474/87]

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1987, राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1987 तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1987

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एस० भगत) : मैं, संविधान के अनुच्छेद 12(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 23 मई, 1987 को प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 2)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या ए० टी०-4475/87]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1987 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 3)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखियें संख्या एल० टी०-4476/87]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 2 जुलाई, 1987 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 4)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4476/87]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों को रिहायशी आवास के आवंटन के बारे में 27-4-1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8124 में अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/ औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों को रिहायशी आवास के आवंटन के बारे में सर्वश्री वी० एस० कृष्णा अय्यर और राम पूजन पटेल, संसद सदस्यों के 27 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8124 में अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4491/87]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1987, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी)(छियानबेवां संशोधन) विनियम, 1987 तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ सीमित के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलम्ब से सभा-पटल पर रखने के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं, श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भाण्डागारण निगम अधिनियक, 1962 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1987, जो 14 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 498 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4478/87]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (छियानवें वां संशोधन) विनियम, 1987, जो अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 41/एफ० संख्या ई० पी० 36(2)/86 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4479/87]

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्त परिसंघ सीमित के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-4480/87]

वित्त आयोग गठित करने संबंधी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1987, आयकर (चौथा संशोधन विधेयक, 1987 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि-आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए दिनांक 17 जून, 1987 के आदेश, जिसके द्वारा नवां वित्त आयोग गठित किया गया है तथा जो 17 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 581 (अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4481/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1987, जो 11 जून, 1987

को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 565 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4482/87]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1987, जो 8 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 684 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4483/87]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1982 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 476 (अ), जो 12 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 48/84-सा० शु० तथा 29 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 397/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि सी० एन० सी० सिस्टम तथा उसके हिस्सों-पुर्जों पर शुल्क में रियायत दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 499 (अ), जो 14 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 158-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि प्रायोजक प्राधिकरण के विवरण में परिवर्तन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 501 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 213/85-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 508 (अ), जो 18 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 251/89-सी० शु० की वैधता की अवधि 30 अप्रैल, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 510 (अ), जो 19 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कॉफी पर उत्पाद शुल्क के स्तर को 330 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 170 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 511 (अ), जो 19 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि पवन चालित विद्युत जनरेटरों और पवन चालित बैटरी चार्जरों के "पुर्जों उपसाधकों" को सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 524 (अ), जो 22 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 356/86-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मई, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 525 (अ), जो 22 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2-सी० शु०, 17 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 155/86-सी० शु० और 4 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 480/86-सी० शु० से 482/86-सी० शु० तक की वैधता की अवधि 21 अगस्त, 1986 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 527 (अ), जो 25 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 333/86-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मई, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 545(अ), जो 4 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो संलग्न अधिसूचना की सारणी में उल्लिखत विनिर्देशों वाली स्टेनलैस स्टील की स्ट्रिप को जब उसका भारत में आयात किया जाए, मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 563(अ), जो 11 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अगस्त, 1982 की अधिसूचना संख्या 200/82-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि डबल पंचर लैपरोस्कोप को भी शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 593 (अ), जो 22 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि मोटरवाहनों के लिए ईन्धन दक्षता प्रमाणन/चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में कतिपय प्रक्रियात्मक संशोधन किये जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 596 (अ), जो 22 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमानक प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के चार और उत्पादों को मदों की सूची में जोड़ा जा सके ।

(चौदह) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 1987, जो 25 जून, 1987 को भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 5 9 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 607 (अ), जो 29 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 502/86-सी०शु० और 503/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा०का०नि० 621 (अ), जो 1 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 74/85-सी० शु०, 75/85-सी०शु० तथा 20 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 222/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि आयात शुल्क रिआयत के प्रयोजनार्थ ईंधन दक्षता सम्बन्धी मानदण्ड प्राप्त करने हेतु समय-सीमा को 30 सितम्बर, 1987 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) का०आ० 636 (अ), जो 26 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं की भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्राओं में विनिमय की दरें निर्धारित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 4484/87]

(अठारह) सा०का०नि० 469 (अ), जो 11 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 339/85 में सी० शु० के कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि तैयार वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान प्रौद्भूत चिथड़ों, कतरनों और टेलर कटिंग को, जब नोयडा निर्माण प्रसंस्करण जोन से उसकी निकासी की जाये, जब उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा०का०नि० 470 (अ), जो 11 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 340/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि तैयार वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान प्रौद्भूत चिथड़ों, कतरनों और टेलर कटिंग को जब कोचीन निर्यात प्रसंस्करणजोन से उनकी निकासी की जाए, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा०का०नि० 471 (अ), जो 11 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 263/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि तैयार वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान प्रौद्भूत चिथड़ों, कतरनों और टेलर कटिंग को, जब मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन से उनकी निकासी की जाती है, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा०का०नि० 472 (अ) जो 11 मई, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 262/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि तैयार वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान प्रोद्भूत चिथड़ों कतरनों औरटेलर कटिंग को, जब फाल्ट निर्माण प्रसंस्करण जोन से उसकी निकासी की जाए, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क की अदायगी से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा०का०नि० 535 (अ), जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 31 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 331/86-सी०शु० के अन्तर्गत निर्यात किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के माल के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली 38 मदों, जिनका उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, 1 जून, 1987 से आरम्भ होकर 31 मई, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा०का०नि० 552 (अ) जो 5 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 1982 को अधिसूचना संख्या 210/85 सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 10 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 210/82-सी०शु० के अन्तर्गत लाभ चाहने वाले विशेष भायात लाईसेंस-धारी को कतिपय सुरक्षोपायों के अध्यधीन अग्रिम अनुज्ञापन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधा की भांति निःशुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा०का०नि० 600 (अ) जो 25 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 345/85-सी० शु० में संशोधन किए गए हैं ताकि कलाई घड़ियों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित क्वार्टज क्रिस्टलों पर शुल्क की रियायती दर वापस ली जा सके ।

(पच्चीस) सा०का०नि० 601(अ), जो 25 जून 1987 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 282 सी०शु० 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 68-सी०शु० 16 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 348-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि (एक) "कम्प्यूटर" शब्द के विषय-क्षेत्र के बारे में विवाद समाप्त किया जा सके और (दो) कम्प्यूटरों सहित साफ्टवेयर की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा०का०नि० 604 (अ), जो 26 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 को अधिसूचना संख्या 522/86-सी०शु० की वैधता की अवधि 30 सितम्बर, 1987 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 605 (अ), जो 29 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 52/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पहले ही विनिर्दिष्ट ओलिफिन्स सहित, हैक्सीन और मिश्रित आक्टीन पर भी मूल्यानुसार 25% की शुल्क-रियायत उस स्थिति में प्रदान की जा सके, जब इनका आयात एक्सोअल्कोहल के निर्माण के लिए किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 612 (अ) जो 30 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थे तथा जिनके द्वारा 3 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 216/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं एक ताकि रियायती शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा०का०नि० 613 (अ), जो 30 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 209/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि क्रम संख्या 44 की प्रविष्टि का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा०का०नि० 629 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस अवस्था में छूट देने के बारे में है जब उसका भारत में आयात, निर्यात किए जाने वाले माल के निर्माण के संबंध में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजनार्थ कोचीन स्थित कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थापित रत्न और आभूषण काम्पलैक्स के भीतर इस्तेमाल किए जाने के लिए किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा०का०नि० 630 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 256/87-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उपसंगी सीमा शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा०का०नि० 631 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस अवस्था में छूट देने के बारे में है जब उसका भारत में आयात, निर्यात किये जाने वाले माल के निर्माण के सम्बन्ध में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजनार्थ गाजियाबाद स्थित नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थापित रत्न और आभूषण काम्पलैक्स के भीतर इस्तेमाल किये जाने के लिए किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा०का०नि०632 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 258/87-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाले माल की उपसंगी सीमा शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा०का०नि० 633 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस अवस्था में छूट देने के बारे में है जब उसका भारत में आयात, निर्यात किये जाने वाले माल के निर्माण के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये जाने के प्रयोजनार्थ कलकत्ता स्थित फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थापित रत्न और आभूषण काम्पलैक्स के भीतर इस्तेमाल किये जाने के लिए किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा०का०नि० 634 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उपसंगी सीमा शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा० का० नि० 635 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस अवस्था में छूट देने के बारे में है जब उसका भारत में आयात, निर्यात किये जाने वाले माल के निर्माण के संबंध में इस्तेमाल किये जाने के प्रयोजनार्थ मद्रास स्थित मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थापित रत्न और आभूषण काम्पलैक्स के भीतर इस्तेमाल किये जाने के लिए किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतीस) सा० का० नि० 636 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 262/87-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4492/87]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि 464 (अ), जो 8 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्व-चालित वातानुकूलन पद्धति में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट क्षमता के संपीड़कों पर 2500 रु० को उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 502 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत सरकार की टकसाल द्वारा उत्पादित सिक्कों के विनिर्माण में कारखाने के भीतर प्रयुक्त तांबे और अल्यूमिनियम के ब्लैंकों और चादरों को, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 504 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 1986 की अधिसूचना संख्या

431/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि नौवहन गोदियों में निर्मित और महासागर गामी जलयानों की मरम्मत में प्रयोग के लिए आशियत माल को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 505 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 184/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि नेशनल एअरी-नोटीकल लैबोरेटरी में विनिर्मित माल को राजकीय प्रयोजन हेतु रक्षा मंत्रालय में सप्लाई के लिए छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 512 (अ), जो 19 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बम्बई के फिल्म उत्सव निदेशालय द्वारा सोवियत संघ में 1987 के दौरान भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए क्रय किये गए चलचित्र फिल्मों के प्रिंटों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 513 (अ), जो 20 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 68/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि गैर-रिकार्डिंग सामग्रियों से आडियो और वीडियो रिकार्डिंग स को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 514 (अ), जो 20 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि निविष्टि के रूप में प्रयुक्त पेपर और पेपर बोर्ड के संबंध में मॉडवेट ऋण को 800 रु० प्रति मी० टन अथवा पेपर वास्तव में संदत्त शुल्क, जो भी कम हो, तक सीमित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 515 (अ), जो 20 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 62/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि ऐसे पुर्जों और उपसाधनों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके ।

(नौ) सा० का० नि० 528 (अ), जो 25 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मूल रूप में संयोजित रबड़ को, उत्पाद-शुल्क के लिए विनिर्दिष्ट माल के निर्माण हेतु कारखाने में ही प्रयोग के लिए उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(दस) सा० का० नि० 530 (अ), जो 27 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बाइसिकल पम्पों और उनके पुर्जों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 539 (अ), जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या 253/76-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कतिपय शर्तों के अध्यधीन बेन्जीन और टालईन पर, जिनका रिफाइनरी के भीतर अथवा बन्धकित अधिष्ठापन के भीतर टैंक वैगनों अथवा टैंक ट्रकों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उत्पाद-शुल्क की छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 540 (अ), जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 8 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 258/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के शीर्ष संख्या 63.1 के अन्तर्गत आने वाले माल पर भी छूट लागू होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 541 (अ), जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 65/87-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि शुल्क प्रदत्त जूट फैब्रिकों से बनी हुई जूट की पट्टियों को जो भारतीय स्थल सेना को प्रदाय के लिए आशयित हैं, छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 547 (अ), जो 5 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि शुल्क प्रदत्त विनाइल एसिटेट मोनोमर में विनिर्मित पोलिविनाइल अल्कोहल को 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क की रियायती दर 30 सितम्बर, 1987 तक जारी रखी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 548 (अ), जो 5 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो साबूदाने को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादक-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 549 (अ), जो 5 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 34/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि बिना किसी शर्त के निर्यात की जाने वाली तुरन्त तैयार की जा सकने वाली चाय पर छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 550 (अ), जो 15 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 43/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि दूध की पैकिंग में प्रयोग हेतु निम्न घनत्व के पालिएथिलीन पटलित कागज या पेपर बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त कागज या पेपर बोर्ड पर छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा० का० नि० 558 (अ), जो 8 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 11 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 193/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इसमें विनिर्दिष्ट पैकेटों में बन्द चाय के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दरों का लाभ नहीं मिलेगा यदि उसके निर्माण में प्रयुक्त उक्त अधिसूचना के तहत लाभ उठा लिया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 561 (अ), जो 10 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 59/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि धातु के आधानों के हिस्सों को पूर्ण छूट दी जा सके ।

(बीस) सा० का० नि० 562 (अ), जो 10 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ताकि मुख्य युद्ध टैंकों के कुछ पुर्जों को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० का० नि० 585 (अ), जो 19 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें भारत में विनिर्मित पोतों, नौकाओं और अन्य प्लवमान संरचनाओं के विघटन से अभिप्राप्त माल पर 1400 रुपए प्रति टन की उत्पाद शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० का० नि० 586 (अ), जो 19 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा० का० नि 587 (अ), जो 18 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बाहर्स्राव अभिक्रियान्वयन पद्धति द्वारा उत्पादित मिथेन गैस को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा० का० नि० 627 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पोलिएस्टर की अप्रसंस्कृत टायर कार्ड फेब्रिक पर 2 रुपए प्रति किलोग्राम के बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा० का० नि० 628 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 223/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इसे नए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के साथ शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[प्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-4485/87]

(छब्बीस) सा० का० नि० 594 (अ), जो 22 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 462/86-के० उ० शु० और 24 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 469/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि मोटरयानों के लिए ईंधन दक्षता प्रमाणन के सन्दर्भ में प्रक्रिया सम्बन्धी कतिपय परिवर्तन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताईस) सा० का० नि० 615 (अ), जो 30 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 463/86-के०उ०शु० की वैधता की अवधि 30 सितम्बर, 1987 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा० का० नि० 6469(अ), जो 6 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या 108/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भुने हुये काफी के बीच को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4493/87]

(6) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 503(अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो नई दिल्ली में जून, 1987 में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने आये शिष्टमंडलों के सदस्यों को उक्त सम्मेलन समाप्त पर भारत के बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4494/87]

(7) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपीकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों का यौक्तिकीकरण और संशोधन तथा अन्य सेवा-शर्तें) संशोधन योजना, 1987 जो 27 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 441 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों का यौक्तिकीकरण तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 1987, जो 27 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 442 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4495/87]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत

भारतीय जीवन बीमा निगम (निवर्तन का विनियमन) नियम, 1987, जो 15 मई 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 507(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4496/87]

(9) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1986, जो 21 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 192 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4497/87]

(10) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1987 जो 20 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 606 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4498/87]

(11) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के साथ पठित 11 मई, 1987 के प्रख्यापन के स्तम्भ (ग) (चार) के अन्तर्गत 18 जून, 1987 को पंजाब के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित पंजाब आकस्मिक निधि (संशोधन) अध्यादेश, (1987 का संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4499/87]

(12) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब नेशनल बैंक का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4500/87]

(दो) यूनाईटिड बैंक आफ इंडिया का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-4501/87]

(तीन) देना बैंक का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-4502/87]

(चार) पंजाब एण्ड सिंध बैंक का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4503/87]

(पांच) विजय बैंक का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4504/87]

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निकास) नियम, 1987, जो 28 फरवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 125 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4505/87]

कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1986 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 इत्यादि

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987 जो 20 फरवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 105(अ), में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4486/87)

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 541 (अ), जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनमें उक्त अधिनियम के लागू

होने की तारीख 1 जून, 1987 तक निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4487/87)

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (उपभोक्ता संगठन को मान्यता) नियम, 1987 जो 1 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 534(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4488/87)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4489/87)

संकल्प संख्या 27(21)-ई. ओ./80 (सी. सी.) के संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचनाएं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के पेंशन के संराशीकृत भाग की कटौती करने के बारे में आदेश इत्यादि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या 6(35)-ई.ओ./87 (ए.सी.सी.), जो 5 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 3 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 27(21)-ई.ओ./86 (सी.सी.) के संशोधन हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4506/87)

(2) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 488, जो 27 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की पेंशन के संराशीकृत भाग की कटौती करने के बारे में आदेश हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4507/87]

(3) अधिसूचना संख्या का. आ. 512 (अ), जो 22 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की पेंशन में 1 जनवरी, 1986 से संशोधन के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-4508/87]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1987, जो 9 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 329 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन, चौथा संशोधन नियम, 1987 जो 23 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 388 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1987, जो 23 मई 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 406 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा(काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1987, जो 30 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 407 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1987, जो 30 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 408 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1987 जो 20 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 470 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1987 जो 20 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 471 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1987 जो 27 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचनासंख्या सा. का. नि. 489 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1987 जो 27 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 490 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1987, जो 22 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 522 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 4509/87]

बंगाल उन्मुक्ति सीमित कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बंगाल उन्मुक्ति सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बंगाल उन्मुक्ति सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी०-4490/87]

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) विवरण संख्या 20 —चौदहवां सत्र, 1984 —सातवीं लोक सभा
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4511/87)
(2) विवरण संख्या 16—दूसरा सत्र, 1985
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4512/87)
( ) विवरण संख्या 12 —तीसरा सत्र, 1985
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०सी० 4513/87)
(4) विवरण संख्या 12— चौथा सत्र, 1985
ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4514/87)
(5) विवरण संख्या 9—पांचवा सत्र, 1985 } आठवीं लोक सभा
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4515/87)
(6) विवरण संख्या 6—छठा सत्र, 1986
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4516/87)
(7) विवरण संख्या 4—सातवां सत्र, 1986
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4617/87)
(8) विवरण संख्या 3 —आठवां सत्र, 1987
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4518/87)

12.06 मध्याह्न

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त, निम्नलिखित छः विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1987

(2) जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 1987

(3) वित्त विधेयक, 1987

(4) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 1987

(6) श्रम कल्याण निधि विधि (संशोधन) विधेयक, 1987

(6) गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987

2. महोदय, मैं चालू सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों को राज्य सभा के महासचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1987

(2) मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1987

(3) गोवा, दमन और दीव खनन रियासतें (उत्सादन और खनन पट्टों के रूप में घोषणा) विधेयक, 1987

(4) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 1987

(5) संविधान (छपनवां संशोधन) विधेयक, 1987

(6) अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 1987

(7) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1987

राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों संबंधी वेतन समिति

प्रथम प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव महोदय : मैं राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों के वेतन ढांचे, भत्ते; अवकाश तथा पेंशन सम्बन्धी लाभों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त संसद की समिति के वेतनमानों सम्बन्धी प्रथम प्रतिवेदन (अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों सहित) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री एम० तम्बिदुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07 म० प०

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन सदस्य श्री अमिताभ बच्चन का 17 जुलाई का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दिया है। मैंने उनका त्याग-पत्र 23 जुलाई, 1987 से स्वीकार कर लिया है।

मंत्री का परिचय

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मझे, अपने सहयोगी श्री एम० एल० फोतेदार, जो इस्पात और खान मंत्रालय के केबिनेट मंत्री हैं, का आपसे और आपके द्वारा सभा को परिचय करवाते हुए खुशी हो रही है।

बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रश्नों की जांच करने के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पंत।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न निम्नलिखित मुद्दों की जांच के लिए—

(एक) भारत को 155 एम० एम० की होवितर गनों तथा सम्बन्धित उपकरणों की सप्लाई के लिए मैसर्स बोफोर्स के ठेके के संबंध में इस फर्म से निम्नलिखित राशियों :

(क) एसईके 170-250 मिलियन ;

(ख) एसईके 29.5 मिलियन ; और

(ग) एसईके 2.5 मिलियन ;

के भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/एजेंसियों/फर्मों (जैसा कि भारत सरकार द्वारा 4 जून, 1987 को प्राप्त स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन में उल्लिखित है) के बारे में जांच करने तथा उनकी पहचान करने ;

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित भुगतान प्राप्त करने वाले संबंधित व्यक्तियों/एंजेंसियों/फर्मों द्वारा उल्लंघन किये गये भारतीय कानूनों, नियमों और विनियमों की जांच करने और उनका अवधारण करने ;

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) के जांच-निष्कर्षों पर आधारित उचित सिफारिशें करने के लिए

दोनों सभाओं की 21 सदस्यों से मिलकर बनी एक संयुक्त समिति, जिसमें लोक सभा के 14 सदस्य और राज्य सभा के 7 सदस्य हों, आनुपातिक प्रतिनिधित्वपद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित की जाये और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त बैलट द्वारा होगा ।

2. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

3. कि संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के नियम और प्रक्रिया ऐसे परिवर्तन और रूपभेद के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष करे ।

4. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और उपर्युक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुये दुःख हो रहा है कि मैं देखता हूं कि प्रजातन्त्र को विफल

बनाया जा रहा है । मैं सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चला सकता । अत: मैं सभा को पूरे दिन के लिये स्थगित करता हूं ताकि सदस्यों को इसका आभास हो सके कि वे यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ।

हम कल 11 बजे मिलेंगे ।

12.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार 30 जुलाई, 1987/8 श्रावण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : इण्डियन प्रेस, राजा पार्क दिल्ली-34